खण्ड-172, अंक-2
मंगलवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1878
(1 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३०)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री

तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामग्रवार तिवारी, श्री
रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
रामग्रनन्त पाण्डेय, श्री
रामग्रवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रमरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ मई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१-२--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री रामसुन्दर पांडेय---[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में मकान बनाने के लिए ऋण की व्यवस्था

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मकान बनाने के लिये कर्ज देने के वास्ते सन् १९५५-५६ में कितना रुपया एलाट किया गया था?

स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)---झांसी जिले के मकान बनाने के लिये १९५५-५६ में १,२०,०००) कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी।

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में अभी तक वहां कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनकी टोटल रकम क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश---१८ प्रार्थना-पत्र कुल ९६,००० रुपये के लिये प्राप्त हुए हैं।

*६--श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में कितने स्वीकृत हुये और कितना रुपया दिया गया तथा शेष प्रार्थना-पत्रों के स्वीकृत न होने के क्या कारण हैं?

श्री कैलाश प्रकाश---उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों में से आठ पर ४१,५०० रु० की स्वीकृति हो चुकी है। इसमें से अभी तक १२,२०० रु० वितरण किया जा चुका है। शेष दस प्रार्थना-पत्रों में से तीन प्रार्थना-पत्रों में दोष पाये गये हैं। बाकी सात विचाराधीन हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी जिला अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में वे अच्छी तरह से पब्लिसिटी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकें?

श्री कैलाश प्रकाश---यह विषय तो बहुत दिन से चल रहा है और इस भवन में भी एक दफा नहीं कई बार इसके विषय में चर्चा आ चुकी है और वहां भी इसकी काफी पब्लिसिटी की जा चुकी है। मैं समझता नहीं कि क्यों लोगों को इस बात का पता नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कर्ज के ऊपर किस हिसाब से ब्याज चार्ज किया जाता है?

श्री कैलाश प्रकाश— यह कर्ज गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिला है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो कर्ज आता है वह यहां से कोआपरेटिव बैंक को दिया जाता है और बैंक जो कोआपरेटिव सोसायटीज हैं या कोई व्यक्ति जो लना चाहता है उसको देता है और शायद पौने पांच या पांच फीसदी सूद उनसे लेता है।

*७—९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)— [२२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ६—८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जौनपुर को बाढ़ से बचाने के लिए दहीरपुर नाले की खुदाई के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

*१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)— क्या सरकार विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५५) के १४वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि दहीरपुर नाले की जांच-पड़ताल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई या नहीं? यदि हां, तो क्या?

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—गोमती नदी के बाढ़ के पानी को दहीरपुर नाले में (जो जौनपुर से २ मील ऊपर गोमती में मिलता है) ले जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता, अतः गोमती नदी का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण समाप्त होने पर, जौनपुर को बाढ़ से बचाने के उपायों पर विचार किया जायगा।

*११—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[१५ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ में स्टेशन रोड की मरम्मत

*१२—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछली बाढ़ से ध्वस्त आजमगढ़ शहर से स्टेशन जाने वाली सड़क की अवस्था अब तक वैसी ही बनी हुई है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—.जी नहीं, सड़क ठीक की जा रही है। मिट्टी भरने का कार्य पूरा हो चुका है और ईंटें पूरी सड़क पर बिछाई जा चुकी हैं।

*१३—श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त सड़क की खराबी के कारण हाल ही में ३—४ दिन पूर्व एक ट्रक के उलट जाने से कई व्यक्ति घायल होकर अस्पताल में पड़े हुये हैं?

श्री सैयद अली जहीर— जी नहीं। जहां तक सरकार को ज्ञात है ट्रक अत्यधिक पत्थर की पाटियों के लादने तथा ड्राइवर की असावधानी के कारण उलट गई थी।

देवरिया जिले की मुन्सफी में विचाराधीन मुकदमे

*१४—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की मुन्सिफी कचेहरी में कुल कितने मुकदमे हैं और उनमें से तहसील हाटा और पडरौना तहसील के कितने हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—१५ अप्रैल, १९५६ को कुल ४,४०८ मुकदमे पेंडिंग (pending) थे जिसमें पडरौना तहसील के ९२५ और हाटा तहसील के ५०८ मुकदमे थे।

*१५—श्री रामसुभग वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने मुकदमें कितने-कितने दिनों के हैं ?

श्री सैयद अली जहीर— इसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५५ पर)

सूचना अधिकारियों की नियुक्तियां

*१६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)— क्या अभी हाल में सूचना आफिसर की उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में नियुक्ति हुई है ?

सूचना मन्त्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—जी नहीं। केवल १६ रिक्त जिलों में सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।

*१७—श्री गज्जूराम—क्या यह सही है कि सूचना अफसर पुलिस विभाग के डी वाई० एस० पी० हैं ? क्या इनका सम्पर्क सीधा सरकार से है या जिले के एस० पी० या जिलाधीश से है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव— जी नहीं।

गृह निर्माण योजनान्तर्गत जालौन जिले को ऋण

*१८—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन) (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला जालौन में सरकारी हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोई ग्रान्ट या कर्जा अभी तक दिया गया है ? अगर हां, तो सरकार उसके वितरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर— जी हां। करीब सवा लाख मंजूर हुआ है और इसमें से करीब २२ हजार वितरित हो चुका है। वितरण की सूची लम्बी है इसलिए माननीय सदस्य यदि देखना चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

*१९—श्री बसन्त लाल (अनुपस्थित)—अगर नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में ओनचनी खुर्द घुआवीर पुरवा को ऊंचे पर बसाना

*२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में बाढ़ग्रस्त ओनचनी खुर्द घुआबीर ग्राम को ऊंचा करने की कोई योजना बनी थी और उसके लिये कोई भूमि एक्वायर की गई थी और बाद में छोड़ दी गई ? यदि हां, तो किस-किस की कितनी-कितनी भूमि एक्वायर की गई थी और फिर क्यों छोड़ दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनचनी खुर्द घुआवीर, उनचनी खुर्द ग्राम का एक पुरवा है जो जौनपुर से मिर्जापुर जाने वाली सड़क पर ६ मील दूर सई नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह पुरवा नदी की बाढ़ से प्रभावित है और फलतः सतह ऊंचा किये जाने वाले ग्रामों की सूची में सम्मिलित है। इस पुरवा की आबादी को ऊंचा करने का कार्य जारी है। इस ग्राम में सिंचाई विभाग द्वारा इस कार्य के लिये कोई भी जमीन नहीं ली गई है, इसलिये किसी जमीन को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२१-२२—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

भगवन्तपुर को हाथरस नगरपालिका की सीमा से बाहर करने के लिये प्रार्थना-पत्र

*२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि भगवन्तपुर आदि गांवों ने अपने गांवों को हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा से बाहर कर देने के आवेदन-पत्र दिये थे। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह विषय अभी नगरपालिका हाथरस के विचाराधीन है।

राज्य में दिल्ली से आने वाले सामान पर चुंगी लेने का सुझाव

*२४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहली से विभिन्न मार्गों द्वारा ऐसा माल इस प्रदेश में आता है जिस पर चुंगी नहीं ली जाती ? क्या सरकार प्रदेशीय सीमा पर अपनी चौकी बैठाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रदेशीय सरकार दूसरे प्रदेश से अपने प्रादेशिक सीमा में आने वाले माल पर चुंगी नहीं लगाती। चुंगी Octroi, terminal tax of state स्थानीय निकाय अपनी सीमाओं में आने वाले माल या माल से लदी गाड़ियों पर लगाते हैं और इसके लिये वे अपनी सीमाओं पर चुंगी चौकी बिठाते हैं। इस प्रकार दिल्ली से इस प्रदेश में आये हुये माल पर चुंगी तभी लगती है जब वह किसी स्थानीय निकाय में, जो चुंगी लगाता है, लाया जाता है। चूंकि सरकार प्रदेशीय सीमाओं में आने वाले माल पर चुंगी नहीं लगाती, इसलिये इन सीमाओं पर सरकार द्वारा चुंगी चौकी बिठाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

*२५-२६—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)— [१६ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचवर्षीय योजना के प्रचार में कठपुतली तमाशे का माध्यम

*२७—श्री तेजा सिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सूचना विभाग द्वारा कठपुतली तमाशे के माध्यम द्वारा सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जाना तय हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके बारे में पूरा प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जन साधारण, विशेषकर ग्रामीण जनता को पंच-वर्षीय योजनाओं के महत्व, लक्ष्य तथा प्राप्ति से अवगत कराने के लिये सूचना विभाग द्वारा जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता है, उसमें कठपुतली भी है। विकास मेलों तथा प्रदर्शनियों में कठपुतली नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन अत्यन्त जन-प्रिय सिद्ध हो रहे हैं। जनता को इनके द्वारा मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक शिक्षा और साधारण ज्ञान भी प्राप्त होता है।

*२८-३०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[३१ मार्च, १९५६ के लिये प्रश्न ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखनऊ जिले की बिजरा झील में नहरी पानी भर जाने की शिकायत

*३१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील मोहनलालगंज लखनऊ के ग्राम चन्दौली करौंदी, काटा मीरखनगर, रामदासपुर, बघौना, दखिना, भगवानगंज आदि के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें मिला था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि उपर्युक्त गांवों के बीच स्थित बिजरा झील में नहर विभाग के कई साइफन और मइनर का पानी आता है जिससे हर साल किसानों की फसल डूब जाती है ?

---

*नोट—तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री कल्याणचन्द मोहिले ने पूछे।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां।

*३२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री ने क्या कार्यवाही की?

श्री राम मूर्ति—प्रार्थना-पत्र पर सहायक इंजीनियर द्वारा जांच किये जाने पर यह मालूम हुआ कि सम्बन्धित ग्राम प्रायः पांच वर्गमील के क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में मीरख नगर माइनर के अतिरिक्त और किसी जलशाखा का विराम नहीं होता। मीरख-नगर माइनर में अल्प जल आता है और इस जल को वर्षा ऋतु में रोक दिया जाता है। जल के निकास के हेतु निगोहां स्केप में खुला स्थान ५वें फर्लांग में दिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि नहर के कारण कोई बाढ़ नहीं होती है। यदि निरीक्षण करने पर, बाढ़ को रोकने के लिये नाली बनवाने की आवश्यकता ज्ञात हुई तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

डुमरियागंज में मुन्सफी कायम करने की मांग

*३३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार तहसील डुमरियागंज में पृथक मुन्सफी बनाने पर विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि बांसी बस्ती से ३३ मील दूर है और डुमरियागंज भी करीब इतना ही है। इस प्रकार से ६६ मील का फासला पड़ता है तो क्या सरकार भविष्य में डुमरियागंज में भी एक मुन्सिफी बनाने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक सरकार का ताल्लुक है सरकार फैसला कर चुकी है कि जहां तक हो सके डिसेंट्रलाईजेशन किया जाय और मुंसिफी और मजिस्ट्रेसी तहसीलों में हो रहें, लेकिन हर जगह जहां ऐसा सवाल उठता है हमें हाई कोर्ट से पूछना पड़ता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि वे ऐसा मुनासिब नहीं समझते। जब कभी ऐसी चीज उनके पास भेजी जाती है वे उसकी मुखालिफत करते हैं। यह कई जगह हो चुकी है। इस मामले में भी हाई कोर्ट से पूछा गया लेकिन उन्होंने एप्रूव नहीं किया।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बस्ती जिले के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट को फिर लिखने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में डुमरियागंज स्थान पर एक मुंसिफी खोली जाय।

श्री सैयद अली जहीर—यह कई बार कहा जा चुका है। अगर और कोई मौका आयगा तो फिर कहेंगे।

*३४-३५—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)— [९ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३६-३८—श्री श्री चन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[हटा दिये गये।]]

आजमगढ़ जिला जज के विचाराधीन अपीलें

*३९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिला जज की अदालत में कितनी अपीलें दो वर्ष से पड़ी हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो सकती है?

श्री सैयद अली जहीर—अप्रैल १, १९५६ तक ऐसी ३४३ अपीलें पेंडिंग (pending) थीं।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ श्री शिवनारायण ने पूछा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्नाव जिले में बिहार-भगवन्तनगर-बकसर सड़क पक्की करने का आयोजन

*४०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या दूसरी पंच वर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई पक्की सड़कें बनाने का प्रोग्राम है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी हां।

*४१—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इनमें उन्नाव जिले के हिस्से में कितनी मील नई सड़कें आयेंगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उन्नाव जिले में लगभग २५ मील लम्बी कच्ची सड़कों को पक्का करने का प्रस्ताव है।

*४२—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार यातायात, औद्योगिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक सभी दृष्टियों से उन्नाव जिले में सुमेरपुर-बक्सर सड़क को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—बिहार-भगवन्त नगर-बक्सर सड़क को पक्का करने का प्रस्ताव द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है।

बरेली में अतिरिक्त मुन्सिफ की नियुक्ति

*४३—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बरेली में अतिरिक्त मुन्सिफ का न्यायालय समाप्त कर देने से बहुत बड़ी संख्या में मुकदमें इकट्ठे हो गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*४४—श्री जगदीश सरन (अनुपस्थित)—यदि उक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, तो सरकार जनता की इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय करने को तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर—जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये पुनः हाईकोर्ट ने एक अतिरिक्त मुन्सिफ की नियुक्ति कर दी है।

*४५—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६-४७—श्री विश्राम राय—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

तहसील पाली, जिला अल्मोड़ा की ग्राम तथा न्याय सभाओं के सभापति के चुनाव में ठेकेदारों को भाग लेने की मनाही

*४८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि खंडमण्डलाधीश (हाकिम परगना), तहसील पाली, जिला अल्मोड़ा ने यह निर्णय दिया है कि ठेकेदार ग्राम सभाओं तथा न्याय सभाओं के सभापति निर्वाचित नहीं हो सकते ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*४९—श्री खुशीराम (अनुपस्थित)—क्या न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात सरकार उन ग्राम पंचायतों में पुनः चुनाव कराने की आज्ञा देगी जहां ठेकेदार ग्राम सभापति निर्वाचित हो चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*५०—५२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किय गये।]

*५३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१५ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर जिले में फौजदारी के विचाराधीन मुकदमे

*५४—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में फौजदारी के ऐसे मुकदमे हैं जो तीन महीने से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी अभी तक अदालतों में पड़े हुये हैं और तय नहीं हुये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—पहली अप्रैल, १९५६ ई० को ऐसे तीस मुकदमें थे।

अमरोहा-बिजनौर सड़क से संबंधित जमीन

*५५—श्री खयाली राम (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमरोहा-बिजनौर सड़क के दोनों तरफ २२०-२२० फुट जमीन सरकार और ले रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, ऐसी कोई जमीन नहीं ली जा रही है। इस भूमि को यू० पी० रोडसाइड लैंड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५ के अन्तर्गत नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया गया है।

*५६-५७—श्री रामदास रविदास—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-५९—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०—श्री व्रजभूषण मिश्र—[१० मई, १९५६ के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६१-६२—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में पीली तथा गोमती के कटाव को रोकने के लिये सर्वेक्षण

*६३—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में पीली तथा गोमती नदी से जो जमीनों का कटाव अधिक हो रहा है उसके रोकथाम के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री राममूर्ति—गोमती, टोंस, छोटी सरजू, सई आदि छोटी नदियों का सर्वे हो रहा है जो ६ महीने में समाप्त होगा। सर्वे के बाद ही कटाव या बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में कौन सा उपाय किया जाय, यह बताया जा सकेगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे का कार्य कब से शुरू हुआ है और कितने एरिया में हो चुका है?

श्री राममूर्ति—सर्वे के डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन यह कार्य तीन-चार महीने से शुरू हुआ है और इसमें छः महीने का समय लगेगा। इस बरसात के बाद सही सर्वे हो पायेगा।

शाहगंज तहसील में गांवों को ऊंचा करने का कार्य

*६४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज तहसील में अब तक कुल कितने गांव बाढ़ एरिया में ऊंचे किये गये और कितने बाकी हैं ?

श्री राममूर्ति—तहसील शाहगंज में ६९ ग्रामों को ऊंचा करने का आयोजन है, जिसमें से २४ ग्रामों को ऊंचा किया जा चुका है। २९ ग्रामों को ऊंचा करने का कार्य प्रगति पर है और जून के अन्त तक (वर्षा के पूर्व) समाप्त हो जायगा।

*६५—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बतायेगी कि बाकी गांव कब तक ऊंचे हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—शेष १६ ग्रामों में कार्य जून, १९५६ के बाद आरम्भ होगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये जा चुके हैं वहां मकान बनाने के लिये सरकार ने आर्थिक सहायता देने का भी प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—मकान बनाने का सवाल पैदा नहीं होता है। गांव ऊंचा करने की बात है वह चारों तरफ से ऊंचे कर दिये जाते हैं, खाली जगह बराबर कर दी जाती है। गढ़े वगैरह भर दिये जाते हैं, यही काम होता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६ गांवों का काम जून के बाद शुरू होगा वह कौन-कौन से गांव हैं और क्षेत्रफल कितना है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

आजमगढ़ जिले में चुनाव स्थगित की जाने वाली पंचायतें

*६६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन पंचायतों का चुनाव मारपीट हो जाने के कारण स्थगित हो गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—आजमगढ़ जिले में केवल ३ पंचायतों—आजमपुर, चक-इनामी (तहसील सदर) व रसूलपुर उपनाम पासीपुर (तहसील फूलपुर) में चुनाव मारपीट के कारण स्थगित हुआ था। इन तीनों स्थानों पर चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं।

*६७—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार तथा घायल हुये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी पंचायतों के नाम तथा गिरफ्तार और घायल हुये व्यक्तियों की संख्या की सूची माननीय अध्यक्ष की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५६ पर)

चन्दवक, जिला जौनपुर में गोमती पर पुल बनाने की योजना

*६८—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि चन्दवक, जिला जौनपुर में गोमती नदी पर पुल बनाना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ?

निर्माण उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां।

राकत-चन्दवक सड़क, जिला जौनपुर के प्रान्तीयकरण का आश्वासन

*६९—श्री लालबहादुर सिंह—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर को राकत-चन्दवक सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ले कर उसका प्रान्तीयकरण करने का निश्चय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कर लिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना की किस वर्ष में ली जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो निश्चित नहीं है। सभी सड़क पहले वर्ष में नहीं ली गईं क्योंकि पिछले काम बाकी हैं और नये काम भी लिये गये हैं।

*७०-७१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—[१५ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में बवेरू-बिसंडा बुजुर्ग को पक्का करने की योजना

*७२—श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के ववेरू तहसील की किन-किन सड़कों का प्रान्तीयकरण करने का निश्चय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के प्रान्तीयकरण की कोई योजना नहीं है। बवेरू तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बवेरू-बिसंडा बुजुर्ग को पक्का करने के लिये सम्मिलित कर लिया गया है।

*७३—श्री रामसनेही भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा-बवेरू रोड पर गडरा नाले पर पक्का पुल बनवाने का काम वह कब शुरू करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बांदा बवेरू सड़क पर गड़रा नाले पर कोई पुल नहीं बन रहा है। माननीय सदस्य का आशय संभवतः इस सड़क के मील २१ में बनने वाले मटियारा नाले के पुल से है। यह पुल वर्षा से पहले बन कर तैयार हो जायगा।

गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास बुद्ध यात्रियों के लिए भोजनालय बनाने के संबंध में पूछताछ

*७४—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर स्टेशन के पास कोई भोजनालय बनवाने के सम्बन्ध में, जो बुद्धिस्ट यात्रियों के लिये होगा, वह कोई अनुदान दे रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*७५—श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या वह अनुदान किसी कोआपरेटिव सोसाइटी को देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

तराई-भावर खाम स्टेट के टनकपुर क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कमी

*७६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि तराई-भावर खाम स्टेट के टनकपुर क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की अत्यन्त कमी है ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, तराई भावर सरकारी इस्टेट्स (T.&.B.Govt. Estates) के टनकपुर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये गंडा खाली नहर का निर्माण हाल ही में हुआ है। जिससे टनकपुर के निकट ३०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। अन्य प्रस्तावों की जांच के पश्चात् यह प्रतीत हुआ कि उक्त क्षेत्र की सिंचाई केवल नलकूपों के निर्माण से सम्भव है। अतः इस क्षेत्र में अन्वेषणात्मक नलकूप (exploratory Tube-wells) निर्माण का विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया जायगा।

नैनीताल जिले के रौलखेत आदि ग्रामों के निवासियों की नहर बनवाने के लिये प्रार्थना

*७७—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास नैनीताल जिले के रौलखेत, कुलगाढ़, बरधौ, घंघरेटी, तथा बुढ़लाकोट ग्रामों के निवासियों की मांग आई है कि उनके ग्रामों में सिंचाई की कमी को दूर करने हेतु सर्वे डिवीजन द्वारा नहरें बनाई जायें? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, नौकुचिया ताल से गौला नदी में पानी की मात्रा बढ़ने पर रौलखेत और कुलगाड़ सिंचाई योजनाओं का निर्माण इस साल करने का विचार है। इस समय गौला नदी का कुल पानी तराई भावर क्षेत्र के लिये ही पर्याप्त है।

बरधौ, घघंरेटी तथा बुड़लाकोट सिंचाई योजनाओं का निर्माण तभी हो सकता है जबकि कोसी नदी के पानी की मात्रा किसी साधन द्वारा बढ़ाई जा सके। इन साधनों के जानने के के लिये छानबीन की जा रही है।

नैनीताल जिले में सेला भावर बरसाती नहर की मरम्मत की आवश्यकता

*७८—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास गोलापार, हलका हल्द्वानी, जिला नैनीताल के ग्रामीणों की कोई मांग सेला भावर बरसाती नहर के पुनर्निर्माणार्थ आई है? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिंचाई विभाग ने सेला भावर बरसाती नहर की सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में प्रारम्भ किया। इस बरसाती की १ मील लम्बी Tail की तरफ पक्की लाईनिंग की मरम्मत व कुछ हेड रीच (Head Reach) की तरफ की लाईनिंग वर्तमान वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में करने का विचार है।

घोसी तहसील में निर्मित नलकूपों के सम्बन्ध में शिकायत

*७९—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उसे इस बात की सूचना है कि तहसील घोसी के पश्चिमी क्षेत्र में जिला आजमगढ़, ग्रमिला ग्राम के आस-पास के अनेक नलकूप औसत से बहुत कम पानी दे रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वे नलकूप कौन-कौन हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले के पश्चिमी क्षेत्र में ग्राम ग्रमिला के आस-पास केवल दो नलकूप अर्थात् एक असरी खुर्द तथा दूसरा सुखलौली ग्रामों में औसत से कम पानी दे रहे हैं।

*८०—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उन नलकूपों को ठीक करने अथवा उन नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप बनाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है किन्तु अमिला में स्थित नलकूप की फिर से बोरिंग की गई है और उसका डिस्चार्ज कुछ समय तक देखने के बाद यह निर्णय किया जायगा कि उपरोक्त अन्य दो नलकूपों की पुनः बोरिंग की जाय या नहीं।

*८१--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि घोसी तहसील में १९५५-५६ वित्तीय वर्ष में कितने नये नलकूप कहां-कहां बनाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३२ नये नलकूप बनाये गये। इनके अलावा वहां १९५५-५६ में नये नलकूप बनाने की कोई योजना नहीं थी।

गोंडा जिले के बांधों के संबंध में पूछताछ

*८२--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि गिरगिटी और खैरमान बन्धे, उत्तर राप्ती विभाग, जिला गोंडा के कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आशा की जाती है कि गिरगिटी और खैरमान बन्धे जून, १९५६ से पहले ही बन जायेंगे।

*८३--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री जी कृपा कर बताएंगे कि उत्तर राप्ती विभाग, जिला गोंडा के अन्तर्गत, नवलगढ़ और झौंहना बन्धों (जलाशयों) की पैमाइश हो चुकी है और सरकार ने विगत अक्तूबर मास में नवलगढ़ बांध पर काम लगाने की घोषणा की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नवलगढ़ बन्ध (जलाशय) की पैमाइश हो चुकी है और इसके निर्माणार्थ केन्द्रीय सरकार से धन मांगा गया है। धन प्राप्त होने पर ही निर्माण-कार्य आरम्भ हो सकेगा। झौहना नाम का कोई बन्ध नहीं है।

*८४--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री जी को पता है कि गोंडा जिले के उत्तर राप्ती भाग में बहुत से ऐसे नाले हैं जिनमें वर्ष के बारह महीने पानी का स्रोत चलता रहता है ? क्या इनमें पक्के बांधों द्वारा पानी एकत्र कर के नहरें निकाली जा सकती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र के लगभग सभी नाले गर्मी में सूख जाते हैं। ऐसी दशा में बांध (Barrage) बना कर आबपाशी करना सम्भव नहीं है। परन्तु बांध या जलाशय बना कर बरसाती पानी एकत्र करने के लिये योजनायें तैयार की गई हैं जिनसे इस क्षेत्र की भी सिंचाई हो सकेगी।

लखनऊ शहर की विक्टोरिया स्ट्रीट में मकानों का धंसना

*८५--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या सरकार को पता है कि लखनऊ शहर की विक्टोरिया स्ट्रीट के अनेक मकानों की नीवों में पानी भर जाने के कारण बहुत से मकान धंस गये तथा अनेक मकानों की दीवालों में दरार पड़ गई और कुछ अन्य प्रकार से संकट-ग्रस्त हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां। तीन चार मकानों को ऐसा नुक्सान होने की शिकायत सरकार के पास आई है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*८६--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उपर्युक्त मकानों में पानी कब से और कैसे भर गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--अभी इस विषय पर कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मकानों का नुक्सान हुआ है उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही क्या हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें कार्यवाही यह हो रही है कि इंजीनियर्स गये थे उन्होंने देखा कि किस वजह से नुक्सान हुआ है और कितना हुआ है और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वह रिपोर्ट देंगे। लोगों ने मुआवजा मांगा है उस पर कार्य हो रहा है कि लोगों को मुआवजा दिया जाय या नहीं, इन्हीं सब बातों पर गौर हो रहा है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कारणों का पता लगाने और शीघ्र ही कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव करते ह ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, कार्यवाही हो रही है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों में पानी भर जाने की खबर उनको कब लगी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह जो वहां रहते थे उन्होंने इत्तिला दी कि पानी भर रहा है उस समय मालूम हुआ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिन हुए खबर लगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक खयाल है ३–४ महीने हुये हैं।

तहसील मोठ, जिला झांसी में निर्मित नहरों की जमीन का मुआवजा

*८७—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५२–५३ में मोठ तहसील, जिला झांसी के किस-किस ग्राम से नहर या माइनर निकाली गई ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई विवरण-पत्रिका में यह सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५७ पर)

*८८—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त नहरों व माइनरों में किसानों की फसल वाली जो भूमि ली गई उसका क्षेत्रफल कितना है ?

श्री राममूर्ति—इन नहरों व माइनरों के बनाने में कुल १३५·७३२ एकड़ कृषि योग्य भूमि ली गई।

*८९—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९५२–५३ म मोठ तहसील, जिला झांसी में नहर या माइनर निकालने के लिये जो भूमि किसानों की ली गई है उसका मुआवजा अभी तक उसने दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—किसानों को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा देने के लिये सरकार ने हाल ही में स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अधिकारी नियुक्त किये हैं। उनको आदेश भी जारी किये हैं कि मुआवजा शीघ्र दिया जाय।

श्री गज्जूराम—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रति एकड़ क्या मुआवजा सरकार ने देने की व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति—इसके जो रूल्स बने हुए हैं उसके लिहाज से जमीन के अनुसार दिया जाता है।

सादाबाद, जिला मथुरा की पशु-बधशाला को हटाने की आवश्यकता

*९०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सादाबाद (मथुरा) में जानवरों की कट्टी जो अलीगढ़-आगरा मुख्य सड़क पर स्थित है और वह बस्ती से एक फर्लांग भी दूर नहीं है, और इस कारण पड़ोसी मकानों की छतों तथा घरों में पशुओं की छोटी हड्डियां तथा गले-सड़े मांस के टुकड़े चील तथा अन्य पक्षी डाल जाते है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

**९१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कट्टीघर अभी तक शहर से दूर क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—टाउन एरिया सादाबाद की वर्तमान सीमा के अन्तर्गत कोई उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण पशु-बधशाला अभी तक किसी दूसरे स्थान पर नहीं हटाई जा सकी।

जौनपुर जिले में मड़ियाहूं-जलालगंज सड़क की खराब हालत

*९२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में मड़ियाहूं से जलालगंज तक की सड़क की दशा अत्यन्त शोचनीय है और बरसात में उस पर इतना पानी जमा हो जाता है कि आवागमन अत्यन्त कठिन हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार उसके सुधारने के लिये क्या कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, यह सही है कि जलालगंज से मड़ियाहूं जाने वाली कच्ची सड़क की हालत अच्छी नहीं है और उस पर बरसात में पानी भी इकट्ठा हो जाता है। इस सड़क की दशा सुधारने के हेतु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जौनपुर का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतना फंड नहीं है कि वह सड़क की देखरेख अच्छी तरह से कर सके तो सरकार उसे अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार ने पिछले वर्ष में अनुदान दिया है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क को मंत्री जी ने लिया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी सूचना तो इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया है तो क्या इसके लिये कोई फंड है उसकी तरफ आकर्षित किया है या वैसे ही ध्यान आकर्षित किया है कि यह बना दी जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—फंड तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास होता ही है लेकिन इस दफा सरकार ने उनको जो सड़कें बाढ़ के कारण खराब हो गई हैं उनको ठीक करने के लिये अनुदान दिया है।

गोंडा जिले में श्रावस्तीनगर से सम्बद्ध बलरामपुर, बहराइच सड़क के संबंध में शिकायत

*९३—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को पता है कि गोंडा जिलान्तर्गत प्राचीन श्रावस्तीनगर (बौद्ध तीर्थ) को ले जाने वाली सड़क

नोट—तारांकित प्रश्न ९३ श्री रामकुमार शास्त्री ने पूछा।

बलरामपुर-बहराइच पर ओड़ीझार और श्रीवस्तीनगर के बीच पहले से ही तीन पुल बहुत तंग बने हुये हैं जिस पर दो बैलगाड़ियां या दो कारें साथ-साथ नहीं गुजर सकतीं और बुद्ध जयन्ती के अवसर पर हादिसा होने की संभावना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस सड़क पर ओड़ाझार के निकट ३ पुलियां हैं जिन पर दो बैलगाड़ियां अथवा दो कारें एक साथ नहीं निकल सकती हैं परन्तु इससे कोई दुर्घटना होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि एक समय में एक से अधिक गाड़ी इन पुलियों पर चलाने की अनुमति नहीं रहेगी।

*९४--**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)--[१४ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले में राप्ती नदी पर बनने वाला सिसई घाट का पुल

*९५--**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मन्त्री जी बतायेंगे कि गोंडा जिला में बलरामपुर-तुलसीपुर सड़क पर राप्ती नदी का सिसई घाट वाला पुल बनाने के लिये केन्द्रीय-सरकार ने आधी धनराशि देना स्वीकार किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

गाजीपुर जिले में गंगा पर निर्मित पुल पर व्यय

*९६--**श्री भोलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में गंगा पर जो पुल पीपे का इस वर्ष बना है, उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्रित की जा रही है। उसके उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जायगा।

बस्ती-बढ़नी सड़क पर अपूर्ण निर्माण कार्य

*९७--**श्री रामलखन मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई बस्ती-बढ़नी रोड की पूर्ति अब तक नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, सड़क पर कुछ कार्य शेष रह गया है। सामान तथा मजदूरी आदि के मूल्य बढ़ जाने के कारण इस सड़क का कार्य अनुमानित व्यय के अन्तर्गत पूरा नहीं हो पाया है।

*९८--**श्री रामलखन मिश्र** (अनुपस्थित)--उपर्युक्त सड़क को पूरे तौर से सीमेंटदार बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस सड़क को सीमेन्टदार बनाने की अभी कोई योजना नहीं है। कार्य की स्वीकृति के पश्चात् यह बताया जा सकेगा कि इसमें कुल कितना समय लगेगा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा कर के आगामी बरसात के आने के पहले उस सड़क को बनवा देने की कृपा करेगी ?

नोट--तारांकित प्रश्न ९७-९८ श्री शिवनारायण ने पूछे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने कहा यदि आपका आशय प्रश्न संख्या ९७ वाली सड़क से है तो एस्टीमेट्स बहुत बढ़ गये और उसी के कारण वह फिर सरकार के पास भेजा गया है । जब एस्टीमेट तैयार हो जायगा और उसको स्वीकार कर लिया जायगा तब उस पर कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह कार्य अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---नहीं, ऐसा खयाल न करें । जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसी में हो जायगा ।

*९९-१००---**श्री गंगाप्रसाद सिंह**---[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुरादाबाद-कांठ सड़क को पक्का करने का कार्य

*१०१---**श्री खयालीराम** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद-कांठ सड़क को पक्का बनाने का कार्य कितने वर्षों से हो रहा है तथा अब तक कितने मील सड़क पक्की बन पाई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस सड़क को पक्का बनाने का कार्य १९४९ से हो रहा है । अब तक १ मील ६ फर्लांग कोलतार के तथा ४ मील पक्के सीमेन्ट कन्क्रीट ट्रैक के बन चुके हैं ।

*१०२---**श्री खयालीराम** (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि सड़क का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और उसको बनाना अब कब प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९४९ में इस सड़क पर केवल सीमेंट कांक्रीट बनाने का निश्चय किया गया था । सन् १९५४ में इस सड़क को ९ फुट चौड़ी तथा १९५५ में १२ फुट चौड़ी डामर की बनाने का प्रस्ताव आया है । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और जब तक कोई निर्णय न हो कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (ज़िला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस सड़क की लम्बाई क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---लम्बाई तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जो लागत शुरू में आंकी गई थी वह ६,३६,००० रुपया थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस स्लो प्रोग्रेस की क्या वजह है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसमें श्रीमन्, हुआ ऐसा कि प्रारम्भ में ६,३६,००० रु० की सी० सी० ट्रक बनाने की योजना थी और क्योंकि सीमेंट और मजदूरी की कीमत कुछ बढ़ी तो फिर इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट १०,६१,००० रु० का स्वीकार किया गया और जब यह कार्य आरम्भ हो रहा था तो सन् ५४ में माननीय वित्त मंत्री जो उधर आये हुए थे । उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ९ फुट डामर की सड़क बनाना चाहिये । फिर इसके पश्चात् यह हुआ कि १२ फुट बनाना चाहिये और इसमें समय लगा और इसका जो एस्टीमेट बार-बार रिवाइज करना पड़ा, इसमें भी समय लगा ।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

नोट---तारांकित प्रश्न १०१---१०२ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सामान का अधिक मूल्य था और जितना रुपया मंजूर हुआ था उससे काम नहीं चलता था, इसलिये रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाना पड़ा।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह कई प्रस्ताव जो सड़कें बनाने के विचाराधीन हैं उनमें कब तक निश्चय हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—निश्चय तो प्रायः हो चुका है और दीबारा कार्य प्रारंभ होने की बात है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि १० लाख का जो एस्टीमेट हुआ है यह सीमेंट की सड़क का हुआ है या तारकोल का हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१० लाख का एस्टीमेट तो ९ फिट चौड़ी तारकोल की सड़क का था, लेकिन अब १२ फिट चौड़ी की बात हुई तो दोबारा १२,४६,००० रु० का एस्टीमेट आया ?

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के पंचायती चुनावों में मारपीट

*१०३—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में कुल कितनी गांव सभायें हैं और किन-किन तारीखों में उनका चुनाव कराया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—तहसील शाहगंज में कुल ४३५ गांव सभायें हैं जिनमें १३ दिसम्बर से २३ दिसम्बर एवं ३० दिसम्बर, १९५५ को चुनाव तथा २७ जनवरी से ३१ जनवरी, १९५६ तक उप-चुनाव कराया गया।

*१०४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्राम सभाओं के चुनाव में शान्ति स्थापित की क्या व्यवस्था की गयी थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—चुनाव स्थलों पर पुलिस की सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त झगड़े की आशंका वाले स्थानों पर पुलिस का विशेष प्रबन्ध था। चुनाव कार्य को शान्तिपूर्वक सम्पादित करने के लिये जिले के अधिकारियों ने चुनाव-स्थलों का दौरा भी किया था।

*१०५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला के किन-किन स्थानों में चुनाव के समय में मारपीट तथा फौजदारियां हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस जिले की तहसील जौनपुर की गांव सभा जलालपुर, थाना सरायख्वाजा में दिनांक १५ दिसम्बर, १९५५ को मारपीट हुई थी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस २७ जनवरी से ३१ जनवरी सन् १९५६ तक कितने उपचुनाव कराये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह ब्योरे का प्रश्न है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उपचुनाव किन-किन कारणों से कराये गये ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उसी सिलसिले में ब्यौरा मांग रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव सभा जलालपुर, थाना सरायख्वाजा की मारपीट का क्या कारण है और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—चुनाव के समय आपस में जोश पैदा हो जाता है जिससे झगड़ा वगैरह होने की संभावना पैदा हो जाती है । इससे वहां झगड़ा हुआ । कुछ लोगों को पकड़ा गया और पकड़ कर उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

बाराबंकी-हैदरगढ़ व राजघाट सड़कों की खराब हालत

*१०६—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में बाराबंकी-हैदरगढ़ रोड एवं सिद्धौर-देवीगंज होते हुये राजघाट रोड की दशा अत्यन्त शोचनीय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका प्रान्तीयकरण करने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सड़कें जिला बोर्ड के आधीन हैं तथा इनकी दशा खराब है किन्तु इनके भलीभांति रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला बोर्ड पर है ।

इस समय बाराबंकी-हैदरगढ़ सड़क के १९ मीलों का प्रान्तीकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । दूसरी सड़क के प्रान्तीयकरण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में सिद्धौर-देवीगंज और राजघाट सड़क जिसकी दशा अत्यन्त खराब है और जो जिला बोर्ड के अधीन है क्या सरकार उस सड़क को बाढ़ क्षेत्र में लेकर बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं है । यदि वह बाढ़ग्रस्त विभाग में ली जा सकती है नियमानुकूल तो वह जरूर ले ली जायगी ।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी हैदरगढ़ रोड जो १९ मील बनना सरकार के विचाराधीन है वह कब तक निश्चय हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत शीघ्र ।

गोमती नदी पर नेपुरा घाट पुल के निर्माण के लिये टेण्डर

*१०७—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या निर्माण मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि गोमती नदी पर नैपुराघाट पुल जो कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है उसका निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस पुल के निर्माण कार्य के टेन्डर विचाराधीन हैं । उन पर निर्णय होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि बाराबंकी में नैपुराघाट पर जो पुल स्वीकृत हुआ है और जिसके टेंडर होने वाले हैं, वह कितने दिनों में बनना आरम्भ हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—टेंडर स्वीकृत हो जाने के बाद ही ठेकेदारों से कहा जायगा कि वे कार्य आरंभ करें ।

बाराबंकी जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों और पुलों का निर्माण

*१०८—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिलेमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी और कौन-कौन सड़कों एवं पुलों का निर्माण हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बाराबंकी जिले में पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण हुआ :

(अ) पुनः निर्माण:—

	मील	फर्लांग	फ़िट
१—हैदरगढ़-रामसनेहीघाट सड़क	२	४	३९०
२—देवा-फतेहपुर सड़क	१	०	३२४
३—बाराबंकी-मसौली सड़क	१	३	०
	५	०	५४

(ब) सीमेन्ट कांक्रीट ट्रैक्स

बाराबंकी जहांगीराबाद सड़क	४	०	०

(स) कच्ची सड़कों का निर्माण

१—सुबेहा -चौबीसी सड़क	८	०	०
२—मोहम्मदपुर-सिद्धौर सड़क	६	०	०
३—मदई-बसोरही सड़क	३	१	०
४—चमरौली-दरियाबाद सड़क	६	६	०
५—फतेहपुर-रामनगर बदोसराय-टिकैतनगर सड़क ..	२८	०	०
६—बजगहनी-टिकैतनगर सड़क	९	३	०
७—बदोसराय-सफदरगंज सड़क	९	४	०
८—देवा-चिनहट सड़क	१०	०	०
९—बिन्दौरा-तिलोकपुर सड़क	४	०	०
१०—फतेहपुर कतुरी सड़क	७	२	०
	९२	०	०

उपर्युक्त सभी कच्ची सड़कें जिला बोर्ड, बाराबंकी को रख-रखाव के लिये हस्तान्तरित कर दी गई हैं।

अलीगढ़ जिले की मुरसान टाउन एरिया के सदस्यों का त्याग-पत्र

*१०९—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश अलीगढ़ के पास आज से दो महीने पूर्व मुरसान (अलीगढ़) टाउन एरिया के ८ में से ६ सदस्यों के त्यागपत्र आये थे ?

श्री सैयद अली जहीर—जिलाधीश के पास अक्टूबर सन् १९५४ में टाउन एरिया कमेटी मुरसान (अलीगढ़) के ६ सदस्यों के शर्तिया त्याग पत्र (conditional resignation) आये थे।

*११०—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस टाउन एरिया का टैक्स वसूल नहीं हो रहा है और नाली, सड़क, रोशनी तथा शिक्षा आदि पर कुछ भी व्यय नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसके संचालन के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री सैयद अली जहीर---टैक्स वसूल तो हो रहा है किन्तु कम। इसी कारण नाली सड़क रोशनी आदि पर धन व्यय नहीं किया जा सका, शिक्षा के हेतु कमेटी के आय व्ययक (budget) में कोई प्राविधान नहीं किया गया।

टाउन एरिया कमेटी के कार्य की जांच की जा रही है। जांच हो जाने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री वस्तीनगर, जिला गोंडा में बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर प्रबन्ध

*१११---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित) क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि २५०० वीं बुद्ध जयन्ती के उपलक्ष में श्रावस्तीनगर (सहेट-महेट) में आयोजित वृहद मेले के अवसर पर आये हुये विदेशी यात्रियों की सुख सुविधा के लिये क्या-क्या निर्माण कार्य सम्पादित हो रहे हैं और उसमें प्रदेशीय सरकार कितना व्यय कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बुद्ध जयन्ती समारोह के संबंध में श्रावस्तीनगर में बलरामपुर रेलवे स्टेशन से सहेट-महेट तक १२ मील लम्बी सड़क का निर्माण तथा श्रावस्ती में पुरातत्व संबंधी सुधार किये जा रहे हैं। इन कार्यों पर होने वाले कुल व्यय केंद्रीय सरकार वहन कर रही है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार वहां पर जो मेला होने जा रहा है उसमें पीने के पानी का कोई बन्दोबस्त कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, पानी का भी बन्दोबस्त किया जा रहा है, चिकित्सा और सफाई का भी प्रबन्ध किया जा रहा है और प्रांतीय सरकार इस व्यय को वहन कर रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---माननीय निर्माण मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि जो यह वृहद आयोजन मेला लगाने का है, वह किस मास में लगेगा और उसकी निश्चित तारीख कौन सी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मई के अंतिम सप्ताह में ही, संभवतः २३ मई में।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें केंद्रीय सरकार की ओर से कितना रुपया खर्च किया जा रहा है और इस सारे काम को केंद्रीय सरकार खुद करवा रही है या प्रादेशिक सरकार के अफसरान करवा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---४,८०,००० रुपया सड़क आदि के निर्माण में केंद्रीय सरकार से प्राप्त हुआ और पुरातत्व संबंधी सुधारों में एक लाख रुपया केंद्रीय सरकार ने दिया और यह कार्य प्रांतीय सरकार के द्वारा कराया जा रहा है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, वहां यात्रियों के ठहरने के लिये भी सुविधा होगी ?

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतना रुपया जो वहां खर्च हो रहा है वह सब प्रांतीय सरकार की ओर से खर्च हो रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सड़क का निर्माण और पुरातत्व संबंधी सुधार जो हो रहा है उसमें तो प्रदेशीय सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन वहां पर निश्चित प्रबन्ध चिकित्सा तथा सफाई और प्राधिकारी तथा पुलिस का प्रदेशीय सरकार कर रही है और उसमें ६०,००० रुपया खर्च होगा।

नोट:---तारांकित प्रश्न १११ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल का जो रुपया खर्च हो रहा है उसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी खर्च कर रहे हैं या कोई और ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

अतारांकित प्रश्न

ट्यूब वेल डिवीजन , बस्ती में कथित गबन

१--श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के (Executive Engineer, Tube-well) ने यहां के नलकूप (Tube-well) विभाग में कुछ गबन आदि किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो वह क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ट्यूब वेल डिवीजन बस्ती में गबन या किसी गड़बड़ी आदि की कोई सूचना सरकार को नहीं प्राप्त हुई ।

विधान सभा के गिरफ्तार सदस्यों को २४ घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित न करने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--श्री राम सेवक यादव ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे पास भेजा था। उसके संबंध में मैं इजांजत दूं या न दूं इसके लिये मैंने यह कहा था कि दो, तीन दिन बाद मैं इसका निर्णय दूंगा जबकि पहिले मैं इस विषय में जानकारी हासिल कर लूं कि आया उन्होंने जो बातें विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में लिखी हैं कि श्री राजनारायण जी आदि ६ माननीय सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद २४ घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया, जैसा कि संविधान के अनुसार आवश्यक है, वे सही हैं या नहीं ? मैंने यह कहा था कि इस जानकारी हासिल करने के बाद मैं कोई निश्चय इस संबंध में करूंगा कि आया इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं हुई है । प्राइमाफेसी यानी प्राग्दर्शन में आया विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं हुई है इस बात का निर्णय करने के पश्चात् मैं इजाजत देने की बात सोच सकता हूं । मैंने इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी हासिल की और उन्होंने लिखा है कि उनको जो हर एक के बारे में सूचना मिली है वह यह है कि वहां मैजिस्ट्रेट मौजूद थे और इम्मिजिएटली आफटर अरेस्ट उन सदस्यों को मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया, उसमें कोई २४ घंटे का सवाल नहीं था, उनको तत्काल उपस्थित किया गया, यह उनकी ओर से सूचना है और माननीय रामसेवक यादव जी ने न तो इस पत्र के साथ उन माननीय सदस्यों की तरफ से कोई पत्र, चिट्ठी या कोई ऐसा कथन भेजा बल्कि जो कुछ उन्होंने सुना उसको सुनकर इस तरह की बात सदन में उठा दी तो उनके पास कोई सबूत वगैरह नहीं था इस कारण कोई उसका प्रतिवाद करने का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि जो मुख्य मंत्री जी ने सूचना दी उसको सही मानकर ही चलना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में काम-रोको प्रस्ताव में बयान किये हुये वाकयात के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है, विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, यह प्रथम दर्शन या प्राइमाफेसी दिखायी नहीं देती इसलिये मैं इस प्रश्न को उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं और न सदन का ध्यान आकर्षित करने की।

एक बात इस विषय में और भी कहना है कि जहां तक इस सदन का फौजदारी मामलों में अधिकार है वह तो यही जानकारी हासिल करने का है कि अगर किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया हो तो शीघ्र ही इसकी सूचना विधान सभा के अध्यक्ष को दे दी जाय। गिरफ्तारी की वैधता या अवैधता के प्रश्न में यह सदन

[श्री अध्यक्ष]

नहीं जाता बल्कि यह अदालतों का अधिकार होता है। जब कभी ऐसे विषय उपस्थित हों तो मैं समझता हूं वे अदालत ही में उपस्थित होने चाहिये और अगर संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई हो तो अदालत में या रिट के जरिये यह सवाल उठाया जाय तो उचित हो सकता है लेकिन यह सदन इस विषय में अदालत का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है। इतना मैं इस विषय के संबंध में और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया उसके संबंध में अब इस समय तो मैं कोई टीका नहीं करना चाहता लेकिन केवल एक निवेदन मैं कर देना चाहता हूं।

एक बात यह कि माननीय सदस्य जो जेल में गये उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें यह बात प्रमाणित हो सके २४ घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किये गये या नहीं। मैं इतना ही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर उन माननीय सदस्यों को इस बात की शिकायत हो कि संविधान के अनुसार उनको २४ घंटे के अन्दर पेश नहीं किया गया तो उनके लिये खुला रास्ता आप छोड़ें कि आपके सामने वे इस मामले को वे रख सकें। एक तो यह निवेदन आपसे करना चाहता था। दूसरी बात यह कि जो दूसरी व्यवस्था आपने दी कि जहां पर संविधान के प्रतिकूल या कानूनी मामलों में कोई त्रुटि हुई हो और उसके अनुसार माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया हो तो उसमें मैं ऐसा समझता हूं कि आप इसको फायनल न कर दें। इस पर विवाद है यह मैं मानता हूं लेकिन हमारे जो विशेषाधिकार हैं वे विशेषाधिकार इंगलैन्ड की पार्लियामेंट से मिले जुले हैं। तो उसमें अब भी हमको यह संदेह हो कि सदन को इस बात का अधिकार है कि जहां पर कानून के मामले में.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस विषय में यह प्रश्न जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। इसी कारण मैंने इस विषय में यहां पर मालूमात की बिना पर कुछ निर्णय दे दिया है कि वाकयात की अनिश्चितता की वजह से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। लेकिन दूसरा निर्णय मेरी जो राय है मैंने बाद में इसलिये अलग दे दिया कि यह प्रश्न अदालत में ही उठाया जाना चाहिये था, क्योंकि संविधान के किसी परिच्छेद की अगर अवहेलना हुई है तो तत्काल ही हैबियस कार्पस की एप्लिकेशंस देकर उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न होता है, अगर कोई अवैधानिक रीति से गिरफ्तार होता है। इसे यह सदन नहीं कर सकता। क्योंकि यह कानूनी प्रश्न है अगर मेरे कमरे में आकर आप कोई रास्ता दिखलायें तो मैं विचार करूंगा इस सदन के हर एक विशेषाधिकार की रक्षा करने के लिये और हरएक माननीय सदस्य के जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा करने का मैं समझता हूं कि मेरा कर्त्तव्य है। अधिक से अधिक मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जहां ऐसे अधिकारों की अवहेलना हो तो उसे रोकूं क्योंकि सदन की सेवा से किसी माननीय सदस्य को बंचित करना मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी अपराध सा होता है। प्रथम दर्शन में यही बात मालूम होती है और इसी कारण उस सेवा से जहां तक वे बंचित न हो सकें उसका प्रयत्न मैं वैधानिक रीति से करूंगा। परन्तु फौजदारी मामलों में, जुर्म करने के मामले में या कानून तोड़ने के मामले में यदि कोई प्रश्न इंगलैन्ड में विशेषाधिकार का नहीं समझा जाता, तो मैं कोई यहां नया विशेषाधिकार नहीं जोड़ सकता हूं यह भी साथ-साथ विशेषाधिकार के विषय में सीमा निर्धारित है।

लोक-लेखा समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब लोक-लेखा समिति के २० सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में २१ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। नाम वापस लेने का समय ३० अप्रैल, १९५६ को ५ बजे तक था। समय के भीतर श्री गोवर्द्धन तिवारी जी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अतः अब २०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थानों के लिये २० ही नाम रह गये हैं। इसलिये अब इन्हें मैं विधिपूर्वक निर्वाचित घोषित करता हूं ––

१––श्री मकसूद आलम खां
२––श्री वीरसेन
३––श्री दीनदयालु शास्त्री
४––श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
५––श्री अशरफअली खां
६––श्री श्रीचन्द्र
७––श्री अजीज इमाम
८––श्री बेचनराम गुप्त
९––श्री झारखंडेराय
१०––श्री द्वारका प्रसाद मौर्य
११––श्री मथुराप्रसाद पांडेय
१२––श्री देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह
१३––श्री रामदुलारे मिश्र
१४––श्री नारायणदास
१५––श्री श्यामलाल
१६––महाराजकुमार बालेन्दुशाह
१७––श्री मदन मोहन उपाध्याय
१८––श्री लक्ष्मणराव कदम
१९––श्री जोरावर वर्मा
२०––श्री रामदास

१४ मार्च, १९५६ की माल विभाग की विज्ञप्ति*

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)––श्रीमन्, मैं माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८८७/१–स–३२६–सी–५५, दिनांक १४ मार्च, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में कृत संशोधन

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)––श्रीमन्, मैं माल (अ) विभाग विभाग की विज्ञप्ति संख्या २२२१–अ।र/१–अ–१०४२–५५, दिनांक १० जनवरी, १९५६ जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

†१९५२–५३ का विनियोग और वित्त लेखा तथा तत्सम्बन्धी आडिट प्रतिवेदन

स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)––श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का १९५२–५३ का विनियोग और वित्त लेखा तथा तत्संबंधी आडिट प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

†मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में कृत संशोधन

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)––श्रीमन्, मैं वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७०४–टी–एम/३०–११५७–टी–५२, दिनांक २३ फरवरी, १९५६ जिसके द्वारा मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।
†छापे नहीं गये।

विभिन्न नियमों पर विचारार्थ तिथि निश्चित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सदन की जो यह नियमावलियां हैं जिन पर सदन विचार करेगा उनको अमेंड करने का भी अधिकार है। उसके लिये कोई तारीख मुकर्रर होनी चाहिये जिससे उनपर विवाद हो सके और संशोधन दिये जा सकें।

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी हासिल करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने दो दिन पहले यह कहा था कि दो-तीन रोज बाद वे बतलायेंगे कि किन तारीखों में इन नियमों के संबंध में विचार इस सदन में किया जायगा। तो इसके लिये कोई निर्णय उन्होंने किया है?

स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)---माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। मेरे ख्याल से कल इस बात की सूचना दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---कल वे आ जायेंगे? मुझे यह सूचना मिली है कि ४ को आयेंगे। तो मैं समझता हूं कि ४ तारीख तक कम से कम आप इस बात को नोट कर लें और उनसे बात करके सदन को इस बात की सूचना मिलनी चाहिये कि कौन सी तारीख निश्चित है क्योंकि सदन को इस बात का आश्वासन दिया गया था। इस बीच में माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा कि १५ रोज के अन्दर अपने संशोधन जो हैं कृपा करके वे मेरे पास भेज दें, मैं संशोधनों को इकट्ठा कर रहा हूं। जिन अधिनियमों में यह लिखा है कि सदन चाहे तो नियमों को संशोधित कर सकता है तो उन नियमों के बारे में जो संशोधन हो उन्हें माननीय सदस्य मेरे पास भेज दें।

*उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---नियोजन उपमंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा। माननीय गेंदासिंह जी अपना भाषण जारी रक्खेंगे।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को विचार करने के लिये जब सदन के सामने लाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह पूछना मुनासिब ही होगा कि आखिर यह गन्ने पर सेस क्यों लगाया जा रहा है। यह जवाब दिया जा सकता है कि गन्ने पर सेस ३७-३८, ३८-३९ में लगा दिया गया था और तब से लगता चला आ रहा है। फिर आज क्यों यह प्रश्न उठाया जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, इसलिये यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये और स्वयं सरकार ने यह कहा कि इस कानून की वैधता के बारे में शंका उत्पन्न हो गई है अदालतों में। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसकी अनिवार्यता, इसकी आवश्यकता इसकी सब चीजों पर शंकायें उत्पन्न की हैं और बहुत ही जोरदार शब्दों में यह भी कहा है कि इसको नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं इस अवसर पर यह समझता हूं कि सरकार को उन सारी बातों को स्पष्ट करना चाहिये। अदालतों में वैधता को शंका उठ सकती है। वह तो यह हो सकता कि केवल शब्दावली में फर्क होने से शंका उठ जाय। हिन्दुस्तान की सरकार ने १९५० में एक टैरिफ बोर्ड बिठाया। उसकी रिपोर्ट आयी और उसमें हमारे देश के कुछ बड़े लोग जो इस बात के विशेषज्ञ हैं, शुगरइंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं उनके मत के मुताबिक ऐसा था कि इस कच्चे माल पर

---

*२६ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेस नहीं लगना चाहिये। मैं आपकी इजाजत से इस सदन में दो, तीन वाक्य पढ़ना चाहता हूं। उस टैरिफ बोर्ड की रिपार्ट से। इस रिपार्ट के १४० पृष्ठ पर दिया हुआ है--

"It is an accepted cannon of taxation that raw materials of industry should be exempted from tax though a small cess may be imposed on such raw material only if it is intended for the purpose of improving its yield or quality or marketing."

यह इन का मत है। तो अब इसका जवाब भी तो यू० पी० सरकार को देना पड़ेगा कि वह इस काम के लिये अगर चार आने कहती है, अपने बिल में वह चार आने मन शुगरकेन सेस लगाना चाहती है।

१९५० के बाद यू० पी० की गवर्नमेंट ने कभी यह नहीं कहा पब्लिक में कि हम को इस सेस के लगाने की यों आवश्यकता पड़ी। तो मैं सोचता हूं कि सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिये। मैं सोचता हूं और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था। मैं सरकार का कुछ दोषी भी ठहराना चाहता हूं। सरकार ने १९४८-४९ तक १० करोड़ ७८ लाख रुपये शुगरकेन सेस का इकट्ठा किया और १० करोड़ ७८ लाख रुपये में से उसने एक छोटी सी रकम जो एक चौथाई भी नहीं है, एक तिहाई भी नहीं है। बहुत छोटी सी रकम उसने केन डेवलपमेंट के काम के लिये छोड़ी। अगर उस सारी रकम का या उसकी अधिकांश रकम को केन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया होता, तो अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार को जो ७ लाख टन चीनी विदेशों से मंगानी पड़ी है, उसके लिये हमको करीड़ों रुपये अपने फारेन एक्सचेंज के गवाने पड़े हैं, यह गंवाने नहीं पड़ते। केवल इसलिए कि हमारी यू० पी० की शुगर फैक्टरियां इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि एक वर्ष में दस लाख टन सारे देश भर में चीनी पैदा हो। १९५४-५५ में अध्यक्ष महादय, नौ लाख टन से कुछ ज्यादा चीनी अकेले यू० पी० ने पैदा किया। तो सिर्फ यू० पी० की फैक्टरियां नौ लाख टन से भी ज्यादा चीनी पैदा कर सकती हैं। और अगर वह चीनी पैदा कर ली होती यू० पी० की फैक्टरियों ने तो इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि रा चीनी खरीदकर अपने देश में रिफाइनरी लगाने की बात गवर्नमेंट आफ इंडिया सोचने लगे। तो हमारी बहुत बड़ी तरक्की हुई होती और उत्तर प्रदेश सारे देश को चीनी पहुंचाने में सफल हुआ होता। क्यों नहीं सफल हुआ? यह कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि नौ लाख टन चीनी क्यों पैदा हो गयी पिछले वर्ष। इसलिये हो गयी कि जिस वर्ष गन्ना पैदा नहीं हो सकता उस वर्ष नौ लाख टन चीनी क्या बहुत कम चीनी पैदा कर सके।

मैं यह दोष लगाना चाहता हूं कि सरकार ने अगर उस रकम को खर्च किया होता तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश का उसने भला किया होता, बल्कि उसने समूचे भारतवर्ष का भला किया होता और जितने चीनी उपभोक्ता हैं उनको ज्यादा पैदा देने के लिये मजबूर न किया होता। चीनी का उपभोक्ता लाभ उठाता क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया यह कहती है जब यह सवाल उठता है कि चीनी आप बाहर से क्यों मंगाते हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया कहती है कि चूंकि चीनी का उत्पादन कम होता है हमारे देश में इसलिए बाहर से चीनी मंगा कर यहां पर चीनी को ऊंचे कीमत पर बेंचने से रोकने की जरूरत होती है। हमें जरूरत इस बात की है, पिछले वर्ष भी सात लाख टन चीनी और ज्यादा हमारे देश में पैदा हो, खंडसारी और सब चीजों को मिला कर पांच लाख टन चीनी बाहर से आयी। २२ लाख टन चीनी भरी थी जब कि सीजन शुरू नहीं हुआ था। लेकिन २२ लाख टन से ज्यादा चीनी रहने के बावजूद भी २७ रुपये मन से ऊपर ही, २८ रुपये कभी, कभी ३२ रुपये मन तक चीनी बिकती है। तो जब हम इंडिया

[श्री गेंदा सिंह]

गवर्नमेंट को इस बात को दोष देते हैं कि वह चीनी बाहर से क्यों मंगाते हैं तो वह यही कहते हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस रकम का लोभ नहीं करना चाहिए। अगर इस रकम को जनरल रेवेन्यू में न ले जाकर उसने केन डेवलपमेंट में इसको खर्च किया होता तो आज अवस्था दूसरी होती। एक सब से गम्भीर बात की ओर मैं संकेत करता हूं। अगर आज हम चीनी को सेल्फ सफीशेंट उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग किये होते, समूचे देश के लिए तो बम्बई और आसाम के लोगों को और दूसरे प्रदेशों के लोगों को इस बात की आवश्यकता महसूस न होती उनको स्वयं चीनी पैदा करने की। आखिर, भारत, आजाद भारत है। अगर गेहूं पंजाब में पैदा होता है तो गेहूं वहां से लाकर खाना पड़ेगा। समूचा भारत एक इकाई है। उसमें कहीं पर अगर नमक नहीं पैदा होता है, यू० पी० में नहीं पैदा होता है, तो फिर सांभर और दूसरी जगहों से नमक मंगाकर खाना पड़ेगा और जहां भी वह सस्ती कीमत पर तैयार हो सके उसका प्रबन्ध वहां करना चाहिए।

यह बात सोची जा सकती है कि सस्ती कीमत पर तो बम्बई में चीनी तैयार हो सकती है। लेकिन हमारे यहां चीनी की फैक्टरियां पहले से लगी हुई हैं। उनके उठाने से हमारी तिजारत बरबाद हो जायगी, बेकारी बढ़ जायगी। अगर इस बात का ध्यान रखते तो उस रकम का लोभ नहीं करते और आज फिर यह प्रश्न बार-बार उठता है कि जो इस कानून से पांच करोड़ रुपये के लगभग इस केन सेस से प्राप्त होगा उसको सरकार कैसे खर्च करेगी। यह प्रश्न बड़ा महत्व रखता है।

आज भी मैं कहता हूं कि पिछले वर्षों की बात हम छोड़ दें, इस वक्त से भी सरकार यह कहे कि पांच, चार करोड़ रुपया जो कुछ भी रुपया केन सेस से प्राप्त करेंगे सारा का सारा रुपया अगर नहीं तो हम इस बात के लिए भी राजी हैं और सदन राजी हो सकता है कि कुछ रुपये दूसरे काम के लिए भी सरकार खर्च करे। लेकिन उसका अधिकांश भाग उस काम के लिए लिया जाय जिससे गन्ने की उपज बढ़ सके और हमारे सूबे भर की जितनी फैक्टरियां हैं उनको भूख भर गन्ना मिल सके, जितना वह पेरना चाहती हों, उतना गन्ना मिल सके। तो फिर उनकी तस्वीर दूसरी होगी और अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी आप देखें कि हमारी पश्चिम की फैक्टरियां जून तक चलेंगी और किसान बुरी तरह से परेशान है। किसान इस वक्त बेहोश है, बदहोश है, उसके होश-हवाश उड़ गये हैं कि वह जून तक गन्ना खड़ा रखकर किस तरह से इन फैक्टरियों को देगा और अपने ही सूबे में आधी फैक्टरियां पूर्वी जिलों में ३१ मार्च, या ३१ मार्च से कुछ बाद बन्द हो गयी हैं। अगर इस पांच करोड़ रुपये की रकम से सरकार ने यह बन्दोबस्त किया होता कि किसान का गन्ना एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। सीतापुर का गन्ना गोंडा पहुंचाने की कोशिश की जाय। गोंडा और सीतापुर दोनों छोटी लाइन पर हैं। सरकार कुछ खर्च को बरदाश्त करे और अगर सीतापुर से गोंडा पहुंचाये और पश्चिमी जिलों से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नैनीताल के जिलों से उन मिलों को पहुंचाये जहां पश्चिमी जिलों की अपेक्षा कम गन्ना जाता है तो मैं समझता हूं कि यह मुसीबत बहुत कुछ दूर हो सकती है।

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि तुम तो केन्द्रीय सरकार की बात करते हो। मैं कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार, जो पार्टी आज यहां हुकूमत करती है वही पार्टी केन्द्रीय सरकार में हुकूमत करती है। मैं नहीं समझता कि यू० पी० की सरकार ने कभी इस बात को केन्द्रीय सरकार के सामने रखा और केन्द्रीय सरकार ने इनकार कर दिया।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट अगर इन्कार किये होती तो हमको भी रोने-गाने का मौका मिलता। हम भी पार्लियामेंट के मेम्बरों को बदनाम करते। हम भी दिल्ली आते जाते रहते हैं उनसे

[श्री गेंदा सिंह]

कहते कि आप लोगों के लिये मुनासिब था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर जोर डालें । लेकिन कभी भी यू० पी० की सरकार ने इस मसले को सामने नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत करना चाहता हूं कि जब शुगर केन बोर्ड की मीटिंग हुई और यूनानिमसली यह प्रस्ताव पास हुआ कि १५ अक्टूबर से फैक्टरियां चला दी जायं। १५ अक्टूबर से फैक्ट्रियां अगर चली होती तो आज सारी फैक्टरियां बन्द हो जातीं और काम खत्म हो जाता। यह न होता। जैसे आज काश्तकार अभी तक अपना गन्ना खेत में लिये बैठा है और उसकी जमीन खाली नहीं है। दूसरी फसल नहीं बो सकता।

अगर १५ अक्टूबर से फैक्टरियां चली होतीं तो आज किसान दूसरी फसल बोने की तैयारी में होता। लेकिन अब आज वह गन्ना जून तक कटेगा। तो लाखों एकड़ जमीन पर जहां गन्ना खड़ा है उस जमीन पर कोई खरीफ की फसल नहीं बोयी जा सकेगी रबी की फसल हो सकेगी। तो क्या जहां केन सेस से ५ करोड़ रुपया हमारी सरकार, लेना चाहती है वहां काश्तकार की इस दशा का उसको ध्यान नहीं होना चाहिये ?

मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि आज पहली मई से शायद हिन्दुस्तान की सरकार एक हुक्म लागू करे और वह लागू करेगी कि जितने भी गन्ना बोने वाले हैं उनका गन्ना अगर फैक्ट्री में जायगा तो रिकवरी बेसिस पर दाम मिलेंगे। यानी हमारे यहां कभी-कभी ऐसा हुआ है कि ८ आने मन तक ही कीमत मिलती थी। पश्चिमी जिले में डोईवाला के बारे में कह रहा हूं। सहारनपुर का कोई नाम लेता हूं तो इसलिये नहीं कि ठाकुर साहब को कोई उलाहना देता हूं। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि आज इस मौके पर बहुत ही गम्भीर मसले हैं जो कि रिकवरी बेसिस पर गन्ने की कीमत होगी। उसका सरकार क्या उपाय सोच रही है ? गन्ना खेत में सूख गया जो गन्ना दिसम्बर, अक्टूबर और मार्च में जा सकता है वही गन्ना अगर जून में कटेगा तो कितना वजन कम हो जाता है यह आसानी से समझने की बात है। वह तो बर्दास्त किसान कर ही चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो कीमत में कभी होगी उसको भी समझना चाहिये। तो मैं अध्यक्ष महोदय, सरकार को उलाहना दूं तो कोई अनुचित बात नहीं कहता कि आखिर वह कहां से पैसा लेगी। वह पैसा या तो कनज्यूमर के पास से आता है क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ती है या अगर कनज्यूमर से नहीं लेते तो केन प्राइस से उसका सम्बन्ध जुटा हुआ है। तो मैं इस मौके पर यह कहता हूं कि सरकार ने अपने कर्तव्य को नहीं निबाहा। अभी मैं मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि सन् १९५४–५५ हिन्दुस्तान की सरकार ने कीमत मुकर्रर कर दी बम्बई के लिये एक रुपया ५ आने, १ रुपया ७ आने। लेकिन बम्बई की हुकूमत ने यह समझा कि इससे गन्ने की उपज कम हो जायगी जिससे चीनी का उत्पादन बम्बई में कम हो जायगा। इसलिये बम्बई की सरकार ने १ रु० ७ आने के बजाय गन्ने की कीमत १ रुपया ११ आना मुकर्रर की। ४४ रु० टन बम्बई की सरकार ने फिक्स कर दी वहां के मिल मालिकों से आपस में समझौता करा कर। लेकिन यू० पी० की से जिस वक्त हमने कहा, यू० पी० केन यूनियन फेडरेशन ने कहा कि हमको कीमत कम मिल रही है, उत्पादन कम हो जायगा, हम पिछड़ जायंगे तो सरकार ने कहा यहां की कि हम मध्यस्थता करेंगे और इस मामले को तय करेंगे। लेकिन सरकार ने उस मध्यस्थता में किसानों की मदद नहीं की। यहां के मिल मालिक रत्ती भर भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं लेकिन यहां की सरकार ने इस नाम पर कि किसानों की मदद करनी है, उसने कभी कोई मदद नहीं की कि किसानों को दूसरे लोगों से हम लुटने से बचायें....

श्री अध्यक्ष—आप विषयांतर कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश कर रहा हूं कि विषयांतर न होऊं।

[श्री गेंदासिंह]

लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि यह पश्चिम वाले जिलों का ऐसा मसला है कि सरकार का ध्यान इस ओर आना चाहिए और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस मामले में मंत्री जी से भी आप कहें और आपके आदेश से मैं समझता हूं कि सदन को भी इस बात का मौका मिलेगा कि पूरी तरह से छानबीन हो सकेगी। आखीर केन सेस तो मिलेगा तब जब कि फैक्ट्रियों में गन्ना जायगा। अगर फैक्ट्रियों में गन्ना न जाय तो केन सेस नहीं मिल सकता। वह तो तभी मिल सकता है जब कि फैक्ट्री में जाकर वह पेरा जाय। अब केन सेस जो है वह २५ करोड़ मन अगर पिछले साल में फैक्ट्री में गन्ना गया तो २५ करोड़ तीन आने केन सेस के मिल जायेंगे। लेकिन इस वर्ष अगर २५ करोड़ के बजाय २४ करोड़ या २० करोड़ मन ही गन्ना जा सका तो मैं इसमें सरकार की नीयत पर तो कुछ नहीं कहता लेकिन यह सरकार की अदूरदर्शिता जरूर है कि जिसकी वजह से यह केन सेस की रकम कम आयी। अगर इस सरकार ने शूगर केन बोर्ड के फैसले को मनवाने की कोशिश की होती तो उसकी बात को हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को मानना पड़ता। अगर उसके लिए वह कटिबद्ध होती और हम लोगों ने यही फैसला किया था, सरकार से निवेदन किया था कि अगर मिल मालिकान यह कहें कि हमको इस वक्त फैक्ट्री चलाने में घाटा पड़ता है तो हम लोगों ने कहा था और यूनेनिमस फैसला हो चुका था कि सरकार केन सेस में कुछ छूट दे दे और एक्साइज ड्यूटी में कुछ छूट दे दें और छूट देकर के यह गन्ना की फैक्ट्रियां १५ अक्टूबर से चलवा दी जायं। अगर छूट दे दी जाती तो उस केन सेस की रकम से ज्यादा केन सेस की रकम आज वसूल हुई होती। तो मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहता था।

एक बात की तरफ मैं जरूर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखीर क्या वजह है कि बम्बई में या दूसरे मुल्कों में गन्ने की उपज ज्यादा है और क्या वजह है कि यू० पी० में यह उपज घटती जा रही है। यू० पी० की सरकार कहेगी कि हम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत खर्च करते हैं। लेकिन हम तो यह भी कहना चाहते हैं जरा ठाकुर साहब इस बात को साफ करें, क्योंकि ठाकुर साहब बड़ी-बड़ी कमेटियों में रहे हैं जिससे मेरी जानकारी से उनकी जानकारी इस मामले में ज्यादा ही है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आखीर शुगर एक्साइज ड्यूटी से भी तो कुछ रकम डेवलपमेंट के काम को चलाने के लिए मिलती है। उस रकम में से और इस केन सेस की रकम में से सरकार ने कितना खर्च किया। केन सेस की रकम से तो सरकार ने नहीं खर्च किया और ठाकुर साहब जिस कमेटी के मेम्बर थे उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है। उसमें बहुत स्पष्ट यह बात कही गई और खास तौर से जो फैक्ट्रियां कम गन्ना पाती हैं वर्ष में, उनके इलाके में ट्यूबवेल लगाने के लिए पानी पहुंचाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए यह सारे काम करने के लिए कहा गया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो सब से आखीरी कमेटी थी जिसके स्वामीनाथन साहब चेयरमैन थे उस कमेटी की रिपोर्ट को हमें ऐसा लगता है कि किसी ने गौर से पढ़ा नहीं। वह सिर्फ आलमारी की शोभा बढ़ा रही है। अगर इसको पढ़ा गया होता तो उसमें कुछ मिल मालिकों ने भी सलाह दी थी और मैं समझता हूं कि वह किसान के भले की थी। लेकिन उसको किसी ने पढ़ा नहीं। मैं समझता हूं कि वहां पर पानी पहुंचाने के लिये, बेहतर बीज देने के लिए, बेहतर तरीके की खाद पहुंचाने के लिए और एक चीज और कि हमारा गन्ना जल्दी से जल्दी फैक्ट्रियों तक पहुंच जाय, अगर यह बन्दोबस्त होता और इसमें रुपया खर्च हुआ होता तो आज इस सूबे की दूसरी तस्वीर होती।

एक बात मैं संक्षेप में और कहना चाहता हूं कि आखीर वही गन्ना है, एक बेग सदर लैण्ड फैक्ट्री गौरी बाजार की है, अंग्रेज की फैक्ट्री है जिसमें कि पिछले वर्ष १०० मन गन्ना में १०.४६ चीनी निकली और दूसरी फैक्ट्रियां जो हैं किसी में नौ निकलती

है किसी में साढ़े नौ किसी में १०। मैंने जाकर पूछा। पता लगाया कि आखीर क्या वजह है कि इस फैक्ट्री में ११ तक रिकवरी निकल आती है, थोड़ा ही गन्ना पेरने के बाद उसको मुनाफा हो जाता है, अपने काश्तकार को भी वह अच्छा ट्रीटमेंट देता है। अपने काश्तकारों को खाद भी देता, पानी का भी बन्दोबस्त करता है और अगर वह अपने काश्तकार से कहता है कि तुम दूसरी फैक्टरी में जाओ तो वह उसको कबूल नहीं करता है, झगड़ा करता है लेकिन वहीं दूसरी फैक्टरी के इलाकों में कुछ नहीं होता है। मैं खोजबीन करके इस नतीजे पर पहुंचा कि दो चीजें हैं। एक तो यह कि वह रात को तौल नहीं करता। जितना गन्ना सुबह काटा जाता है वह शाम तक फैक्टरी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। फ्रेश गन्ना उनको चौबीस घंटे के भीतर पेरना पड़ता है लिहाजा किसानों को रात में खड़ा नहीं रहना पड़ता है और शाम से रात भर काटा जाता है और सुबह को ताजी ईख लाकर गाड़ियां पहुंचा देते हैं। इसमें दस, बीस, पचास हजार रुपया खर्च हो जाता है लेकिन इस खर्च हो जाने की वजह से रिकवरी ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज यह कि वह यह बताते हैं कि हम बेहतर बीज देते हैं, बेहतर खाद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम उनको पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अगर बीमारी लग जाय गन्ने को तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से सुपरवाइजर्स रख छोड़े हैं जो गन्ने के खेत में जब बीमारी लग जाती है तो उस थोड़े से गन्ने की कीमत अदा करके वे उस गन्ने को उखाड़ कर फूंक देते हैं ताकि सारे खेतों में बीमारी बढ़ न सके। इसमें लाख पचास हजार रुपया खर्च होता है लेकिन अगर वन परसेंट भी ज्यादा रिकवरी बढ़ गई तो २० लाख मन ज्यादा में उनको लाखों रुपया मुनाफा होता है, कई लाख रुपयों का मुनाफा होता है। तो जब ऐसे एक्सपेरीमेंट हो चुके हैं और १८ सौ मन प्रति एकड़ मेरठ में और १६ सौ मन प्रति एकड़ गोंडा में पैदा हुआ है तो उन प्रयोगों को हर जगह क्यों नहीं किया जाता और अगर उनको और जगह किया जाता तो निश्चित बात है कि हमारी ईल्ड बढ़ती। और हमारी ईल्ड प्रति एकड़ बढ़ती तो निश्चित है कि गन्ने की कीमतें गिरतीं और इतना झगड़ा न होता। कहां दो सौ मन प्रति एकड़ और कहां १८ सौ मन प्रति एकड़। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यह ऐसी चीज है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इस पर जिद् नहीं करता कि गन्ने का जो पैसा है कि ऐसे गन्ने के लोगों के लिये ही खर्च होना चाहिये ऐसा मेरा मक़सद नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह पैसा गन्ने के इलाकों में खर्च किया जाता है तो निश्चित रूप से पैदावार हमारी बढ़ेगी। केवल पैदावार ही नहीं बढ़ेगी बल्कि रिकवरी भी बढ़ेगी और पैदावार और रिकवरी बढ़ेगी तो हम सस्ते दाम पर लोगों को चीनी देने में भी सफल हो सकेंगे। अगर सस्ती कीमत पर लोगों को चीनी देने के लिये हम कहते हैं तो हम उन क्षेत्रों के लिये कहते हैं जो गन्ने के क्षेत्र हैं। मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में खर्च करने से सारे देश का लाभ हो सकता है इसलिये मैं इस बात पर जोर देता हूं।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि सरकार ने केन सेस वसूलने में बड़ी ढिलाई की है। कुछ मालिकों पर ज्यादती नहीं सख्ती करती है लेकिन कुछ मिल मालिकों पर उनकी निगाह क्यों है मैं नहीं कह सकता। उनसे क्या रिश्ता है लेकिन उन्होंने दो-दो, तीन-तीन वर्ष से केन सेस नहीं दिया और न उनसे वसूल किया गया। और जिन्होंने दो-दो, तीन-तीन वर्ष से नहीं दिया वे बड़े नफे में रहे क्योंकि तब तक रिट का फैसला हो गया कि अब देना नहीं है। अब जिन्होंने दे रखा है पिछले वर्षों में वह सब हाथ मल रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई जो दे दिया अगर नहीं दिये होते तो अच्छा होता। शायद न देना पड़ता और अगर देना भी पड़ता तो सूद तो तब भी बच जाता। तो यह नादेहन्दगी सरकार स्वयं पैदा कर रही है। मैं ठाकुर साहब से पूछूंगा किये कौन-कौन लोग हैं जिन पर बाकी पड़ा हुआ है और अगर वे नहीं बतायेंगे तो मैं ढूंढूंगा कि कौन-कौन लोग बाकीदार हैं, उनसे क्या मामला है क्यों दो-दो वर्ष तक उनके साथ रियायत

[श्री गेंदा सिंह]

की गई। एक तरफ तो यह रियायत की गई और दूसरी तरफ इस बिल में कैद भी भेजने की गुंजायश की गई है। श्रीमन्, मैं कहूं तो कैदखाना उनको नहीं भेजा जायगा अब अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहा जायगा कि मिल मालिकों की यहां पर ताईद कर रहे हैं लेकिन मैं मिलमालिकों की ताईद इस सम्बन्ध में करना चाहता हूं। अगर हम वहां हुकूमत में बैठें तो उनको जेलखाने भेजने की जरूरत न समझें क्योंकि उनके हाथ बड़े मुलायम हैं वह लोहे की हथकड़ी क्या एक मुलायम रस्सी देखने के बाद ही वे अपना खजाना खोल देंगे, जेलखाना भिजवाने की जरूरत ही नहीं है। मालगुजारी की तरह से केन सेस वसूल होगा यह इस विधेयक में साफ-साफ है। फिर ऐसा प्राविजन रखने की क्या जरूरत है। जब माल-गुजारी की तरह से वसूल हो सकती है तो हम उनके ऊपर वारंट कर सकते हैं, उनकी सारी जायदाद को नीलाम करके वसूल कर सकते हैं। मैं कतई इस बात के खिलाफ हूं कि किसी मिल मालिक को इस बकाया के इल्जाम में जेलखाने भिजवाया जाय। इससे उनकी नादेहन्दी बढ़ेगी। हम लोगों ने जेलखाने का सुख भोगा है। जेलखाना हो आने के बाद लोग बेखौफ हो जाते हैं। जैसे १०९ और १०७ में लोग जेलखाने जाते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि वहां इतनी तकलीफ या आराम मिलता है और फिर उनको जेलखाने से डर नहीं लगता है। फिर मिलमालिक तो कामधेनु हैं सरकार के लिये। वह जब चाहे तब उनको दुह ले। उन्हें जेलखाने भेजने के बाद सरकार का काम बन्द हो जायगा। हमारे जमाने में तो मिलमालिक रहेंगे ही नहीं। लेकिन जब तक उधर की सरकार कायम है तब तक मिलमालिक रहेंगे। तो उनको जेलखाने भेजने के लिये मैं नहीं कहता। उनके लिये वारंट करके कुर्की करके वसूली का तरीका रहना चाहिये और उसमें किसी के साथ रियायत न बरती जाय जैसे कुछ लोगों को केन सेस की वसूली में मौका दे दिया गया कि तीन-तीन वर्ष तक बकाया रहा और कुछ लोगों से उसी साल वसूल किया गया उनको तंग करके। इसी तरह से जेलखाने भिजवाने की बात न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दें तो ठंडे दिल से सोच कर, पूरी इंडस्ट्री को सामने रख कर, किस तरह से उसकी तरक्की कर पायेंगे यह बात सोच कर इस बिल पर विचार कर लिया जाता तो फिर मैं समझता हूं कि यहां बहुत बहस की गुंजायश नहीं होती।

श्री अतहर हुसेन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---जनाबवाला, इस बिल का स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड है। महज गरज इस बिल के लाने की यह है कि जो मिल मालिकान किसी शरारत की वजह से या वाकई किसी मजबूरी की तहत में सेस नहीं अदा करते हैं उनको किसी तरह मजबूर किया जाय कि वे यह रुपया जो कि लाखों की तादाद में पहुंचता है अदा करें। मैंने थोड़ी तकरीर लीडर आफ दि अपोजीशन की सुनी और मुझे कुछ हैरत सी हुई कि बिल के स्कोप को देखते हुये वे बातें कहां तक रेलेवेन्ट हैं जिनका तजकरा उन्होंने अपनी स्पीच में फ़रमाया। यह जरूर है कि बहुत सी खराबियां हैं जिनको रफा करना चाहिये लेकिन आज इस बिल का मक़सद तो महज यह है कि सेस किस तरह वसूल किया जाय। और उसकी वसूलयाबी के क्या तरीके अख्तियार किये जायं और किस तरीके से मिल मालिकों को मजबूर किया जा सके कि वे सही तौर पर जो रुपया वाजिब होता है वह ठीक तरह से अदा करते रहे। यहां सवाल सेस के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। मेरे लायक दोस्त ने अभी यह फरमाया कि ५ करोड़ रुपया किस तरह से खर्च होना चाहिये। मैं समझता हूं कि वह तो इसमें शायद तय न हो सके और इस बिल का दायरा महदूद होते हुये मैं नहीं समझता कि कोई फायदा इस सेलेक्ट कमेटी में भेजने से हो सकता है।

एक बात उन्होंने यह फरमायी कि यह जो दफा इसमें है कि अगर मिलमालिक सेस अदा न करे तो उनको जेलखाने भी भेजा जा सके वह इसके खिलाफ है। मैं समझता हूं कि बहुत सी

कानून की रक्षा से इस लिये नहीं होती कि उनका इस्तेमाल हो बल्कि इसलिये होती हैं कि आदमी डरे कि अगर हम कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो हमें जेलखाने भी भेजा जा सकता है फिर उस क्लाज को नर्म इस तरह पर कर दिया गया हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हक दे दिया गया हैं कि वह कम्पोजीशन कर ले । मैं तो समझता हूं कि कम्पोजीशन की जो दफा हैं वह बहुत नर्म रखी गयी हैं । मैं उसे थोड़ी और सख्त करना चाहता हूं । वहां पर यह कहा गया है कि मैक्सिमम पैनालिटी ५ हजार हो और मिनिमम का जिक्र नहीं हैं । मैं तो यह अर्ज करूंगा कि मिनिमम पैनालिटी ५ हजार होनी चाहिये और मैक्सिमम पैनालिटी ५० हजार होनी चाहिये इसलिये कि लाखों रूपये का किस्सा हैं और कई-कई साल की बकाया पड़ी हुई है । तो ऐसा डिस्क्रीशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देना कि जिससे वह एक नामिनल एमाउन्ट चार्ज करके मुकदमें कम्पोज करें यह मैं समझता हूं कि किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा । मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ मबज्ल कराना चाहता हूं कि जिस दफा में उन्होंने मैक्सिमम पैनालिटी का जिक्र किया है उसमें उनको मिनिम म पैनालिटी भी लिख देनी चाहिये ताकि यह न हो कि यह पूरा लेजिस्लेशन एक मजाक होकर रह जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सो, दो सौ रूपये की रकम लेकर लाखों रुपये का कम्पोजीशन कर लिया करे । तो एक सजेशन जो मैं आनरेबिल मिनिस्टर को देना चाहता हूं वह यह है ।

दूसरा सजेश्शन यह है कि इस बिल में आपने मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात बढ़ाये हैं । हर शख्श जानता है कि फर्स्ट क्लास और सेकेन्ड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के लिये जो सेंटेन्सेज हैं वे प्रिसक्राइब्ड हैं कि उससे ज्यादा वे सजा नहीं नहीं दे सकते । इस बिल का मकसद यह है कि उनको अख्तियार दिया जाय कि ५ हजार रूपये तक वे जुर्माने की सजा दे सकें । यह ठीक है । लेकिन उसी में यह भी कहा गया हैं कि अगर यह आफेन्स कांटिनुइंग औफेंस हो तो रोजाना के हिसाब से एक हजार रुपया उससे और वसूल किया जायगा जब तक कि वह रुपया अदा न हो जाय । मगर इसका अख्तियार आपने नहीं दिया। इस वक्त बिल तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन शायद दफा ४,५ और ६ हैं । दफा ४ में तो आपने यह कहा हैं कि ५ हजार रुपये तक इसमें जुर्माना किया जा सकता हैं और एक हजार रुपया तक कि वह बकाया अदा न हो जाय और आफेन्स कांटिन्यू करें उससे और ज्यादा वसूल किया जा सके । लेकिन दफा ६ में जहां आपने उसको इम्पावर किया हैं वहां महज यह कहा है कि ५ हजार तक जुर्माना कर सकता हैं । तो मैं नहीं समझता कि अगर उनको खासतौर से अख्तियार न दिया जाय तो वह उनका आर्डर कैसे जायज और लीगल हो सकता है कि एक हजार रुपया रोज के हिसाब से और वसूल किया जाय ।

जहां तक उन बातों का ताल्लुक हैं जिनका जिक्र हमारे आपोजीशन लीडर ने किया हैं वे जरूर इम्पार्टेन्ट है अपनी जगह और यह भी जरूर हैं कि बहुत कुछ मिल मालिकान बेइमानी और ईमानदारी पर मुनहसिर हैं होता हैं उन रेट्स का जो रेट्स मई और जून में निकाले जाते हैं रिकवरी के ऊपर । मेरे जिले में खुद मिसालें हैं । एक मिल ने सवा रूपया दिया और दूसरी मिल ने ७-८ आने के हिसाब से दिया और उसी एरिया से गन्ना सप्लाई हुआ दोनों को तो मैं तो समझता हूं कि यह गलत है कि मिलो के ऊपर यह मामला छोड़ा जाय कि वे रिकवरी की बेसिस पर पेमेंट करें । यह नहीं होना चाहिये । बल्कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपर्ट्स के जरिये से एक रेश्यो निकाल लेना चाहिये कि फलां महीने में रिकवरी इतनी कम हो जाती और उसी के लिहाज से कीमत मुकर्रर की जाय । लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मिनिस्ट्री को इसका हक हासिल हैं कि वह इस किस्म के रेट्स फिक्स कर सके । हां, यह जरूर है कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकती हैं और अगर कोई ऐसा सजेशन आये तो मैं अपने अपोजीशन लीडर के प्रपोजल को वेलकम करूंगा कि इस किस्म का कोई सजेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया को जाय

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

यह दूसरी बात है कि वैस्टर्न और ईस्टर्न जोन कर दिये जायं और इसी के लिहाज से रिकवरी और क्लाइमेटिक कंडीशन्स वगैरा के लिहाज से कीमत मुकर्रर हो। लेकिन यह नहीं होना चाहियें कि एक मिल सवा रुपया दे दूसरी मिल अपनी लापरवाही की वजह से आठ आने दे। अगर कोई मिल रिकवरी नहीं कर सकती है तो उसको सफर करना चाहियें। कोई वजह नहीं है कि इसका पब्लिक ऐक्सचेकर पर पड़े। इसलिये इस तरह का एक रिजोल्यूशन भेज दिया जाय कि दोनों जोन्स के लिये कीमतें मुकर्रर होनी चाहिएं और हर एक मिल मालिक उसी रेट से देगा। मैं इस बिल का वैलकम करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरुरत थी और इस कमी को पूरा किया जा रहा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से पहली अगस्त १९५५ को यह जबाब मिला था कि हमारे प्रदेश में गन्ना जितना निकलता है उसके सेस की बकाया १ करोड़ ८० लाख के करीब है अब इस संशोधन के जरिये से सरकार यह करने जा रही है कि सेस की बकाया को लैन्ड रेवेन्यू की तरह से मालगुजारी से वसूल कर लिया जाय। मैं इस निश्चय का स्वागत करता हूं। यही नहीं कि बकाया वसूल की जायगी बल्कि बकाया पर ६ प्रतिशत सूद भी ली जायगी और १० प्रतिशत उनसे पैनाल्टी वसूल की जायगी। इस प्रकार से जो बकाया वसूल करने का निश्चय सरकार का हो रहा है यह बड़ा उत्तम है। पिछले २० वर्ष में हमारे देश में गन्ने से करीब ५२ करोड़ सेस की रकम वसूल हुई थी और हमारे देश में करीब दो करोड़ किसान हैं जो गन्ना की खेती करते हैं और चार करोड़ एकड़ में गन्ना लगा हुआ है। इसमें से ७० फीसदी गन्ने की खेती हमारे प्रदेश और बिहार में है जो इससे इस बात का पता चलता है कि सेस की रकम हमारे प्रदेश से काफी मिलती है।

मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि यह जो सेस की रकम है वह गन्ने की तरक्की करने में, गन्ने की पैदावार बढ़ाने में और किसानों की हालत को दुरुस्त करने में किस तरह से उपयोग की जाती है हमारे यहां आंकड़े देखने से पता चलता है कि गन्ने की पैदावार १४, १५ टन प्रति एकड़ है जब कि हवाई टापू में ६२ टन प्रति एकड़ है। इस तरह से हमारे यहां चीनी की औसत ९.९ प्रतिशत है। जब कि आस्ट्रेलिया में चीनी का औसत १४.३ प्रतिशत है तो हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह न केवल प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न करे बल्कि जो गन्ने से चीनी निकलती है उसका औसत भी बढ़ाने का उद्योग करे। आज हमारे यहां भी १४, १५ टन प्रति एकड़ से गन्ने की पैदावार ६२ टन प्रति एकड़ न की जा सके तो २० टन प्रति एकड़ हो तो इससे हमारे यहां बहुत बड़ा रकबा बच जायगा और जो रकबा आज गन्ने की फसल में लगा हुआ है उसी से चीनी की आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी। बाकी रकबे से जूट, रूई, गेहूं की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ९.९ प्रतिशत बढ़ा कर आस्ट्रेलिया का मुकाबिला किया जा सके तो हमारे यहां चीनी की पैदाबार काफी बढ़ जाय। हमारे यहां....

श्री अध्यक्ष—थोड़ा सा बिषयान्तर हो रहा है। आप दायरा बढ़ा रहे हैं।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इससे जो हमारा सेस है अगर उसका उपयोग सरकार ठीक किसानों की पैदावार बढ़ाने में करे तो...

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है। गेंदा सिंह जी ने जब कहा था तो मैंने उनका भी ध्यान आकर्षित किया था कि वह विषय विधेयक का नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं इसे न कह कर केवल यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो सेस की वसूली का तरीका इस विधेयक में रखा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मिल मालिक बकाया अदा न करें तो अदालत से उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और उसको सजा या जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। जुर्माना लगभग ५ हजार तक रखा गया है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि मिलवालों के हाथ मुलायम होते हैं उन्हें सजा देना ठीक नहीं है। जो कुछ बकाया कि रकम है या अर्थ दंड है वह मालगुजारी की तरह वसूल कर लिया जाय यही काफी है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सजा या जुरमाना रखा गया है वह एक न होकर दोनों होने चाहिये। कानून में छोटे बड़े का कोई डिस्टिक्शन नहीं किया जाता है। कोई मिल वाला है उसके लिये सजा या जुरमाना है और दूसरे आदमियों के लिये दोनों हैं तो यह नहीं होना चाहिये तो यह डिस्टिक्शन ठीक नहीं है। और सजा या जुरमाने दोनों रखे जायंगे तो लैन्ड रेवेन्यू की तरह से रियेलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि मिल मालिक शेष रुपया अदा कर देंगे।

दूसरे इसमें किसी भी जुर्म को कम्पाउन्ड करने की धारा रखी गई है मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब ५ हजार तक जुरमाना है या सजा है और प्रतिदिन एक हजार रुपया रोज जुरमाना किया जा सकता है तो डिफाल्ट में केन कमिश्नर या कलेक्टर के द्वारा पांच हजार की रकम लेकर आफेन्स को कम्पाउन्ड कर लेना कहां तक मुनासिब है। मैं नहीं जानता कि जो यह कम्पाउंड होगा तो बकाया की रकम को वसूल करके ५ हजार रुपया पैनेल्टी के तौर पर लेकर होगा या कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है या सारी बकाया की रकम ली जायगी और ५ हजार रूपये लिये जायंगे। या खाली ५ हजार रुपये लिये जायंगे यह स्पष्ट नहीं है। तो फिर कम्पाउन्ड क्या है? २०-२५ लाख की रकम बकाया है तो क्या ५ हजार रुपये खत्म कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार की यह मंशा कभी नहीं हो सकती है। मंशा तो यही होगी कि बकाया की रकम वसूल की जाय और पैनालिटी के तौर पर पांच हजार रूपये ले लिये जायं। लेकिन पैनालटी की रकम लेकर एक जुर्म को कम्पाउन्ड कर लिया जाय यह कहां तक ठीक है क्योंकि इससे तो दूसरा अंदेशा यह हो जाता है कि मिल वाले कम्पाउन्ड हो जाने की आशा में बिलकुल लापरवाही कर सकते हैं। अगर कम्पाउन्ड करने वाला क्लाज न हो तो तमाम अर्थ दंड वगैरा जो कुछ है उसको बतौर लैन्ड रेवेन्यू के रियेलाइज किया जा सकता है और जब वह अदा न करे तो अदालत से सजा दी जा सकती है।

मैंने यह देखा कि इस विधेयक में सेस की रकम चार आने प्रति मन रखने का निश्चय किया गया है। जो सेस की रकम है उसके विरोध में मैं नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में चीनी खाने वालों की तादाद बहुत काफी है और गुड़ लोग ज्यादा खाते हैं और देहातों में तो गुड़ ही खाते हैं इसलिये इस सेस की रकम से अगर कंज्यूमर पर अधिक बोझा पड़ता है तो ज्यादा एतराज की बात नहीं है। जो रकम सेस से वसूल हो उसको गन्ने की पैदावार बढ़ाने में लगाया जाय तो सेस की जो रकम रखी गई है उससे हमारे देश का लाभ हो सकता है। अगर गन्ने की पैदावार वगैरा बढ़ाने में न लगाई जाय तो ऐतराज हो सकता है। सरकार से जिस कार्य के लिये सेस लिया जाता है उसमें लगाये तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित नहीं है बल्कि अधिक से अधिक सेस लगा कर अपने देश की गन्ने की पैदावार बढ़ा कर नस्ल को अच्छी करके देश का कल्याण कर सकते हैं और सूबे की जो गन्ने की खास खेती है और इंडस्ट्री है और देश को इससे इतना धन प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि सेस लगा कर सख्ती से वसूल किया जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसका स्वागत करेगा।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह मसला है कि शुगर केन सेस कैसे वसूल किया जाय। यह मिल मालिकों से सेस वसूल करने का जो मसला पेश है हम समझते हैं कि इससे तो इंडायरेक्ट वे में काश्तकारों पर सेस लगाया जाता है। काश्तकार जितना गन्ना सप्लाई करता है शुगर मिल को उसी हिसाब से ४ आने, तीन आने मन के हिसाब से, शुगर केन सेस वसूल किया जाता है। अभी तक पता नहीं इतने दिन तक बराबर किस तरीके से वसूल किया जाता रहा और क्या कठिनाइयां सरकार को हुई, शुगर केन सेस वसूल हुआ या नहीं, क्या अड़चने पड़ीं और हमें यह बात ज्ञात नहीं है कि क्यों इस बिल को इस सदन के सामने लाने की आवश्यकता पड़ी ?

जब केन्द्रीय सरकार की ओर से शुगर केन प्राइसेस फिक्स की जाती हैं उस समय जहां तक मैं समझता हूं यह शुगर केन सेस भी उसके साथ में लगा दिया जाता है कि गन्ने के दाम इतने होंगे शुगर केन सेस इतना, कमीशन इतना और खर्चा इतना और उसी हिसाब से शुगर के दाम निश्चित किये जाते हैं। तो यह सेस इंडायरेक्ट वे में काश्तकारों के ऊपर लगाया जाता है। हमारे पश्चिमी जिलों में इस साल शुगर केन की हालत बड़ी खराब रही। रही सेस की बात तो अगर और अच्छी हालत हो तो सेस भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया गया।

अभी मई के महीने में जब रिकवरी बेसिस की बात आयेगी उस समय तक जहां तक हमको याद है सन् ५० में एक मर्तबा हरदोई मिल में रिकवरी का झगड़ा चला, गवर्नमेंट एक्सपर्ट आये और मिल मालिकों ने उस समय ट्यूब लगा दिये थे जिससे रस अलग निकाल लेते थे और पानी अलग मिला देते थे और मिल मालिकों ने उनके सामने ऐसा नकशा पेश किया कि रिकवरी का परसेंटेज कम पड़ा। बाद में वह पकड़े गये, लेकिन उससे अधिकांश काश्तकारों का नुक्सान हुआ और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेस का भी नुकसान हुआ। तो ये जो प्राब्लम्स हमारे सामने शुगर केन सेस की है, वह काश्तकारों से संबंधित हैं। अगर आज हमें इस बात पर फख्र और घमंड होता है कि काश्तकार हमारे प्रान्त में गन्ना ज्यादा बोता है और हमारे प्रान्त में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मिलें हैं और प्रान्त के पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री है, जहां पर मेरा खयाल है कि ६५ मिलें हमारे प्रान्त में हैं और गन्ना बोने पर काश्तकार को बेचने का एक ही साधन है कि हम केन सोसाइटीज की मार्फत बेंचे, केन सोसाइटीज के सदस्य बनें और केन सोसाइटीज की मोनोपोली होने से मजबूरन सदस्य बनना पड़ता है और जब मेम्बरी हमारी बढ़ जाती है तो हम जनता में, हर जगह और हाउस में भी कहने का दावा रखते हैं कि हमारे गन्ना उत्पादक इतने सदस्य हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाय कि गन्ना उत्पादक सदस्यों के पास और कोई दूसरा साधन गन्ना बेचने का होता तो शायद हम इतने खुश न होते।

आज हम सुप्रीम कोर्ट से गन्ने का मुकदमा जीत गये हैं, लेकिन कानून से जीतना दूसरी बात है, हमें तो काश्तकारों के दिल को भी जीतना चाहिये। हम भी गन्ने के डायरेक्टर हैं और देख रेख हैं कि किस कदर परेशानी उत्पादक को हो रही है। इस समय अधिकांश गरीब काश्तकारों का गन्ना खड़ा हुआ है। जरा सी फुलझड़ी में आग लग जाने से सैकड़ों बीघा गन्ना तबाह हो जाता है इस गर्मी के महीने में। अगर उस तरफ इतना ध्यान रखा जाता, अगर मिल मालिकों और सरकार ने ध्यान दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। मिल मालिकों के ये नखरे हैं कि हमने देखा कि चन्द दिन हुए हमारे जिले के सबसे बड़े उत्पादक जिन्होंने प्रान्त में गन्ने पर इनाम पाया, ठा० जगमोहन सिंह, उनका गन्ना जब आया तो मिल मालिकों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ५,००० रुपया सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने पर इनाम पाया था। उनके गन्ने के लिए कहा गया कि वह खराब

है। वह वही गन्ना था जिस पर इनाम मिला था। इस साल हमारे यह गन्ना अधिक है तो जहां पर हम वसूलयाबी की बात सोचते हैं तो हर प्रकार से होनी चाहिये और जेलखाने और कानून का जहां तक ताल्लुक है मिल मालिक तो बनिया होता है। उसका उसूल है कि चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय। तो दमड़ी न जाने का मतलब यह है कि शुगर पर आप उसके कब्जा कर लें तो इसमें कानून की भी जरूरत नहीं है। हर तरीके से वह दे सकता है लेकिन उसके लिये दिल में यह गुंजाइश हो कि हमें वसूल करना है। जैसा कि रिपोर्ट हमारे सामने है काफी वसूली बाकी है। वह हमारी आपकी गफलत और सुस्ती है। कानून बनने के बाद भी अगर हम उसी गफलत और सुस्ती से काम करगे तो फिर वही नतीजा हमारे सामने होगा।

तो जब हम सेस की बात करते हैं तो सेस देने वाले उन काश्तकारों का भी ध्यान रखना है, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना है कि आज दो वर्ष से लगातार काश्तकारों के पास एक गन्ना ही फस्ल है। रबी और खरीफ की फस्ल तो बारिश की वजह से तबाह हो जाती है और हमारे जिले में ५-६ दरिया ऐसे हैं जिनकी वजह से खेत से बीज नहीं लौटा है। अगर गन्ना न हो तो हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते हैं। सरकारी अफसर किसानों से कहते है इतना गन्ना क्यों बोते हो। लेकिन वह गन्ना न बोयें तो लगान और टैक्स भी न दे सकें। अगर कोई अन्य काश्त बोते हैं तो वह पैदा नहीं होती है। तो हमारे सामने गन्ना उत्पादक के सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर छोटे गन्ना उत्पादक थोड़ी सी खेती में अधिक गन्ना पैदा करेंगे तो गन्ने के काश्तकार भी खुशहाल रहेंगे और हमें अधिक सेस भी दे सकेंगे।

इन शब्दों के साथ इस सेस के बिल का, जो हमारे सामने पेश है हम समर्थन करते हैं और विरोध करते हैं कि वह सेस मिल मालिकों से नहीं लिया जाता है बल्कि सिर्फ काश्तकारों से लिया जाता है और उस गरीब काश्तकार की तरफ भी प्रान्तीय सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधित अमेंडमेंट हमारे सामने है उसके समर्थन के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। सरकार से मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि एक मन गन्ने में कम से कम ४ सेर चीनी होती है, जिसकी कीमत आज अध्यक्ष महोदय, बाजार भाव के हिसाब से तीन रुपये दो आने होती है और किसान को एक रुपया सात आने मिलता है। जिसमे से करीब एक रुपया ११ आने मिल मालिक को बचत होती है, सरकार को सिर्फ चार आने सेस मिलता है। मैं कहता हूं कि सरकार उनसे ८ आने वसूल करे। तीन आने के लिए गेंदा सिंह इशारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ४ आने रखा है। पर सरकार को उनसे ८ आने लेना चाहिये। मिल-मालिकों की जेबों में वह क्यों जाय। ज्यादा से ज्यादा उनका ५ आना खर्चा रख दिया जाय एक मन गन्ने पर, जिसमें कुल मजदूरी मय कारखाने के खर्चे के शामिल है। तो लाखों मन गन्ना वह पेरते हैं। मगर हमारी सरकार ढीली और मिल-मालिक ढीले। हम को करोड़ों रुपया देकर बाहर से चीनी मंगानी पड़ती थी। अब कहा जाता है कि फुलफिल हो गया, लेकिन अब भी कमी है। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि गन्ने के उत्पादन को और बढ़ा दें, जैसा कि मैंने अपनी आंखों से वेस्ट इंडीज में देखा है जहां गन्ना इतना मोटा होता है और उसके साथ सरकार सेस का पैसा वसूल करे और उसे गन्ने के डेवलपमेंट में खर्च करे, अच्छी खाद दें और किसानों को सुविधाएं दें तो यह प्राब्लम हल हो सकती है। लेकिन हमें दुःख है, मैं अपने गांव की बात बतलाता हूं कि वहां ४-५ बेवाएं भी हैं और ऐसे लचड़ किसान हैं कि जिनका पैसा वार फंड में दो-दो आने काटा गया था, वह आज तक नहीं मिला। अपने जिले की ही नहीं बरेली जिले की भी सबूत मेरे पास है। हमको यह शिकायत है कि सरकार गफलत से काम ले रही है। सरकार वह सेस भी वसूल नहीं कर पा रही है। और किसानों की हालत खराब होती जाती है।

[श्री शिवनारायण]

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों को फ्रीडम रहे कि वह अपना गन्ना जिस फैक्टरी में चाहें बेंचें, चाहे वाल्टरगंज में, चाहें बस्ती में, चाहे मुंडेरवा में तो सब मिल-मालिक ठीक हो जायंगे और एक पैसा सेस का बाकी नहीं रहेगा और सब सड़कें भी ठीक हो जायंगी। सड़कें तो ऐसी हैं कि हमारे आँसू निकल आते हैं दिसम्बर के महीने में, जब उन मिलों के गेटों तक जाते हैं। हमारी गाढ़ी कमाई लेकर मिल-मालिक लोग मौज उड़ाते हैं। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सरकार को कस के पूरा कदम उठाना चाहिये। कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन कदम हमारा धीरे-धीरे चल रहा है, काम तेज होना चाहिये जिससे कि जो गालियां हमको दी जा रही हैं वे बन्द हों। यह गवर्नमेंट तो गरीबों की और भोले-भाले किसानों की है। मुझे दुःख है कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि वे लोग जरा मुलायम हैं उनके साथ इतनी सजा नहीं होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि ६ महीने की सजा और ५००० रु० की जगह, ५०,००० रु० जुर्माना रहे, क्योंकि ५००० रु० तो वह आसानी से टिका देंगे। उनको तो ५००० मन गन्ने में ५००० रुपया उनको मिल जायगा, जितना गन्ना कि वह रोज पेरते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बने वह बहुत सख्त हो और उस पर अमल होना चाहिये। मैजिस्ट्रेट हो या डिप्टी मैजिस्ट्रेट हो, कोई भी अफसर हो उसके हाथ में पावर है। वह उसका यूज करेगा, मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को भी सतर्क रहना चाहिये, क्योंकि उन भोले-भाले किसानों की दशा किसी से छिपी नहीं है। किसान कहता है कि हम गन्ना इसलिये बोते हैं कि हमें लगान देना होता है सरकार को। उसी पर हमारा फायदा है और सारे काम निर्भर करते हैं। हमारे पास गांव में कोई विशेष उद्योग नहीं है जिससे हम अपनी दूसरी जरूरतों को पूरी करें। आज सारी जमीन हमारी परती पड़ी हुई है। फारेन कंट्रीज में एक फसल खाली हुई तो दूसरी पैदा करते हैं। आज कोई प्रबन्ध नहीं है। पानी ठीक नहीं मिलता, आज गर्मी के दिनों में सब्जी की फसल बोयी जा सकती थी लेकिन पानी की कमी के कारण वह असंभव है।

मैं कहना चाहता हूं कि जावा से, सुमात्रा से, क्यूबा और जमायका से अच्छे बीज और गन्ना सरकार मंगवाये और अच्छी खाद डलवाये, गन्ने का डेवलपमेंट हो तो हमारी जमीन खाली होगी। इससे रोटेशन से दूसरे तीसरे साल फिर हम बो सकेंगे और उसका फल यह होगा कि हम अन्य फसलों की पैदावार भी उन खेतों में ले सकेंगे। आज सबसे ज्यादा ऐब हमारे यहां यह है कि गांव में पेड़ी लोग छोड़ देते हैं आलस भाव से, और उसका नतीजा यह होता है कि उसमें नाना प्रकार के रोग, रेड राट और कीड़े पैदा हो जाते हैं और गन्ना बेकार हो जाता है। तो किसान को बताने की जरूरत है कि क्यों ऐसा गन्ना रखते हो। गांवों में जाकर किसानों से कहा जाय कि इसमें तुम्हारा नुकसान है। गन्ने का बीज रखने से गन्ने की पैदावार कम होती है, माल कम पैदा होता है और वह अच्छा माल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम प्रचार करें। हमें अपने मुल्क को उठाना है, ऊंचा बनाना है तो हर चीज का डेवलपमेंट करना है। सरकार को दोरुखी नीति नहीं रखनी चाहिये। जैसा कि और कानूनों में है कि जुरमाना और सजा दोनों साथ-साथ हों और एक चीज हो न कर दी जाय। इसमें दोनों चीजों को नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि यहां इसमें दोनों चीजें रखी जायं। यह मजिस्ट्रेट की गुडविल पर है कि जैसी सजा की जरूरत हो वह कर सके।

मान्यवर, अन्त में मैं आपके जरिये से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाव आज चीनी का बाजार में है उसी भाव पर गन्ना भी हमको मिलना चाहिये। प्रदेशीय सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखे कि यह ज्यादती है कि हम गन्ना की पैदावार ज्यादा करते हैं और दूसरे प्रदेशों को चीनी भेजते हैं उससे हमारी जो आमदनी होती है वह कम होती है। पूरा पैसा हमको मिलना चाहिये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद करे और

हमको डेवलपमेंट करने के उपाय बतलायें जायं और वह हमारी सहायता करे जिससे देश की काफी बचत हो सकती है और काफी इन्कम हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शुगर एक्सपर्ट नहीं हूं और न मेरे यहां गन्ना पैदा होता है परन्तु फिर भी कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनकर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि उसके दिमाग में कुछ ग़लतफहमी हो गयी। एक तो इस चीज से कि शायद वह यह समझते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल ने सेस का विरोध किया है और दूसरे यह कि शायद उनका यह ख्याल हो गया है कि माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात का विरोध किया है कि जो क्लाज इसमें मिल ओनर्स के लिय जेलखाने भेजने की रखी गयी है जो कि सेस अदा न करने के सम्बन्ध में हैं तो उसको हमारे नेता यह चाहते हैं कि उनको जेलखाना न हो तो यह बात गलत है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा सवाल है मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि सेस को वसूल की जाय। परन्तु शिकायत अगर किसी बात की है तो वह यह है कि जिस सेस को टैक्स की शक्ल में गन्ने पर लिया जाता है और जिसके लिये वह सेस लिया जाता है अगर उस काम में वह सेस खर्च न किया जाय तो उस का विरोध तो सदन में हम लोगों को करना ही चाहिये। हम यह चाहते हैं कि अगर यह १७ वर्ष से सेस वसूल हो रहा है तो हम यह जानना चाहते हैं कि इस १७ साल के अन्दर जितना सेस शुगर केन पर आज तक वसूल हुआ है उसका कितना हिस्सा शुगर केन डेवलपमेंट पर सरकार ने खर्च किया है। उन एरियाज में जहां पर चीनी के कारखाने आज लगे हुए हैं हम यह देखते हैं कि न तो सिंचाई के साधन वहां पर हैं, न वहां पर अच्छी सड़क है और न वहां पर किसी किस्म की फैसिलिटी दी जाती है जिससे कि गन्ने की जो खेती होती है उसमें शुगर केन की ईल्ड ज्यादा होती और ज्यादा शुगर केन तैयार होता और उसकी रिकवरी भी ज्यादा होती। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो सकता था। मैं यह समझता हूं कि जितना भी रुपया सेस पर वसूल किया गया अगर वह सचमुच शुगर केन के डेवलपमेंट पर खर्च कियागया होता तो शुगर मिलों की जो आज यह हालत है वह हालत न होती और हमारे देश की जो आज इकानामी है उसके ऊपर भी उसका असर इतना न पड़ता जो आज पड़ रहा है। इसका नतीजा है कि आज देश में प्रत्येक प्रदेश अपने यहां चीनी के कारखाने लगाने की बात सोच रहे हैं। जगह-जगह हर स्टेट यह चाहती है कि अगर उनके यहां शुगर मिल लग जांय तो बाहर से उनको जो चीनी मगानी पड़ती है वह नहीं मगानी पड़ेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पर ६६ चीनी के कारखाने हैं जहां पर आज हमारे किसानों ने अपने उन गेहूं और धान के खेतों को छोड़कर गन्ने की पैदावार करने की कोशिश की है अगर हमारी ईल्ड इतनी रहती है जिस प्रकार से वह आज है और इतनी ही रिकवरी होती रहती है जैसी कि आज है तो मैं आप से यह कहता हूं कि जितने हमारे प्रदेश के कारखाने हैं अगर उन प्रदेशों में जाकर उन्होंने अपने कारखाने खोले तो हमारे कारखाने बन्द हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, शुगर सेस का रुपये में से हमारी सरकार की इच्छा है कि....

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में आप भी असंगत हो रहे हैं। उस चीज को माननीय गेंदा सिंह जी पहले कह चुके हैं यद्यपि वह चीज इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये आप उसको दुहराकर दोहरायें नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब कोई टैक्स लगाया जाय या कोई सेस वसूल हो और उसके सम्बन्ध में कोई बिल सदन के सामने आये तो आखिर हम क्या कहें ? क्या यह कहें कि वह किस लिये वसूल किया जाता है या यह कहें कि यह रुपया किस तरह से वसूल किया जायगा या उसका क्या होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—यह भी इस विधेयक का विषय नहीं है। आप थोड़ी बहुत बात इसके सम्बन्ध में कह सकते हैं लेकिन अगर पूरा व्याख्यान ही इसके ऊपर हो तब तो असंगत हो जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हम तो टैक्सेशन की पालिसी का साथ दे रहे हैं। मैं कह यह रहा था कि अगर यह सेस वसूल किया जाता है तो उसका असर कंज्यूमर पर भी पड़ता है। प्रदेश के लोगों को जो चीनी के दाम देने पड़ते हैं वह अधिक होते हैं इसलिये सब लोगों पर इसका असर होता है। अगर हमारी ईल्ड अच्छी हो जाती है तो चीनी भी सस्ती होगी और उससे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। इसके डेवलपमेंट के लिये पी० डब्ल्यू० डी० और सिंचाई विभागों से जो रुपया मांगना पड़ता है वह भी मांगना न पड़ेगा।

हमारे ख्वाजा साहब ने एक बात उठायी है। उन्होंने कहा कि गेंदा सिंह जी को केन सैस की कीमत के बारे में केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिये था कि न प्रदेशीय सरकार से।

श्री अध्यक्ष—यह भी विधेयक का विषय नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अब अध्यक्ष महोदय शुगर के बारे में मैं क्या कहूं। शिवनारायण जी से हमें आशा थी कि वे कुछ इस बारे में अधिक कहेंगे क्योंकि उनकी पैदाइश ही जावा है जहां शुगर काफी होती है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो बता दिया कि वहां कितना मोटा गन्ना होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हमारा इससे कोई विरोध नहीं है कि रुपया वसूल न किया जाय। माननीय विरोधी दल के नेता का यह विचार नहीं है कि अगर किसी से रुपया वसूल न हो तो उसको जेलखाने में न डाला जाय लेकिन वे यह चाहते हैं कि रुपया वसूल करने के लिये अगर जेल में डालने की बात कही जायगी तो लोग रुपया न देंगे और जेल में जाने के लिये तैयार हो जायेंगे। लेकिन हमें तो रुपये की आवश्यकता है, हमें इस बात से खुशी नहीं होगी कि कोई मिल मालिक जेल चला जाय। हमारा तो रुपया वसूल हो जाना चाहिये चाहे कोई जेल जाय अथवा न जाय। अगर रुपया वसूल होजाय और सरकार उनको जेल में ही डालना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन कलेक्टर साहब तो रुपया ही वसूल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी रिकवरी लैंड रेवेन्यू की तरह हो। इस सेस को वसूल करने में सरकार को सख्ती बरतनी चाहिये ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। हमारी तरफ से लोगों को कोई ग़लतफहमी नहीं होनी चाहिये। सरकार जो केन सेस को वसूल करने में कदम उठा रही है और जो ताकत ले रही है उसको वह ताकत आवश्य लेनी चाहिये।

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह के भाषण को मैंने बहुत गौर से सुना परन्तु मुझे खेद है कि गेंदा सिंह को आज वकील करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो बातें उन्होंने इस सदन में कह डालीं उनमें से अधिकांश बातें पहले इस सदन में रखी जा चुकी हैं। सेस और सेस अदा न करने पर सजा पाने पर उन्होंने जो रुख अख्तियार किया मैं समझता हूं उससे उनकी ताईद नहीं होती। गेंदा सिंह जी भूल गये कि यह सेस वाला क्लाज कई बार इस सदन में आ चुका है। कई बार भाषण दिये गये हैं और उनके द्वारा वे सैस के सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आज के बिल में कोई सैस का सिद्धान्त था नहीं। फिर भी यह सब कहना कि सेस नहीं लगना चाहिये, मेरे ख्याल में श्री गेंदा सिंह पर अब मिलमालिकों का असर ज्यादा है और मैं समझता हूं कि यह बात कि मिल-मालिकों को सजा न हो यह तो कोई जो आज के युग में थोड़ा प्रगतिशील व्यक्ति होगा वह नहीं कह सकता। कोई यह नहीं कह सकता कि बड़े आदमी को सजा या दंड एक हो और छोटे को दूसरा दंड हो यह मुनासिब नहीं है। सजा का विरोध करना और इस बिना पर कि वह

नाजुक बहुत हैं। गलत है। माननीय मदनमोहन उपाध्याय ने सफ़ाई दी में उनको धन्यवाद अदा करता हूं लेकिन माननीय गेंदा सिंह का काम उस से और मुश्किल हो गया। उनका यह कहना कि वह तो नाजुक हैं वैसे ही पैसा दे देंगे, उनसे क्यों वसूल करते हो उनके साथ क्यों सख्ती करते हो यह मेरी समझ में नहीं आता, यह वकालत उनको नहीं करनी चाहिये थी। अगर वह वैसे ही पैसा दे देते हैं तो इस क्लाज से दिक्कत क्या पड़ती है। अगर रुपया दे देते हैं तो कुछ नहीं होगा अगर नही देते हैं उसी के लिये यह प्राविजन है कि प्रासिक्यूशन उनका हो और सजा भी हो, यह तो मेग्जिमम पनिशमेंट है इसमें औचित्य की बात क्या देखना है। वह कम भी हो सकती है।

मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भाषण सदन में हुए उन सब का निचोड़ यह था कि बिल तो अपनी जगह पर ठीक है। मौर्य जी का कहना है कि केसेज कम्पाउन्ड न हों लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सेस न अदा करना तो एक सिविल लायबिलिटी है, उसके लिये इतनी कड़ाई करने की आवश्यकता दिखाई देती है। लेकिन अगर वह रुपया दे देते हैं और फिर भी क़ैद की जाय तो वह जरा बेजा बात हो जायगी। सजा देने के माने यह नहीं है कि कि इतना बड़ा दंड दो कि आदमी बरबाद हो जाय, हर चोरी के जुर्म का दंड अगर हाथ काटना कर दिया जाय तो छोटे जुर्म करने वाला भी बड़ा जुर्म करेगा। आरम्भ में तो माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि मैं सेस का विरोधी नही हूं लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अभी बिल को और साफ बनाने के लिये समिति में भेजना चाहिये लेकिन अन्त में उन्होंने कह दिया कि सेस नहीं लगना चाहिये। उन्होंने कहा कि मिल मालिकों से पैसा नहीं लेना चाहिये और उनको सजा नहीं देना चाहिये क्योंकि वह बड़े व्यक्ति हैं और नाजुक व्यक्ति हैं। उन्होंने इस तरह से बड़े लोगों का समर्थन किया।

एक बात का खासतौर से जिक्र किया गया कि उसकी चर्चा इस बिल में नहीं है और वह यह कि इस रुपये का खर्च गन्ने की ही उन्नति में होना चाहिये। इसमें हमें दो तीन दिक्कतें मालूम होती हैं। एक तो यह कि यह बिल के स्कोप में नहीं है। इस से तो स्कोप और एनलार्ज होता है, दूसरे यह कि जितने टैक्सेज वसूल होते हैं वह सब एक कन्सालिडेटेड फंड में जाते हैं, संविधान की धारा २०२ के अनुसार वह सब एक कनसालिडेटेड फंड में जाते हैं, एक चार्ज्ड आइटम है जैसे सलरीज हैं विधान सभा का खर्च है वह सब अगर चार्ज वाले में कर दिये जायं तो वे सदन के सामने न आ सकेंगे। इसलिये वह रास्ता अपनाना ठीक न होगा। यह सारा रुपया बजट में और जनरल रेवेन्यू में ही जाना चाहिये। अलबत्ता यह कहा जा सकता है कि बिल में न हो तब भी इसमें से अधिक रुपया गन्ना उत्पादकों पर खर्च होना चाहिये, यह प्वाइंट हो सकता है। हमारे इस सदन के बहुत से साथी किसान हैं वह जानते होंगे कि ऐसा कोई खेत नहीं है कि जिसमें केवल गन्ना ही होता है, उसमें दूसरी फसल भी होती है, केवल गन्ने की उन्नति ही नहीं की जाती है बल्कि जो भी काम होते हैं वह गन्ना और सभी कृषि की उन्नति के लिये होते हैं, खेती की उन्नति में गन्ने की भी उन्नति शामिल है। इस दृष्टि से जितना रुपया खेती पर सर्फ होता है उस में गन्ने की भी उन्नति होती है और यही नहीं, जितना रुपया सिंचाई पर हमने सर्फ किया, सड़कों पर सर्फ किया, वह सब रुपया भी एक दृष्टि से गन्ने की उन्नति की तरफ ही जाता है।

यहां इस बात की चर्चा भी हुई कि बहुत बड़ी-बड़ी कमेटियों ने इस बात को तय कर दिया है कि यह सेस नहीं लगना चाहिये। श्री गेंदा सिंह जी ने टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट की चर्चा की कि उस में लिखा है कि सेस हटाना मुमकिन नहीं है, मेरी राय है कि मुमकिन हो तो कम कर दिया जाय, यह नहीं कहा कि हटा दो। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह कहना कि किसी कमेटी ने यह सिफारिश की है कि सेस कच्चे माल पर नहीं लगना चाहिये, यह भ्रम है। उसमें साफ कहा है कि सेस कम हो जाय और यह जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि यह डिजायरेबिल नहीं है, यह लोकल बाडीज पर लगे लेकिन इसकी किसी ने मुखालफत नहीं की है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमटी ने कहा है कि....

श्री गेंदा सिंह—वह हिस्सा जरा आप पढ़ दें।

श्री फूल सिंह—मैं पढ़े देता हूं :

"We recognise that the present state of Provincial Finances may not allow of a reduction in the cess in the near future, but judging from the figures of total collections of cess and expenditure on cane development in U. P. and Behar, we consider that there is no justification for raising such large revenues from the cane cess. We believe that, consistently with the probable requirements of cane development the cess can be reduced."

उन्होंने साफ कहा है कि हम समझते हैं कि जो हालत फाइनेन्सेज की आजकल है उसमें सेस हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम हो सकता है।

दूसरा प्वाइंट यह था कि कितना सेस हम दे रहे हैं, और सूबे के लोग ज्यादा दे रहे हैं या हम ज्यादा दे रहे हैं, हम से अक्सर और सूबे ज्यादा सेस दे रहे हैं। माननीय सदस्य चाहें तो वह आंकड़े भी मैं पढ़ दूं, मद्रास, बम्बई, बिहार में कहीं भी यहां से वह कम नहीं है।.....

श्री अध्यक्ष—अब आप बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री फूल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दे रहा था, उस वक्त चूंकि माननीय गेंदा सिंह जी ने उस की चर्चा की थी। मैं यह तो दिखला ही चुका हूं कि टैरिफ बोर्ड ने यह नहीं कहा कि सेस नहीं लगना चाहिये बल्कि यह कहा कि सेस कम होना चाहिये। मगर टैरिफ़ बोर्ड का हवाला देना माननीय गेंदा सिंह जी के हित में वैसे भी नहीं है क्योंकि जहां उन्होंने सेस के कम करने की बात कही है वहां गन्ने के भाव को कम करने की भी कही है। उन्होंने कहा है कि गन्ने का भाव १ रु० ७ आने के बजाय १ रु० ४ आने कर देना चाहिये और सेस आधा कर देना चाहिये। तो मैं आशा करता हूं कि यह राय नहीं हो सकती किसी की और न गेंदा सिंह जी की। एक फिकरा पढ़ लिया जाय और एक न पढ़ा जाय। मैं उस फिकरे को माननीय सदस्यों के लिये पढ़े देता हूं :

"When the cane price is reduced from Rs.1-7 to Rs.1-4 per maund and the cane cess from Re.0-3-0 to Re.0-1-6 per maund, there will be reduction in the cost by Rs.2-13 and fare ex-factory price of sugar will be reduced from Rs.24-12-0 to Rs.21-15-0 per maund."

तो यह मैंने इसलिये अर्ज किया कि टैरिफ़ बोर्ड की बहुत सारी बातें हमें मुख्तलिफ़ कारणों से मान्य नहीं होंगी। तो यह भी इसी वजह से हम सेस को भी कम नहीं कर सकते। मैं टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जिल्द १ और पेज १५६–५७ पर जो सेस के सम्बन्ध में चर्चा है उसका हवाला दे देना चाहता हूं। मैं ही दो फ़िकरे इसमें से पढ़ूंगा :

"On the other hand a cess is levied on the entry of sugar cane into local areas in some States, at fairly high ates: this is described as a cess in accordance with the terms of the Government of India Act, 1935 where duties of this kind are referred to as 'cesses' as against 'taxes' in the Constitution of India."

"Though reference has been made to some defects in the organising and expanding of the proceeds of such cesses, the usefulness of the practice has not been called into question by any witness before us."

यानी किसी व्यक्ति ने टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन के सामने यह चर्चा नहीं की कि सेस नहीं लगना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—इसमें कसूर किसका है ?

श्री फूलसिंह—मैं यह नहीं कहता कि कसूर किसका है। जो कमेटी की राय है उस को आप के सामने रख रहा हूं। पर वाकया यह है कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन या टैरिफ़ बोर्ड ने यह नहीं कहा कि सेस नहीं लगना चाहिये। एक बात और कहूं। सेस लगाने वाली केवल यू० पी० सरकार नहीं है। बिहार की सरकार और हैदराबाद की भी है। तो यह भी देखना चाहिये कि वहां क्या होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में सेस जनरल रेवेन्यू में जाता है, जैसे हमारे यहां जाता है। तो इसलिये यह प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है कि यहां के सेस को अलग से खर्च किया जाय या नहीं किया जाय। केवल एक दो बातें और हैं जो कि इस सदन में निवेदन कर देना चाहता हूं। यह कहा गया कि यह सेस जो है यह टैक्स है केन ग्रोवर्स पर। मेरे ख्याल में इस बात से तो मेरे बहुत सारे साथी सहमत नहीं होंगे क्योंकि गन्ने की कीमत जब मुकर्रर की जाती है उसके अलावा सेस अलग से है। तो सेस का बर्डन, यह तो कह सकते हैं कि कंज्यूमर पर पड़ता है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि ग्रोवर पर पड़ता है। फिर एक डिफ़िकल्टी और है हालांकि वह बात ऐसी कुशल नहीं हो सकती। पिछले दिनों जब शुगर केन रूल्स यहां पेश हुए थे तो उन दिनों गेंदा सिंह जी ने एक संशोधन पेश किया था कि कमीशन जो है वह तीन पैसे के बजाय दो आने कर दिया जाय। तो मैं नहीं समझता कि इसके घटाने में क्या खास दलील सामने आ सकती है क्योंकि यह मैं अर्ज कर ही चुका हूं कि दोनों चीजों का असर कन्जूमर पर पड़ता है। अब एक बात मेरे मित्र मोहन लाल जी ने बतलायी कि उनके जिले में कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको गन्ने पर इनाम मिला, ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करने पर लेकिन जब उसका गन्ना मिल में गया तो मिल वालों ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। यह बात बहुत सम्बन्धित तो नहीं है इस बिल से, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो हायर ईल्डिंग वेराइटी है वह शुगर परपजेज के लिये खराब भी हो सकती है। मिल को तो यह देखना है कि कौन से गन्ने से ज्यादा शुगर मिलती है और जब कोई इनाम दिया जाता है तो वह इस पर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना कहां पैदा हुआ। तो यह दोनों चीजें भिन्न हो सकती हैं। यह हमारे प्रान्त का प्रश्न जिस पर बहुत चर्चा यहां हुई और जो बहुत महत्व का है, वह ज्यादा गन्ना उत्पन्न करने का नहीं है।

हमारे प्रान्त का प्रश्न यह है कि प्रति एकड़ ज्यादा गन्ना पैदा करें और प्रतिमन गन्ने में ज्यादा शुगर निकले क्योंकि गन्ना तो इस वक्त भी इतना ज्यादा पैदा हो गया है कि जून के अन्त तक फैक्ट्रियां चलेंगी। अब यह दूसरी बात जो यह कही गई यहां कि सरकार यह कोशिश करती कि सीतापुर का गन्ना पूरब के जिलों में चला जाता तो यह हो सकता था पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यही कारण है, एक यह भी कारण है गन्ने की रिकवरी कम होने का। दूर-दूर से गन्ना लाया जाय, रास्ते में सूख जाय, रास्ते में कई दिन लगें तो रिकवरी कम हो जायगी। जिस अंग्रेजी फैक्ट्री की चर्चा माननीय गेंदा सिंह जी ने की यकीनन उस फैक्ट्री का इन्तजाम बहुत अच्छा है और उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है। पर जो दलील दी गई वह ज्यादा माफिक नहीं है। गन्ना दिन में तौलना चाहिये, रात के लिये गन्ना जमा कर लेना चाहिये, उससे मैं इत्तफाक करता हूं लेकिन यह कहना कि वह दिन में तौल लेता है उस की रिकवरी ज्यादा है, यह सही नहीं है। किसानों की सुविधा के लिये तो यह बात ठीक है लेकिन इसको उस बात से भिड़ा देना, वह ठीक नहीं है।

मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। केवल एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं कि फैक्ट्रियों ने जो जल्दी गन्ना पेरना शुरू नहीं किया इस प्रश्न को भी जरा सोचना चाहिये। यह कोशिश भी की गई। उस बोर्ड में माननीय गेंदा सिंह जी भी थे और शायद मैं भी था वहां जब यह चर्चा थी कि फैक्ट्रियों को कुछ कंसेशन दिया जाता और वह जल्दी गन्ना पेरना शुरू कर देतीं। पर मेरे ख्याल में मुनासिब बात तो यह है कि गन्ने का भाव जब मुकर्रर करते

[श्री फूलसिंह]

हैं तब हम एवरेज सीजन, और एवरेज रिकवरी पर मुकर्रर करते हैं, एवरेज इतने प्रतिशत रिकवरी होगी, इसके हिसाब से मुकर्रर करते हैं। इसलिये शुरू में रिकवरी कम है तो उससे मिल वालों को ग्रज नहीं करना चाहिये। और शुरू में रिकवरी कम है इसकी वजह से माननीय गेंदा सिंह जी उनको कुछ कंसेशन दिलाना चाहें तो मैं आशा करता हूं कि जनवरी या फरवरी में जब रिकवरी ज्यादा होगी तो वह कहेंगे कि किसानों को भी कुछ ज्यादा मिलना चाहिये। तो यह दोनों बातें उलझाव की हैं। फैक्ट्रियों की एक एवरेज रिकवरी है उस से उनको गाइड होना चाहिये। तो मैं यह चन्द बातें इसलिये सदन के सामने रखता हूं कि यह जो बिल है इतना छोटा सा बिल है और इसकी जो धारायें हैं वह इतनी निर्विवाद हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से काई मुद्दा पूरा होने वाला नहीं है। तो मैं तो निहायत नम्रता से अपने मित्र गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का वापस ले लें ताकि इस बिल पर क्लाज बाई क्लाज बहस शुरू हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६, एक प्रवर समिति को भेजा जाय जो ७ दिन के भीतर रिपोर्ट दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें २—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में, शब्द तथा पद—

(क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) से तात्पर्य है वह दिनांक जब यह अधिनियम पहले पहल सरकारी गजट में प्रकाशित हो।

(ख) शब्द "गन्ना", "गन्ना आयुक्त" (Cane Commissioner), "फैक्ट्री", "फैक्ट्री का अध्यासी" (occupie of factory) तथा राज्य सरकार के अर्थ वही होंगे जो उन्हें उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में दिये गये हैं।

(ग) "फैक्ट्री के स्वामी" (owner of factory) के अन्तर्गत फैक्ट्री का अध्यासी तथा वह व्यक्ति —उसका नाम चाहे कुछ भी है—हो, जिसका फैक्ट्री के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो।

श्री उपाध्यक्ष—खंड २ पर किसी संशोधन की सूचना नहीं है, इसलिये प्रश्न यह कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उपकरों का लगाया जाना।

३—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के फैक्ट्री में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये पन्ने पर ४ आने प्रति मन से अधिक उपकर (cess) लगा सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसी प्रकार राज्य सरकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी परिमित प्रयोजन के निमित्त फैक्ट्री में प्रयुक्त किये गये अथवा प्रयुक्त किये जाने वाले गन्ने के संबंध में उपकर की पूर्णतः अथवा अंशतः छूट भी दे सकती है

स्पष्टीकरण:—यदि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश क बाहर स्थित किसी फैक्ट्री के संबंध में इस प्रकार की घोषणा करे तो उस फैक्ट्री में प्रयोग, उपभोग अथवा विक्रय किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा उपेक्षित गन्ने की खरीदारी के लिये निर्दिष्ट (set apart) उत्तर प्रदेश में स्थित कोई स्थान उस फैक्ट्री का भूगृहादि (premises) समझा जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया उपकर फैक्ट्री के स्वामी द्वारा देय होगा तथा वह ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर दिया जायगा, जो विहित किया जाय।

(३) उपधारा (२) के अधीन विहित दिनांक को अदत्त उपकर की प्रत्येक बकाया पर ऐसे दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा।

(४) राज्य सरकार उपकर के अवधारण तथा उसकी वसूली के प्रयोजनार्थ अधिकारियों तथा प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है तथा ऐसी रीति भी विहित कर सकती है जिसके अनुसार उपकर अवधारित और वसूल किया जायेगा।

(५) जब किसी व्यक्ति पर उपकर की अदायगी बाकी हो तो उपकर वसूल करने के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी यह आदेश दे सकता है कि बकाया धनराशि तथा ब्याज के साथ-साथ उसके १० प्रतिशत से अधिक धनराशि अर्थ-दंड के रूप में उपकर के देनदार व्यक्ति से वसूल की जाय।

(६) उपकर की वसूली के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी कलेक्टर के पास प्रमाण-पत्र, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे, अग्रसारित करेगा जिसमें वह किसी भी व्यक्ति द्वारा देय बकाये और उस पर ब्याज की धनराशि निर्दिष्ट करेगा। प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर उस व्यक्ति से निर्दिष्ट धनराशि की वसूली के निमित्त ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वह मालगुजारी की बकाया हो।

(७) उपधारा (५) के अधीन अर्थदंड के रूप में आरोपित कोई भी धनराशि उसी रीति से वसूली जा सकेगी जिसकी व्यवस्था उपकर की बकाया वसूल करने के सम्बन्ध में उपधारा (६) में की गई है।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "४ आने प्रति मन से अधिक उपकर (cess) लगा सकता है" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"तीन आने प्रति मन तक उपकर लगा सकती है और यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी।"

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस समूचे विधेयक का प्राण है। हालांकि ठाकुर साहब ने मेरे लिये यह कहा कि मैंने सेस का विरोध किया मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं इस सेस का विरोध करता हूं बशर्ते कि इस सेस की रकम किसान के घर में आती। मैं जानता हूं कि अगर मैं इस सेस की रकम का विरोध करूं तो कहीं हमारे विरोध से इस सेस का जो विधेयक आज हमारे सामने वसूल करने का आया है वह नामंजूर हो जाय और उसके बाद यह जो तीन आने मन सरकार के खजाने में आता है तब यह किनके घर में चला जायगा इसका मुझे ज्ञान है। यह तीन आने मन की रकम मिल मालिक के खजाने में जायगी और वह इस रकम से कोई डेवलपमेंट करेगा यह मुझे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि कुछ मिल मालिक ऐसे हों जो कि तीन आने मन वाली जो प्रति वर्ष हमारे देश में लगभग पांच करोड़ रुपये के होता है उस रकम से कुछ मिल वाले अपनी मिलों की तरक्की करें लेकिन ज्यादातर यह रकम ऐसी है जो देश के उपयोग में लगी नहीं है इसलिये मैं इसका विरोधी नहीं और न विरोधकर रहा हूं। इस वक्त मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मुझे विश्वास हो जाय कि मेरे विरोध करने पर यह बिल नामंजूर हो और उसके बाद यह रकम किसानों के घर मे चली जाय जिससे निकलती है कंज्यूमर के पास चल जाय जो चीनी खरीद कर खाता है तो मैं खुल कर विरोध करता और उस विरोध करने में रत्ती भर कसर नहीं करता, लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि यह रकम कहां जाने वाली है। पिछले वर्ष जिस वक्त कि सहारनपुर में एक मिल मालिक ने मुकदमा दायर कर के इस सेस को गैर-कानूनी करार दिलवा दिया। उसके बाद इस सूबे के किन भले मिल वालों ने सरकार के खजाने में यह रकम जमा कर दी है। हमारा ख्याल है और जितनी हमारी जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि शायद सारे सूबे की ६६ मिलों में १-२ मिल ने सरकार के सेस की रकम को देने का साहस किया और देने की मेहरबानी की। मैं तो इसको मेहरबानी ही मानता हूं। वह होशियार आदमी हैं। वह यह समझते हैं कि आखिर कानून बनेगा और यह सेस की रकम वसूल होगी। मैं उन मिल मालिकों का नाम जानना चाहता हूं कि वह कौन से मिल मालिक लोग हैं जिन्होंने इस वर्ष सेस की रकम में से कुछ रकम इस मुकदमें के फैसल होने के बाद भी दी है। मैं जरूर उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखता हूं। और मुझे उनके प्रति सहानुभूति रखने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन नाम मात्र के ऐसे मिलमालिक लोग हैं जिन्होंने इस कानून के अवैध करार होने के बाद यह रकम सरकार के खजाने में भेजी है। बाकी सब लोगों ने इसका पूरा-पूरा फायदा उठाया है।

मैं सरकार के खजाने में जो रकम आती है उसके खर्च करने के तरीके को भी नापसन्द करता हूं और अगर उस तरीके को हम नापसन्द न करते होते तो फिर कांग्रस से झगड़े की क्या बात थी हम भी उनके पीछे पीछे होते। लेकिन हम उस तरीके को नापसन्द करते हैं उस रकम को उस ढंग से खर्च होना चाहिये जो देश की तरक्की का ढंग हो सकता है। उसमें उस रकम को हम लगाना चाहते हैं। हम कभी समाजवादी कार्यक्रम को अपनाने की बात सरकार से नहीं कहते हैं लेकिन फिर भी मैं यह जरूर सोचता हूं कि यह रकम अगर किसानों का पेट काटकर जो लोग चीनी खाने वाले हैं उनकी पाकिट से पैसा पैसा कर के इकठ्ठा होती है तो मैं यह कहने का अधिकार रखता हूं कि वह रकम ठीक प्रकार से खर्च हो सके।

मैं कह सकता हूं कि सदन को इस बात का पूरा-पूरा हक है कि वह पूरी जानकारी इस बात की रखे कि इसका उपयोग ठीक प्रकार से हो। जब हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं तो हमको सरकार यह बतलावे कि इस रकम को कैसे खर्च किया जायगा और फिर उसके बाद हम अपना यह भी अधिकार समझते हैं कि हम सरकार को सुझाव दे और सरकार से कहें कि इस प्रकार से इस रकम को खर्च करे और इसके साथ-साथ हम अपना यह भी हक समझते हैं कि सरकार ने जो इसके खर्च करने में गलती की है उसको भी सामने रखे। मैं समझता हूं कि यह

बिलकुल रिलीवेन्ट है । मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मन्त्री जी या माननीय सदन हमारी इन बातों से इत्तफाक करेगा और हमारे इस अधिकार को छीनना नहीं चाहेंगे कि जिस वक्त वह जनता की कमाई का कुछ पैसा लेने की बात सरकार अपने खजाने में सोचे तो फिर वह इस बात को बताने की भी मेहरबानी करे कि वह इस पैसे को लेकर क्या करेगी। और माननीय सदन को भी कि इस बात का मौका दे कि अगर सोचने में सरकार से गलती हुई है तो माननीय सदस्य उसको सुझावें और उसको रोकें कि इस तरह का खर्चा नहीं होना चाहिये। यह संशोधन जो है मैं समझता हूं कि बिलकुल इसी माने को रखता है । मैं माननीय सदस्यों का और उपाध्यक्ष महोदय, आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। इस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये कि इस रकम के खर्च के बारे में कोई झगड़ा यहां पर न हो जाय कि यह इरेलीवेन्ट है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह हमारा संशोधन है। हम तो समझते हैं कि इसमें बस यह बात है इसके अलावा कोई दूसरा संशोधन कोई ज्यादा कीमत नहीं रखता है और वह सारी चीज इसी पर निर्भर करती है। और मैं इसलिये चाहता था कि इस बात पर बहुत ठंडे तरीके से विचार हो जो ठाकुर साहब इस हाउस में नहीं कर सकते थे और सारी उन्हीं की बनाई हुई, उन्हीं की मेहनत की जो कमाई ये किताबें हैं, यह उनके सामने रखता और रख कर यह कोशिश करता कि इस रकम को किस किस मद में खर्च किया जाय। उनसे कहता कि वे सारे प्रदेश की जनता से कहने की तकलीफ गवारा करें, उस जनता से जिससे कि पैसा लिया जाता है, उस जनता से यह कहलाता कि इस पैसे को ले कर अमुक काम में खर्च किया जायगा। ऐसा करने से उसको थोड़ा संतोष होता। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जब आप हमसे कहते हैं कि आप विरोध न करो और मैं कहता हूं कि मैं इस सेस लगाने का विरोध नहीं करता हूं तो फिर आप हमारे मुंह को बंद न कीजिये। जब आप सेस लगाते हैं तो हमें यह भी कहने का हक है कि आप उसको किस किस मद पर खर्च करेंगे। यह बात इसके स्कोप के भीतर है और आप इस पर विचार करें। मैंने इसके बारे में शुरू में ही बता दिया था। मैं समझता हूं कि हमारी वे बातें आप को याद होंगी। मैं थोड़ी बातें दोहरा देने की गलती करूंगा यदि दोहरा दूं तो। नहीं तो मैं नयी बातें कहना चाहता हूं।

हमारे सूबे में यह निश्चय है कि शुगर का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ९ लाख टन शुगर पिछले वर्ष बन चुकी है और आज भी यह बात मानी जायगी कि हमारे प्रान्त की फैक्टरियों की कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी के मुताबिक हम और अधिक चीनी पैदा कर सकते हैं। अब अधिक चीनी के लिये आवश्यकता है कि अधिक गन्ना पैदा हो और अधिक गन्ना पैदा करने वाला किसान अपनी मर्जी से, दबाव से नहीं, खुशी खुशी गन्ना मिलों को दे सके, ऐसी परिस्थिति पैदा करना हमारा काम है। अगर यह चीज हो जाय कि फैक्ट्री की जरूरत के मुताबिक गन्ना पैदा हो जाय और गन्ना पैदा करने वाले फैक्टरियों को देने के लिये तैयार हों। वह तैयार हैं, दो तीन महीने गन्ने को खेतों में खड़े हुए हो गये तब भी वह फैक्टरियों को गन्ना देना चाहता है अगर हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर तो यह फैक्ट्रीज ९ लाख टन से अधिक चीनी पैदा कर सकती हैं जब फैक्ट्री ज्यादा चीनी पैदा कर सकतीं हैं तो यह निर्विवाद है कि चीनी के उत्पन्न करने की जो लागत है वह घटेगी जब वह घटेगी तो दूसरे प्रदेशों और फारेन मारकेट में भी हम अपनी चीनी को भेज सकेंगे। यह तभी हो सकता है जब हम अनुकूल परिस्थिति पैदा करें। अब इस सिलसिले में सिवाय सरकार के मैं और किसका ध्यान दिलाऊं। लेकिन सरकार अनुकूल परिस्थिति पैदा नहीं कर रही है। आज किसान मर कर खड़ा है, इसलिये कि वह अपने गन्ने का गुड़ नहीं बना सकता है। गन्ने का गुड़ बनाने में आज वह असमर्थ है। सरकार गुड़ की मार्केटिंग करने में ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है जो सरकार का कर्त्तव्य था और जिस शुगर पर टैरीफ बोर्ड की रिपोर्ट का ठाकुर साहब ने हवाला दिया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह शुगर केन सेस लगा तो सकते हैं हालांकि पहले उन्होंने मना किया कि आप कतई नहीं लगा सकते लेकिन अगर लगा सकते हैं तो इस लिये लगा सकते हैं कि उसको खेती में तरक्की हो, मार्केटिंग में तरक्की हो।

[श्री गेंदा सिंह]

मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज यह मार्केटिंग के लिये सरकार ने क्या किया। पिछले वर्ष कुछ कोआपरेटिव से गुड़ खरीदने के अलावा आज तक सरकार ने इस सेस की रक़म से क्या किया। ६ करोड़ मन गुड़ पैदा होता है। उनके लिये सरकार ने क्या किया। एडीशनल एक्साइज़ ड्यटी क्लाथ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली लेकिन उसके लिये उसने स्पष्ट कहा कि वह कर्घे को तरक्क़ी देना चाहती है और उससे जितनी रकम इकट्ठा होती है वह सब कर्घे में जाकर खर्च होती है। मैं पूछता हूं कि सरकार जो यह केन सेस वसूल करने जा रही है ५ करोड़ रुपये उससे जो यह गुड़ उद्योग है उस की मार्केटिंग के लिये, उसको इम्प्रूव करने के लिये सरकार कोई मेथेड एडाप्ट करने जा रही है।

प्लानिंग कमीशन ने जो रुपया इसको इम्प्रूव करने के लिये यू० पी० की सरकार को दिया है उससे ज्यादा एक पैसा भी सरकार इस पर खर्च करने नहीं जा रही है। गुड़ के काम में ११ लाख आदमी लगे हुए हैं और साल भर में कुछ ही दिनों उनको रोज़ी मिलती है। इस रक़म से एक पैसा भी खर्च कर के उस कोल्हू को इम्प्रूव करने के लिये सरकार क्या करेगी, गुड़ की मार्केटिंग के लिये क्या उपाय करने जा रही है? यह मैं पूछने का हक़ रखता हूं और सरकार उत्तर दे, मैं सजेस्ट करने का भी अधिकार रखता हूं कि यह जो रक़म ली जा रही है उससे गुड़ की मार्केटिंग के लिये, गुड़ उद्योग की तरक़्क़ी के लिये, लोगों की रोज़ी को कायम करने के लिये कोशिश की जाय। दुनिया में कारखानों से मुकाबला करने के लिये काटेज इंडस्ट्री को मदद की जाती है, लेकिन हमारे सूबे में कारखानों की मदद करने के लिये सब कुछ किया जाता है, लेकिन इस गुड़ जैसी इंडस्ट्री को मदद करने के लिये सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सेस अगर लिया जाता है तो मैंने ठाकुर सहाब की इच्छा का पूरा-पूरा प्रतिपादन किया है। ठाकुर साहब ने कहा कि ऐसी बात मत कहा करो। बड़ी शिकायत थी उनको। सिर्फ गन्ने वालों की मदद में और उनकी तरक्की में यह पैसा खर्च किया जाय और अब हमारे अमेंडमेंट को देख लें। हमारा अमेंडमेंट जो है वह गन्ने का नाम तक नहीं लेता। हमारा अमेंडमेंट बहुत स्पष्ट कहता है कि यह रकम उस कृषि की उन्नति में खर्च की जायगी। अब तो शिकायत उनकी रफा हो गई जो शिकायत उनको कुछ देर पहले थी। चाहे उसे किसी चीज़ को खेती के काम में, उस इलाके की खेती की तरक़्क़ी में खर्च कर दो। यह खेती की तरक्की में जो कुछ परिभाषा बना लेंगे, जो कानून बना लेंगे वह परिभाषा, वह कानून मान लिया जायगा। तो यह शिकायत उनकी रफा हो जायगी।

हमारे सूबे में खांडसारी उद्योग भी बहुत महत्व रखता है। खांडसारी उद्योग में आज भी हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। छोटी-छोटी पूंजी वाले कुछ थोड़ी सी अपनी तिजारत चला लेते हैं। उस तिजारत पेशा वालों को भी सरकार ने इस केन सेस से आज तक क्या मदद दी है? यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने कोई मदद नहीं की। अगर कोई मदद नहीं की तो गलती की। उन्होंने ईख का उत्पादन बढ़ाने में, गुड़ की तिजारत को तरक्की देने में कोई ऐसा काम किया जिसका उल्लेख किया जाय? कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है जिसमें गुड़ व खांडसारी की तिजारत की तरक्की की चर्चा हो। सरकार यह कहती है कि उसने शूगर इंडस्ट्री को तरक्की देने में कुछ किया।

उपाध्यक्ष महोदय, वह एक्साइज़ ड्यूटी जो पिछले वर्ष ३ रु० १२ आना मन थी वह अब ५ रु० १२ आ० मन हो गई। उसको लेकर यू० पी० की शूगर इंडस्ट्री को सरकार क्या करने जा रही है। हिन्दुस्तान की सरकार, मैं यह बहुत साफ़ कहना चाहता हूं कि यू० पी० की शूगर इंडस्ट्री को वह सौतेली मां की तरह से देखती है। यू० पी० की शूगर इंडस्ट्री के लिये वह यह नहीं सोचती कि इस इंडस्ट्री को हम तरक्की दे कर आज इतनी चीनी का उत्पादन कर सकते हैं और जो हमें करोड़ों रुपये खर्च करने में पड़ रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को दूसरी जगह लगाने में उस रुपये को बचा कर हम दूसरे जो आवश्यक कार्य हैं उन कार्यों में खर्च कर

सकते थे। हम अनुदानों को नियंत्रित कर के सिंचाई के कार्य में उस करोड़ों रुपये की रकम को खर्च कर के किसानों को, जो बहुमत में हैं उनकी तरक्की कर सकते थे। आज ३६, ३७ शुगर फैक्टरीज सारे हिन्दुस्तान में लगाने जा रहे हैं। इन ३६ शुगर फैक्टरीज में मैं नहीं जानता कि कितनी शुगर फैक्टरीज उत्तर प्रदेश में लगेंगी। और कई करोड़ रुपये उनमें लग सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पर अन्दाजा है कि ५० लाख रुपये से कोई फैक्टरी कम में नहीं लगेगी। अगर ५० लाख रुपये में एक फैक्टरी लगती है तो १८-२० करोड़ रुपये खर्च हो कर शुगर फैक्टरीज लगाई जा रही हैं। वे शुगर फैक्टरीज जो आज की हैं— ठाकुर साहब वाली रिपोर्ट में था कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो शुगर फैक्टरीज हैं ज्यादा एफिशियेंट मानी जा रही हैं और उनसे हम अधिक चीनी का उत्पादन कर सकते हैं, उनसे अधिक कार्य लिया जा सकता है तो फिर इस रकम को रखने के बाद भी किसानों की कोई मदद हम नहीं करने जा रहे हैं, हम किसानों की मदद के नाम पर इस पैसे को नहीं ले रहे हैं। हमारी सरकार का इच्छा है कि इस देश के करोड़ों जो चीनी के खाने वाले हैं चीनी की क़ीमत बढ़ा कर हम उनसे केन सेस लेंगे। हमारी इच्छा है कि किसान के गन्ने की कीमत कम हो जाय। उससे किसान की कमर टूट जाय। उसकी कमर टूट जाने के बाद भी हम केन सेस की रकम में कोई रिआयत नहीं करेंगे। हम तीन आने मन लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ठाकुर साहब जरा यह बतलायें और इस सदन को बतलायें कि सब से पहले यह रकम कितना ली जा रही थी। यह रकम दो पैसे मन ली गई। जिस वक्त कानून बना था उस वक्त स्पष्ट कहा गया था कि इस रकम को खर्च इस इंडस्ट्री की तरक्की देने में किया जायगा लेकिन दो पैसा मन ही लिया गया था। जब प्रदेश की सरकार इस्तीफा दे कर चली गई तो विदेशी हुकूमत ने एक आना मन लगा लिया। सन् १९४७-४८ में जब यह सरकार आयी और इसने १ रु० ४ आने मन से गन्ने का दाम २ रु० मन किया उसी वक्त यह केन सेस की रकम एक आने से तीन आने कर दी गयी। वह तीन आने वाली रकम आज भी चली जा रही है। मैं आज भी तीन आने से कम करने की बात नहीं कहता। लेकिन वह तीन आने से कम करने की बात इसलिये नहीं कहता कि तीन आने से कम करके वह जायगा कहां? हमारे पास वह नहीं आने वाली है। इसलिये मैं सोचता हूं कि अभी ठाकुर साहब ने यह बात कही कि गेंदा सिंह ने तो कुछ दिन पहले कोआपरेटिव के कमीशन को बढ़ाने के लिये प्रस्ताव किया था उसी हाउस में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि कहां मैंने किया था यह प्रस्ताव कि तीन पैसे कोआपरेटिव का कमीशन दो आने कर दिया जाय। मैंने इस लिये दो आने मन करने को कहा था कि वह दो आने मन कमीशन ले कर सारी की सारी रक़म ईमरमार्क की जाय विकास के कामों के लिए, कुए बनाने में, सड़क बनाने में, गन्ना का उत्पादन बढ़ाने में, बीज और खाद देने में। इस काम में खर्च किया जाय। यह मेरा प्रस्ताव था। तो मैंने क्या बुरा किया था? मैं आज भी तो वह कह रहा हूं। मैं बिलकुल वही कह रहा हूं। इसमें कोई विरोधाभास कहां है और ठाकुर साहब को शिकायत क्यों हुई? और मैं कोआपरेटिव कमीशन को बढ़ाने के लिये इस लिये कह रहा था कि सरकार केन सेस बढ़ाने को तैयार नहीं थी। अगर सरकार केन सेस लेले तो यही ऐटीट्यूड रहेगा कि जनरल रेवेन्यू में जायगा। इसलिये मैं कह रहा था कि कोआपरेटिव को अगर पैसा मिलेगा तो वह सारा का सारा पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। उससे किसानों की तरक़्क़ी होती। सारे देश की तरक्की होती। चीनी सस्ती होती। इसलिये मैंने कहा था।

मैं इन बातों को कहते हुए फिर ठाकुर साहब से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस संशोधन को उन्हें स्वीकार करना चाहिये। अगर बिल सेलेक्ट कमेटी को नहीं गया तो न जाय, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इसके बाद इस पर ठंडे दिल से विचार करें तो मैं समझता हूं कि बहुत उत्तम बात होगी और सरकार का भी उद्देश्य है कि गन्ने की खेती को तरक्की दी जाय और हम लोगों का भी यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं

[श्री गेंदा सिंह]

कि हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। एक बात मैं ठाकुर साहब से जरूर निवेदन कर दूं कि ठाकुर साहब कभी कभी चूंकि उनको अब फुरसत मिलती नहीं है पढ़ने की इसलिये कभी कभी ऐसी बात कह जाते हैं जो पहले नहीं कह सकते थे। उन्होंने कहा कि टैरिफ बोर्ड में तो यह कहा था कि गन्ने का भी दाम कम कर दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसने यह कहा था, मैं उनका ध्यान टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के उसी सफे की ओर दिलाऊंगा। वह जरा मेहरबानी करें इस को पढ़ डालें। तो हमारे साथ वह इंसाफ करेंगे। वह १३९ पृष्ठ पर पढ़ें। मैं भूल गया १४२ पृष्ठ पर वह देखें और शुरू ही में है।

"We recommend that the maximum price for Sugar E-27 for 1950-51 should be fixed at Rs.27-12 anans per maund."

जब उन्होंने २४ रु० १२ आने मन चीनी का दाम सोचा था उस वक्त उन्होंने सोचा था कि एक रुपया सात आने मन गन्ने का दाम होना चाहिये। और बीस रुपये पर उन्होंने सोचा था कि और कम दाम हो जायगा गन्ने का। लेकिन आज तो उपाध्यक्ष महोदय, तीस रुपये में चीनी बिकती है और तीस रुपये मन में चीनी बिकने के बाद ठाकुर साहब कह रहे हैं कि आप को एक रुपया सात आने मन ही मिलेगा। यह इंसाफ है? मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि मेहरबानी कर के टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में जो ब्रेकअप दिया हुआ है उसे पढ़ें। दो ब्रेकअप दिये हुए हैं और दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एक रुपया दस आने मन गन्ने का दाम रहेगा तो कितने रुपये मन चीनी बिकेगी और जब एक रुपये सात आने मन गन्ने का दाम होगा तो कितने रुपये मन चीनी बिकेगी। हम को २७ रुपये आठ आने मन पर चीनी जब बिके तो टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एक रुपये दस आने मिलने चाहिये और जब चौबीस रुपये बारह आने मन पर बिके तो हमें एक रुपये सात आने मन मिलना चाहिये। तो चौबीस रुपये बारह आने मन में चीनी बिकवाने में ठाकुर साहब समर्थ हो सकेंगे? अगर वह इन दामों पर मिल मालिकों से चीनी बिकवा सकें तो मैं समझता हूं कि किसी काश्तकार को शिकायत नहीं होगी कि एक रुपया सात आने मन पर क्यों गन्ना खरीदा जा रहा है। लेकिन २९ रु०, ३० रु०, ३२ रु० बन पर चीनी बिकती हो और हमको मजबूर किया जाय कि तुमको अपना गन्ना इसी रेट पर देना होगा मिल मालिकों को। अगर नहीं देंगे तो कैदखाना होगा, जुरमाना होगा और मैं भी उनसे यह शिकायत करूं कि आखिर इस सूबे में जो चीज सारे देश में नहीं हुई वह उत्तर प्रदेश में कम से कम हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की कि देहरादून के मिल मालिक के और काशीपुर के मिल मालिक के इलाकों के गन्ने की क़ीमत कम कर दी जाय। यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिफारिश की केन्द्रीय सरकार को। यह बड़ा उलाहना और इल्जाम है जिस इल्जाम से उत्तर प्रदेश की सरकार को पिंड छुड़ाना चाहिये। मैंने बहुत वक्त लिया और दूसरे माननीय सदस्यों को भी इस पर मौका मिलेगा और मैं खासतौर से ठाकुर साहब से कहूंगा कि इस मामले में अगर कोई बहुत पाबन्दी न हो तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि यह रकम इसी काम में खर्च की जाय और अगर यह बात मान ली गयी तो प्रोसीडयोरल मामले हैं उनमें कोई वक्त लगने वाला नहीं है। यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री तेजप्रताप सिंह---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। यह जो विधेयक की प्रतियां बटी हैं और मेरे पास जो प्रति है इसमें धारा ३ की उपधारा (१) इस प्रकार है ---"राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर ४ आने प्रति मन से अधिक उपकर लगा सकती है।" यानी चार आने प्रतिमन से अधिक उपकर लगा सकती है।

श्री फूल सिंह—आपने सुना नहीं। बीच में नयी प्रति बंट गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक कर दिया गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन की प्रथम पंक्ति में "तीन आने प्रति मन तक उपकर लगा सकता है" यह निकाल दिया जाय और मेरा संशोधन इस प्रकार यह हो जायगा—सरकार की तरफ से जो संशोधन विधेयक रखा गया है उसमें है . . .

श्री उपाध्यक्ष—अब आप चाहते हैं कि इसका पहला क्लाज ज्यों का त्यों रहे, आगे इतना जोड़ दिया जाय?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यही चाहता हूं कि इतना हिस्सा निकाल कर बाद में और जोड़ दिया जायगा। मूल खंड तीन में "लगा सकती है।" के बाद यह जोड़ दिया जायगा—"और यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी।" मैं चाहता हूं कि इतना रहे और बाकी निकल जाय। तो मेरे संशोधन का आशय यह है कि सरकार की ओर से ४ आना प्रति मन तक सेस लगाने का अधिकार बना रहे लेकिन जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि जो भी धन सेस का वसूल हो उसे कृषि की उन्नति पर व्यय किया जाय। मैं उनके संशोधन के इस भाग का समर्थन करता हूं। जो भी सेस की रक़म लगायी जाय मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में इस पर काफी प्रकाश डाला है . . .

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय मौर्य जी ने रखा है वह श्री गेंदा सिंह के संशोधन में संशोधन नहीं है बल्कि वह तो विधेयक के खंड में अलग संशोधन है इसलिये मेरे ख्याल से उनको इसे अलग से इनडिपेंडेंटली मूव करना चाहिये, उनके संशोधन में यह संशोधन पेश करना उचित नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मेरा संशोधन उपाध्यक्ष महोदय, गेंदा सिंह जी के संशोधन में ही है। उन्होंने अपने संशोधन में रखा है कि "तीन आने प्रति मन तक उपकर लगा सकती है और यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी।" मैं चाहता हूं कि इसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया जाय कि तीन आने "प्रति मन तक उपकर लगा सकती है" और इतना निकाल कर इसके आगे मूल धारा में जो बाक़ी उनका संशोधन है वह जोड़ दिया जाय। आप इस तरह से समझ लें कि उनका वह पहला हिस्सा निकाल दिया जाय और "यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी" बढ़ा दिया जाय—

श्री जोरावर वर्मा—यह हमारी समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—एक बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस संशोधन की सूचना दी गई है वह अपूर्ण जरूर मालूम होता है क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा गया है कि गेंदा सिंह श्री के २ वाक्यों में से पहला वाक्य हटा दिया जाय। अगर वह नहीं हटे और आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला हिस्सा हट जाय और दूसरा हिस्सा रहे तो कोई बात नहीं है। यही आशय है आप का?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो आप ने कहा वह ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो धन सेस से प्राप्त हो वह कृषि के कार्य में लगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये लेकिन अगर वह उसमें नहीं लगता है तो श्री गेंदा सिंह ने जो ३ आने की बात कही वह भी मैं समझता हूं कि गैरमुनासिब है, उस तरह ३ आने क्या ३ पैसे भी नहीं लगने चाहिये अगर वह कृषि कार्य पर व्यय नहीं होते हैं। वह कृषि कार्य में ही लगे इस पर माननीय गेंदा सिंह जी ने काफी कह दिया है। जब इस बिल पर विचार हो रहा था उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश में गन्ने की जो प्रति एकड़ पैदावार है वह १४–१५

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

टन फी एकड़ है और दूसरे देशों में इंडोनेशिया वगैरह में वह ५६ से ६० टन प्रति एकड़ है। तो क्या वजह है कि हमारे देश में प्रति एकड़ जो गन्ने की पैदावार है वह दूसरे देशों के मुकाबले में क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? इस तरह से हमारे यहां जो चीनी पैदा होती है उसका प्रतिशत ९.९ है और आस्ट्रेलिया में १५. कुछ है और वहां के गन्ने की क्वालिटी हमारे यहां से काफी अच्छी मालूम होती है। जब मालूम है कि हमारे यहां गन्ने में चीनी कम निकलती है और वहां अधिक निकलती है तो कोई वजह नहीं कि हमारे यहां गन्ने की क्वालिटी क्यों न बढ़ाई जाय।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(इतने ही में दो सदस्यों के आ जाने पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तो जब कि हमारे यहां प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार का औसत भी दूसरे देशों से कम है, चीनी की प्रतिशत भी दूसरों की अपेक्षा कम है तो उसे बढ़ा कर के हम अपनी चीनी और अपने प्रदेश के गुड़ वगैरह की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और करना चाहिये। हमने अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गन्ने की पैदावार को और चीनी की पैदावार को बढ़ाने का संकल्प किया है तो वह संकल्प कैसे पूरा होगा अगर हम गन्ने की किस्म को न बढ़ायें और उसकी पैदावार को न बढ़ायें। यह तो नहीं हो सकता कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हम ज्यादा खेतों में खेती करने लगें। यानी गन्ने के अन्दर जितना रकबा है उस को बढ़ा दें यह तो मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि अगर हम रकबे को बढ़ा कर गन्ने की पैदावार को बढ़ाने का ख्याल करें तो फिर और दूसरे जो गल्ले वगैरह हैं उनकी पैदावार पर उस का असर पड़ जायगा। तो यह तो तभी पूरा हो सकता है जब कि हम प्रति टन, जो एकड़ पैदावार है, उसको बढ़ायें और क्वालिटी को बढ़ायें। और यह तभी हो सकता है जब सेस की रकम को उसी काम पर लगायें जिस काम के लिये लेते हैं। तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो सेस की रकम अब तक वसूल की गयी है वह गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिये नहीं खर्च की गई, गन्ने की क्वालिटी को तरक्की देने की तरफ भी वह रकम नहीं खर्च की गई। कुछ जरूर उस तरफ सरकार का ध्यान है, डिपार्टमेंट कायम है केन कमिश्नर हैं, दूसरे अधिकारी वर्ग हैं लेकिन जो तरीका गन्ने की पैदावार वगैरह को बढ़ाने के लिये होना चाहिये उसकी तरफ ध्यान है।

माननीय उप-मन्त्री महोदय को गन्ने के सम्बन्ध में काफी जानकारी है और मैं जानता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से इस बात को चाहते हैं कि जो भी सेस हो जो किसानों से वसूल किया जाय सारा का सारा गन्ने की ही तरक्की और पैदावार को बढ़ाने पर खर्च किया जाय। लेकिन वह वास्तव में होता नहीं। तो इसलिये मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को सदन के ऊपर छोड़ देना चाहिये सदन खुद निर्णय करे कि जो सेस लिया जाता है वह गन्ने की पैदावार पर खर्च होना चाहिये या नहीं। और अगर खर्च होना चाहिये तो फिर उसका इस विधेयक में समावेश हो जाना चाहिये। जब तक विधेयक के द्वारा उसका समावेश नहीं करेंगे तब तक हमारा यह विश्वास नहीं है कि वह रुपया गन्ने की पैदावार और तरक्की पर खर्च होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी के उस संशोधन में इतना अंश बढ़ा दिया जाय "और यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्य में लगायी जायगी" और मैं समझता हूं कि कृषि उन्नति के बजाय गन्ने की उन्नति हो जाय तो अच्छा होता और अगर यह संशोधन मान लिया जाता है। तो मैं मानता हूं कि तीन आने, चार आने या जो भी सरकार लगाये तो कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन अगर यह नहीं माना जाता तो मैं समझता हूं कि चार आने क्या चारपाई भी सेस नहीं लगना चाहिये अगर उसका ठीक उपयोग नहीं होता है।

श्री फूल सिंह---इस धारा पर जितने अमेंडमेंट्स हैं अगर सब मूव हो जायं तो सबको एक साथ लेने में सुविधा रहेगी।

श्री जोरावर वर्मा---अलग-अलग ही ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष---अलग लेने में सहूलियत होगी।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, श्री मौर्य जी ने जो संशोधन श्री गेंदा सिंह के संशोधन में किया है मैं उसकी ताईद करता हूं। जैसा गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में बताया है कि यह उपकर १९३८ में लगाया गया तब उसकी मंशा यह थी कि यह गन्ने के क्षेत्रों की उन्नति के कामों पर खर्च होगा। मैं समझता हूं कि ख्याल ऐसा जाहिर किया जाता है कि शायद यह अच्छा नहीं कि किसी एक मखसूस पैदावार से सेस लिया जाता है तो वह उसीपर खर्च हो। मेरी राय इसके बरक्स है और जिस जगह से उपकर वसूल किया जाता है और जिस मद से उसी की उन्नति के कार्य मे वह उपकर खर्च नहीं किया जाता है तो वह कर लगाने का सिद्धांत ही गलत है। इसलिये यह जरूरी है कि गन्ने की क्या बल्कि कृषि की उन्नति के लिये यह कर लगाया गया और मंशा केवल यही थी तो उसी पर खर्च होना चाहिये एक बात पर मुझे शुबहा है कि इस कानूनी बात को तय कराने के लिये कोई व्यक्ति फिर अदालत में जाय कि यह सेस किस लिये लगाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर नहीं उपकर है, रेवेन्यू नहीं सेस है और सेस लगाने का अभिप्राय तभी पूरा होता है जब कि उसके लिये यह बता दिया जाय कि फलां काम में लगाया जायगा। जैसे हमारे बहुत से हाईकोर्ट की रुलिंग्ज हुई है उस के बारे में हमारी लोकल बाडीज ने भट्टों पर लगाया जिन में यह निश्चय किया गया कि जिस काम के लिये यह कर लगाया गया है उसको उसी काम में नहीं लगाया जाता है तो उस कर को नहीं लगाया जा सकता। मैं उस कानूनी नुक्ते से भी यह उचित समझता हूं कि इस सेस को केवल कृषि की उन्नति के लिये ही खर्च किया जाय जहां तक मंत्री जी का संबंध है मैं बहुत अच्छी तरह से यह जानता हूं कि यह जो मैं कह रहा हूं यह उनका ही सिखाया हुआ है।

अब से पहले उन्होंने यह सब बातें बतलाई थीं कि जो हमारे इस किस्म के सेस होते है वह सारे के सारे कृषि की उन्नति पर ही खर्च होने चाहिये किन्तु यदि अब कोई कानूनी रुकावट उनको हो सकती है इस अमेंडमेंट को मंजूर करने में तो मजबूरी है। और न हो तो उसे मान ही लेंगे। और कोई कानूनी आपत्ति हो तो उसका हल भी निकाला जा सकता है किसी और ढंग से इस चीज को बिल में लाया जा सकता है। श्रीमन्, दिक्कत एक है जैसा मैंने पहले अ[illegible] किया कि यह सेस लगाया गया गन्ना की उन्नति के लिये, लेकिन उसकी उन्नति पर यह खर्च नहीं हुआ इसलिये खतरा है कि आगे भी अगर उसको इस विधेयक में नहीं रखा गया कि यह केवल कृषि को ही उन्नति पर खर्च किया जायगा तो आगे भी कृषि पर सारा खर्च नहीं किया जायगा। इस सेस से पहले भी कुछ सड़कें गन्नाक्षेत्र में बनाई गई कुछ और कामो में खर्च किया गया यह ठीक ही है। लेकिन बहुत थोड़े अंश में गन्ने के क्षेत्र में खर्च किया गया है। खतरा है कि आगे भी जो गवर्नमेंट का मंशा इस सेस को लगाने का है वह पूरा न होगा, अगर इस बिल में हमने यह न रखा कि यह सेस केवल कृषि की उन्नति के लिये ही प्रयोग में आयेगा। इसलिये मैं भवन का ज्यादा समय न लेते हुये माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को जो द्वारका प्रसाद जी ने रखा है स्वीकार कर लें।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मौर्य जी ने जो नेता विरोधी दल के संशोधन में अपना संशोधन दिया है मैं उसका विरोध करता हुं। विरोध करने का मतलब मेरा यह है कि अगर उनका यह संशोधन मान लिया जाय तो बहुत से

[श्री सियाराम चौधरी]

काम गवर्नमेंट के ऐसे है जो रुक जायेंगे। बहुत सी मदें ऐसी हैं जिनमें काफी आमदनी होती है और खर्चा बहुत कम होता है और बहुत सी मदें ऐसी हैं कि जिनमें खर्चा बहुत होता है और आमदनी बहुत कम होती है। हमारे श्री राणा साहब ने बताया कि यह केन सेस लगाते समय इस विचार से लगाया गया था कि इसका सारा पैसा केन डैवलपमेंट में खर्च किया जायगा या कृषि की उन्नति में। तो अगर वह अपने मन को समझाना चाहें तो इस तरीके से भी समझा सकते है कि अगर केन सेस का पैसा सड़कों पर खर्च किया गया तो वह भी कृषि की उन्नति के लिये है। अभी हमारे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि गन्ना ले जाने के लिये रास्ता ठीक नहीं है, जो बैलगाड़ियां गन्ना लेकर जाती है मिलों में तो उनकी सड़कें अच्छी नहीं है। उनको बनाना चाहिये तो अगर यह पैसा सड़क में लगाया जाता है तो उससे भी कृषि का फायदा होता है। इसलिये मेरा तो यह कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने खर्चे को चलाती है कई मदों से रुपया लेकर के और बजट के अन्दर लाकर के उसी से कृषि की उन्नति केन डेवलपमेंट और बहुत से काम ऐसे है जो किये जाते हैं, वह सारे काम जिन पर रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है वह सभी पब्लिक के फायदे के लिये है। इस मुल्क में ज्यादातर रहने वाले खेतिहर हैं और उन कृषकों के फायदे के लिये जो भी उन्नति की जाती है वह सभी कृषि की उन्नति के लिये है। इसलिये मैं तो यह चाहूंगा कि यह विधेयक जिस तरह आया है ज्यों का त्यों पास किया जाय और इसमें अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है।

*श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे ट्रेजरी बेंचेज के दो माननीय सदस्यों की ओर से दो विरोधी दलीलें दी गई हैं जिससे यह अनुमान लगता है कि सरकार में भी इसी प्रकार की खींचातानी हुआ करती होगी और वास्तव में जो राणा जी ने सिद्धान्त की बात कही कि जहां से टैक्स लिया जाय और जिससे टैक्स लिया जाय प्रयत्न इसी बात का हो कि उसी जगह की उन्नति के लिये और उसी कार्य की उन्नति के लिये ही वह रुपया लगाया जाय। यह सही है जैसा कि माननीय चौधरी जी ने कहा कि सरकार के लिये और भी ऐसी अनेक मदें हो सकती है कि रुपया कहीं से इकट्ठा किया जाय और दूसरी मदों में लगाया जाय। लेकिन सरकार की इसी नीति के कारण ही प्रदेश के अभी ऐसे क्षेत्र बाकी हैं कि वहां से रुपया तो इकट्ठा किया जाता है लेकिन दूसरी जगह जो कि उन्नतिशील क्षेत्र हैं वहां लगा दिया जाता है और इसी प्रकार से ऐसी मदें भी हैं कि जिनसे रुपया लिया जाता है आज उन मदों की आया उन विभागों की हालत बहुत खराब है और दूसरे विभागों में वह रुपया खर्च कर दिया जाता है। इसलिये जो बात राणा जी ने कही है वह न्यायसंगत है मेरी समझ में और अब रहा यह कि सरकार को काम करने में क्या कठिनाइयां होती हैं यह तो सरकार जानती है, लेकिन जो सिद्धांत राणा जी ने बताया है कि मैं समझता हूं कि वह बहुत ही उत्तम है और जो माननीय गंदा सिंह जी ने संशोधन रखा है कि यह जो सेस जिस क्षेत्र से लिया जाय वहीं की कृषि की उन्नति के लिये खर्च किया जाय। यह बात सही है कि हमारी सरकार ने पिछली पंचवर्षीय योजना में कृषि की उन्नति के लिये बहुत कुछ कार्य किया और कहने को सरकार कह सकती है कि जो उसकी स्कीम थी उसमें बहुत कुछ कार्य हुआ, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है क्योंकि जो रखी गयी थी अगर कृषि क्षेत्र में उतनी उन्नति हुई होती तो आज प्रदेश में जो अन्न का संकट पैदा हो गया है वह संभवतः न होता। सरकार का जो काम है वह आंकड़ों पर होता है लेकिन वस्तुस्थिति क्या है इसके लिये सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है जो वस्तुस्थिति का अवलोकन करे। इसलिये यह जो संशोधन रखा गया है कि यह जो सेस लिया जाय वह वहां की कृषि की उन्नति के लिये ही लगाया जाय यह बहुत ही उपयुक्त है। इतना ही नहीं बल्कि जहां यह सेस लग रहा है उसके अलावा दूसरे क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां गन्ना पैदा होता है लेकिन वहां उसकी उन्नति के लिये सरकार की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिये अगर यह संशोधन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार हो जाता है और उससे जो रुपया इकट्ठा होगा उससे सरकार उन क्षेत्रों में भी उन्नति कर सकेगी जहां गन्ना पैदा होता, लेकिन उसकी उन्नति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बुन्देलखंड में भी कई जगह गन्ने की खेती होती है, लेकिन आजतक सरकार की ओर से उसको उन्नत करने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है । इसलिये मेरा अनुमान है कि अगर यह संशोधन स्वीकार हो जायगा तो सरकार के पास कुछ रुपया इस मद में बच सकता है कि कृषि की उन्नति के लिये विशेष सुविधायें दी जायं । इसलिये यह सिद्धांत जो राणाजी ने बतलाया कि जिससे जो कर लिया जाय वह कर वहीं और उसी मद में खर्च होना चाहिये बिल्कुल ठीक है । अब जैसा कि मैंने कहा, सरकार का दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जो आज यहां की सरकार है वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि जो जनता द्वारा विचार व्यक्त किये जायं और यह मालूम हो कि वास्तव में जनता की उन्नति कैसे हो सकती है उस बात पर उसे ध्यान देना चाहिये । इसलिये जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

मेरा ऐसा भी ख्याल है कि इस संशोधन में और माननीय मौर्य जी के संशोधन में कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल एक आने का फर्क है । तो सरकार अगर माननीय गेंदा सिंह के संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं है तो मेरा ख्याल है कि माननीय गेंदा सिंह जी इस बात के लिये तैयार हो जायेंगे कि वह मौर्य जी के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ताकि जो बात उन्होंने रखी है वह पूरी न सही तो आधी ही जनहित में हो ।

*श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह सेस किसानों पर है । क्योंकि जिस अनुपात में यह टैक्स वसूल होता है उत्पादकों को गन्ने की कीमत उतनी ही कम मिलती है । अगर यह सेस न होता तो मेरा ख्याल है कि किसानों को ज्यादा पैसा मिलता अपने गन्ने की कीमत में ।

इसलये श्री गेंदा सिंह जी का यह संशोधन कि यह टैक्स ज्यादा से ज्यादा तीन आना मन हो यह बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा और शायद उनकी अपनी पैदावार की अच्छी कीमत, १ रुपया ७ आना से अधिक कीमत, उनको मिल सकती है ।

दूसरी बात यह है कि कर जिससे वसूल होता है यह टैक्स का उसूल है कि जिससे कर वसूल होता हो उसी पर खर्च होना चाहिये । चूंकि यह सेस किसानों से वसूल होता है और गन्ना उत्पादकों से वसूल होता है न कि मिल मालिकों से, इसलिये यह पैसा उन्हीं के फायदे के लिये खर्च होना चाहिये । यही दो बातें गेंदा सिंह जी के संशोधन में है ? इसलिये मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन में बताया कि जिस जगह से, जिस क्षेत्र से रुपया वसूल किया जाय वहीं पर वह खर्च किया जाय मैं उसका जरूर समर्थन करता हूं । मैं खास-तौर से उस इलाके का रहने वाला हूं जहां पर गन्ने की पैदावार बहुत मात्रा में होती है और यह सेस जो वसूल होता है वास्तव में काश्तकारों के हित में उसका कुछ अंश खर्च होता है या नहीं इसमें मुझे बहुत शुबहा है ।

जहां तक उनके डेवलपमेंट का सवाल है जैसा कि मौर्य जी ने बतलाया कि १४,१५ टन गन्ना एक एकड़ में पैदा हो रहा है । वास्तव में यह सही है कि ३,४ सौ मन गन्ना एक एकड़ में पैदा होता है लेकिन जब से सेस वसूल होता है, सोसाइटी बनी है तो रिपोर्ट में हर साल हम यह देखते है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलदेव सिंह]

कि दिन बदिन गन्ने की पैदावार घटती जाती है। उस तरफ तवज्जह नहीं होती है। मालूम नहीं यह पैसा कहां चला जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि गन्ने की काश्त पर या सड़क के बनाने पर काश्तकारों के हित में यह रुपया खर्च किया जाता है और उनके नाम पर जो यह टैक्स वसूल किया जाता है, अगर उनका कोई संगठन हो तो इसके लिये कोहराम मच सकता है। लेकिन देहातों में यह जो टैक्स लगाया जाता है वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। यह इतना जो कर लगता है उसका सारा बोझ हमारे प्रदेश के किसानों पर पड़ता है; एक मन का उनको १ रुपया ७ आना मिलता है और १०,११ आने मन उन लोगों का रुपया जमा कर लिया जाता है कोई रोड फंड के लिये, कहीं चुंगी पर, कहीं एस० डी० ओ० के आफिस पर और कहीं सड़क के लिये यह पैसा इकट्ठा किया जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि मैं वैसा काश्तकार नहीं लेकिन अभी पिछले साल मुझे आपके उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार करने में प्रथम पुरस्कार मिला है। मैंने एक एकड़ में २१०० मन गन्ना पैदा किया उसका दाम ३ हजार रुपया मिला, लेकिन उसमें से ११००, १२०० रुपये सेस का निकल गया। काश्तकारों का रुपया इस तरह से निकल जाता है। मैं सदन से और माननीय मंत्री जी से खासतौर से प्रार्थना करूंगा कि जिनसे पैसा वसूल करें उनके हित में यह खर्च हो। जो पैदा करने वाले हैं और कम पैदा करने वाले हैं उनकी तरक्की के लिये कोई भावना सरकार की अगर हो जाय और सरकार उसके लिये व्यय करे तो मैं आपको बताऊं कि जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनके लिये कोई सहायता इस तरह से भले ही हो गयी हो लेकिन एक एस० डी० ओ० ४ सुपरवाइजर और दो कामदार कभी-कभी साइकिल पर चढ़कर घूम गये और उससे काश्तकारों की पैदावार बढ़ने में कोई फायदा पहुंचता हो यह नामुमकिन है। इसलिये मैं मंत्रि महोदय से और माननीय सदन से इस ओर विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा हूं कि इसको अवश्य उसमें जोड़ दिया जाय और जो पैसा वहां से वसूल किया जाय वह वहीं काश्तकारों के हित में और गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिये खर्च किया जाय और किसी प्रकार से उसको खर्च न किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का विशेष समय नष्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपसे और सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन को अवश्य मंजूर कर लें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बहस चल रही है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह जी नें यह कहा कि यह सेस की रकम जो सरकार के पास आती है उसको ईयर-मार्क कर दिया जाय और दूसरी मद में उसको खर्च न किया जाय। केवल किसानों के काम में खर्च किया जाय। मौर्य जी ने कहा कि उसको केवल गन्ने की उन्नति के काम में खर्च किया जाय। मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि ये दोनों संशोधन गलत हैं। हमारा देश एक खेतिहर देश है और जो रकम सरकार के पास आती है वह खेती के डेवलपमेंट के लिये ही खर्च की जाती है। सरकार की ओर से किसानों के लिये डेवलपमेंट सोसाइटीज बनायी जा रही हैं, कहीं उसके लिये अच्छे बीज का इन्तजाम किया जा रहा है, कहीं खाद का इन्तजाम किया जा रहा हैं, कहीं पर उसके लिये पानी की व्यवस्था हो रही है और कहीं सड़कें बनायी जा रही हैं।

राणा साहब ने कहा कि उन्हीं क्षेत्रों की उन्नति के लिये यह पैसा खर्च हो। ठीक है वह इसलिये वसूल भी किया जाता है और सरकार की मंशा भी यही है कि उसको उपयोगी कामों में खर्च किया जाय, लेकिन अगर यह कहा जाय कि उसको ईयर-मार्क कर दिया जाय तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे सरकार के हाथ बंध जाते हैं। जहां तक इन्डोनेशिया आदि दूसरे देशों में गन्ने की उपज की बात है, वहां से हम मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे देशों की जलवायु और हमारे देश की जलवायु में अन्तर हो सकता है। हमारा किसान उतनी मेहनत भी नहीं करता है जितने दूसरे लोग करते हैं क्योंकि उसे उतनी मेहनत करने की आदत नहीं है। इसके अलावा हमारे किसान के ज्ञान में भी कमी है, साधनों की त्रुटि है, इस माने में वह गरीब है। साधन जुटाने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। इसलिये मैं मूल अधिनियम का

समर्थन करता हूं। साथ ही माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय मौर्य जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। गन्ने पर सेस इसलिये लगाया जाता है कि उस क्षेत्र की उन्नति के कामों में खर्च हो, लेकिन सरकार के हाथ बांधना उचित नहीं है

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)— श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के सामने माननीय गेंदा सिंह जी का है और जो संशोधन माननीय मौर्य जी का है वह अत्यन्त सराहनीय है। मैं इस सदन के सामने यह निवेदन कर रहा हू कि यहां शब्द टैक्सेशन नहीं है, यहां शब्द सेस आया है। अब तक जो सेस फैक्टरियों से वसूल हुआ है वह गन्ना उत्पादकों के लिये सड़क इत्यादि पर व्यय हुआ है और अगर आज भी उत्पादकों के लिये ही यह रुपया खर्च किया जाता है तो ठीक ही है। और यदि उनसे रुपया लेकर दूसरे स्थानों पर व्यय किया जायगा तो वह किसानों के अधिकारों पर एक बड़ा भारी कुठाराघात होगा। इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारे यहां शामली शुगर फैक्टरी है वहां पर रेलवे स्टेशन पर जितना रुपया सेस का किसानों से जमा होता है वहां पर वह व्यय न होकर एक सेन्टर से दूसरे सेन्टर पर व्यय किया जाता है और इससे उनके हृदय में निराशा फैल जाती है। मैं तो यह मानने वाला हूं जिस स्थान से जितना गन्ना दिया गया है और गन्ने का जितना सेस वहां का है, वह रुपया वहीं के काश्तकारों के, उन्हीं गन्ना पैदा करने वालों के काम में आना चाहिए। यह तो एक अतिरिक्त टैक्स है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब रुपया जो किसानों से टैक्स का लिया जा रहा है उसको उनके लिये व्यय न किया जाय। आप देखें कि गन्ना पैदा करने वालों से कितने प्रकार के टैक्सेज लिये जाते हैं, मेरा मतलब यह भी है कि उन के पास पैसा न हो तब भी उनसे पैसा लेकर ऐसे स्थानों पर लगाया जाय जो स्थान उनको मालूम न हों। आप देखेंगे कि मालगुजारी, नहर आबपाशी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स और गांव सभाओं के कई प्रकार के टैक्स इत्यादि किसानों से लिये जा रहे हैं, अगर वह उनकी उन्नति और उनकी सड़कों आदि पर लगाये जायं तो वह बड़े शौक से आप उनसे वसूल करें।

मैं चाहता हूं कि एक अच्छी भावना के साथ अगर सदन के सामने ऐसे विचार रखे जायं कि यह टैक्स न लगाया जाय तो वह भी चीज सामने अच्छे शब्दों में आनी चाहिए। किसान किस तरह से काम करता है वह मैं संक्षेप में वर्णन कर दूं कि किस तरह से वह श्रम करता है और क्या व्यय वह प्रति एकड़ गन्ने पर करता है और आखिर में उसको क्या मिलता है। उसको गन्ने के लिए कम से कम ५ या अधिक से अधिक ६–७ जुताई करनी होती है और उसका व्यय ६० रुपया प्रति एकड़ पड़ता है। उसके बाद जब गन्ने का बीज पड़ता है तो वह भी एक एकड़ में ६० रुपये का पड़ जाता है। बुवाई जिस वक्त होती है उस वक्त काफी बोने वाले आदमियों की जरूरत होती है और गन्ना बोने और दूसरे कामों में कम से कम १५ रुपया फी एकड़ व्यय हो जाता है। इसके बाद आपको मालूम होगा कि इसके लिये सिंचाई की दर ३२ रुपया फी एकड़ है, वह भी कम नहीं है, इसके अलावा जो लोग कुएं या रहट वगैरा से सिंचाई करते हैं उनको तो ४१ रुपया प्रति एकड़ व्यय पड़ता है, इसके अलावा निराई वगैरा के लिए आदमियों की जरूरत पड़ती है और उसके बाद जब वह तैयार हो जाता है तो छोलने का भी ६० रुपया प्रति एकड़ व्यय आता है। उसके बाद उसको ढोने में यानी कोल्हू तक ले जाने में या मिल गेट तक ले जाने में भी ६० रुपया प्रति एकड़ व्यय होता है। अगर पेराई कोल्हू में की जाती है तो उसका भी १२० रुपये के व्यय का हिसाब आता है इत्यादि। इस तरह से सब मिला कर ८०० रुपया का व्यय आता है और उसको एक एकड़ पर अधिक से अधिक ६०० रुपए मिलते हैं और इस तरह से उसको २०० रुपया फी एकड़ नुकसान होता है। अतः मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि यह २०० रुपया प्रति एकड़ का नुकसान क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण यह है कि वह किसान और उसका कुटुम्ब जो नित्य काम करता है उसका वह कोई हिसाब नहीं रखता है, जिस तरह से मिलमालिक

[श्री श्रीचन्द्र]

या दूसरे लोग सुपरविजन वगैरा करके हर चीज का हिसाब लगा लेते हैं, अगर उस किसान की मजदूरी का ८ आना रोज का भी हिसाब लगा लिया जाय तो ८०० रुपया उसका व्यय आता है और इस तरह से देखा जाय तो एक एकड़ पर उसको २०० रुपए का नुकसान होता है। यदि इस प्रकार से सेस के बहाने से लेकर दूसरी जगह पर व्यय किया तो उनके लिये एक बड़ा कठोर बात होगी। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो मौर्य जी ने संशोधन रखा है और मेरे मित्र गेंदा सिंह जी ने कहा है जिसके सम्बन्ध में राणा जी ने भी कहा है कि पूरे तरीके से वे इसको स्वीकार करते हैं कि जितना भी रुपया सेस का हो वह सब काश्तकारों के उनके गन्ने की उन्नति में जहां आवश्यकता हो उस क्षेत्र में लगाया जाय। यह नहीं कि यदि किसानों से सेस का रुपया किसी फैक्ट्री में आये उस फैक्ट्री के दो गांव २० मील के फासले पर हैं तो उन पर एक में खर्च किया जाय बल्कि जिस स्थान से गन्ने पर जितना भी सेस लगे वह उसी स्थान में लगाया जाय अन्यथा नहीं। यदि यह बात सरकार के विचार में है, तो ठीक है, अन्यथा मैं इसका विरोध करता हूं। जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा यह सम्भव है कि किसानों की तरफ से एक बुरी भावना पैदा हो जाय और हमारे सामने एक बुरी बात पैदा हो जाय। तो इसलिये उनकी भलाई के लिये सब से बड़ी चीज है और वह यह कि वह रुपया उन्हीं के काम में आना चाहिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का और जो माननीय मौर्य जी ने संशोधन रखा है दोनों का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि पहले तो यह बिल के स्कोप के बाहर की चीज है। दूसरे मेरा निवेदन है कि यह उसूलन बहुत खतरनाक बात है। यह कहना कि यह रुपया इसी मद में लगे, अगर इस तरह की भावना फैली तो एक ऐसा विभाजन होता चला जायगा कि इसकी कहीं कोई हद नहीं होगी। उस किसान से जो उपकर वसूल होता है अगर उसी के काम में लगाया जाय तो हम यह भी कर सकते हैं कि जो दूसरी मद से नहर बनी हुई है वह नहर वहां न जाय; और दूसरा फिर कहे कि गेहूं से जो रुपया वसूल होता है नहर रेट के रूप में वह रुपया अलग रखा जाय और ऐसी नहर बनायी जाय जो गेहूं की सिंचाई करे। इस तरह से बढ़ते-बढ़ते यह भी हो सकता है कि मान लीजिये सेस इकट्ठा हो कर के जनरल रेवेन्यू में चला जाता है तो आगे चल कर जिले वाले कहेंगे कि हमारे जिले से जितना वसूल होता है वह हमारे जिले में खर्च हो, तहसील वाले अपने लिये कहेंगे, फिर परगने वाले, फिर गांव वाले—तात्पर्य झगड़ा बढ़ता ही जायगा। तो इस तरह यह अगर चला तो पाकिस्तानी मनोवृत्ति बड़ी खतरनाक होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल के स्कोप के बाहर की चीज है, व्यावहारिक नहीं है। इसलिये गेंदा सिंह जी को जिनको मैं बड़ा शान्तिप्रिय मानता हूं, आपने हमारी बड़ी मदद की थी सीमेंट फैक्ट्री की हड़ताल खत्म कराने में, तब से मैं उनको शान्तिप्रिय मानता हूं और आशा करता हूं कि फसाद वाली बात पैदा न करें और अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस संशोधन में कहा गया है कि "तीन आने प्रति मन तक उपकर राज्य सरकार लगा सकती है और जो रुपया इस प्रकार वसूल हो वह कृषि की उन्नति के कामों में लगाया जाय बहुत सीधा-सादा यह संशोधन है। इस पर गौर करें कि जो सेस केन पर लगाया जाता है वह किसलिये लगाया जाता है? मैं उपमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो सेस लगाते हैं यह आखिर क्यों लगता है। और फिर जो सेस लगाते हैं इसका बोझा किस पर पड़ता है? शुगर केन की प्राइस जब गवर्नमेंट आफ इंडिया फिक्स

करती है तो उसमें सेस का भी कन्सीडरेशन होता है। तो इस प्रकार से यह जो सेस का रुपया है वह किसान के ऊपर जाता है। अगर यह सेस का रुपया लगाया गया होता तो शुगर केन की प्राइस उस किसान को अधिक मिलती। तो इस प्रकार से किसान से रुपया वसूल किया जाता है। फिर यह जाता कहां है? इसमें यह दलील दी जाती है कि राज्य सरकार सेस लेकर डेवलपमेंट स्कीम पर रुपया व्यय करती है।

इसी सदन में यह प्रश्न हुआ है कि करोड़ों रुपया जो बकाया पड़ा हुआ है उस पर कोई सख्त कदम सरकार नहीं उठाती है कि वसूल किया जाय। तो जब यह दलील दी जाती है कि वह रुपया डेवलपमेंट स्कीम में लगाने के लिये वसूल होता है तो फिर यह ढीलढाल उसकी वसूली में रहती है यह क्या बतलाती है? इससे साफ जाहिर होता है कि हम डेवलपमेंट स्कीम्स में यह रुपया नहीं देना चाहते, हमारी दिलचस्पी उतनी नहीं है उन स्कीम्स में। जब यह प्रश्न पैदा होता है, जैसा कि लोग कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह रुपया जा करके फैक्ट्री ओनर्स के पास पड़ा रहता है और वह राज्य सरकार को देते नहीं, तो वर्षों जो शुगर फैक्ट्री ओनर्स के पास पड़ा रहता है और जो कैपिटल फार्म होता है उससे वह फायदा उठाते हैं। तो जहां डेवलपमेंट स्कीम्स के लिये रुपया वसूल करती है तो उससे फायदा ओनर्स को होता है फैक्ट्री को जैसा कि सिद्धान्त है कई वर्षों से और वह बराबर अपनी निजी तरक्की के लिये वह रुपया लगाये हुए हैं। तो जो सन्देह लोग करते हैं कि हमारी राज्य सरकार द्वारा शुगर मैगनेट्स को इमदाद दी जाती है इसमें काफी सत्यता मालूम होती है और यह चीज कुछ असत्य सी मालूम होती है कि हम डेवलपमेंट स्कीम्स में इंटरेस्टेड हैं और इसलिये रुपया वसूल कर रहे हैं। दूसरे कुछ लोग यह कहते हैं, जैसा राणा जी ने कहा, यह रुपया जो वसूल किया जाय वह कृषि की उन्नति के लिये और विशेषकर केन की उन्नति के लिये वह रुपया लगाया जाय।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। लेकिन होता क्या है? आज तक हमारी कृषि से जो भी वस्तुयें उत्पादित होती हैं उनकी पैदावार प्रति एकड़ बढ़ी नहीं। दूसरे देशों में बहुत बढ़ी हुई हैं। केन के लिये देखा जाय तो मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि जो केन हमारे यहां पैदा होता है उसमें इतने वर्षों के बाद शुगर कन्टेंट बढ़ा है या घटा है? कोई रिसर्च करने की जगह ऐसी नहीं है जहां यह मालूम हो सके कि शुगर केन में शुगर का कन्टेन्ट बढ़ा है। तो उस तरफ कुछ नहीं हो रहा है। अब हम प्रोडक्शन बढ़ाते जायं, एकरेज बढ़ाते जायं तो हमारा कोई विशेष लाभ उससे नहीं होने वाला है। तो जब हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है तो यह वाजिब है कि रुपये को उसी की तरक्की में लगायें। आखिर ७०-८० फीसदी हमारे लोग कृषि में लगे हुए हैं और अगर उनकी तरक्की नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा?

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारा प्रदेश समृद्धिशाली कैसे होगा किसान सम्पन्न कैसे होगा? तो यह संशोधन जो कहता है कि यह रुपया सेस का लिया जाय वह सिर्फ कृषि की उन्नति पर रुपया लगाया जाय तो यह कोई गैर वाजिब नहीं है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि सेस के रूप में जो रुपया वसूल हो वह और भी डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जाय बल्कि कुछ लोग यह कहते हैं कि अगर किसान से यह रुपया लिया गया है तो यह रुपया और भी डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाय। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो कृषि करते हैं और जिनकी आमदनी ४२ सौ से अधिक है उनके ऊपर कृषि आयकर तो लग ही जाता है और इसी प्रकार से वह अपना कांट्रीब्यूशन राज्य को तो देते ही हैं। उस रुपये को आप यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। लेकिन जो केन सेस का रुपया है केन सेस के नाम से वे जो रुपया लेते हैं वह शुगर केन डेवलपमेंट

[श्री तेजप्रताप सिंह]

में ही लगायें या और जो कृषि के कार्य हैं उनकी तरक्की में लगायें। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित है और मैं आशा करता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--- मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह---माननीय मंत्री जी का उत्तर अध्यक्ष महोदय, सुनने का मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---वह तो प्रश्न उपस्थित करने के पहले ही आपको कहना चाहिए था, उस वक्त मैं मंत्री जी से पूछ लेता। अब प्रश्न उपस्थित हो गया तो अब तो आप ही का बोलने का अख्तियार है।

***श्री गेंदा सिंह**---माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने माननीय सदस्यों ने इस संशोधन पर भाषण किये है उनमें से अगर किसी ने विरोध किया है तो मैंने यह देखा कि आधे दिल से विरोध उन्होंने किया है और या तो यह बात कही जा सकती है कि उन्होंने किसानों के बारे में एक गलत राय कायम कर ली है या दूसरी बात यह कही जा सकती है कि उन्हों ने मुझे समझने की मेहरबानी नहीं की। मैं न तो यह कोशिश इस संशोधन के जरिये कर रहा हूं कि कोई पाकिस्तानी मनोवृति पैदा करूं न यह मनोवृति पैदा करना चाहता हूं कि कोई विलगाव हो। यह मेरी मंशा नहीं है। मंशा तो मेरी यह है जो सरकार की है। सरकार इस विधेयक को गन्ना उपकर विधेयक के नाम से लेकर आयी है। वह कोई किसी ऐसे कर के नाम से नहीं अयी है जिसका सम्बन्ध आम चीजों से हो। गन्ना पर उपकर यह लगाया जा रहा है। उसी नाम से वह विधेयक उसने प्रस्तुत किया है। तो फिर हमें तो यह पूछने का हक है कि यह गन्ना उपकर जो लगाया जा रहा है वह खर्च कहां किया जायगा और उसी के सिलसिले में हमें यह भी कहने का हक है कि यह उपकर इकट्ठा जो किया जाय वह अमुक-अमुक कार्य में खर्च किया जाय। हमें यह भी अधिकार है कि जो सरकार पिछली गलतियां करती चली आयी हैं। उन गलतियों को भी हम सामने रखें और सामने रख कर सरकार को यह कहें कि जो पिछली गलतियां हुई हैं वह आगे से न होने पायें। यह मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर विचार करते समय अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग हमें करना चाहिये और उसी का उपयोग करके हमने यह कहा कि इस गन्ना के उपकर को वसूल करने का जहां सरकार अधिकार लेती है या इम्पोज करने का जहां अधिकार वह लेती है कि इतनी रकम तक हम गन्ना के उपकार की शक्ल में लेंगे मिलों के जरिये वहां हम यह कहना चाहते थे कि ले तो लें आप लेकिन ले लेने के बाद आप इस रकम को अमुक-अमुक कार्यों में खर्च कर दें। यह मेरा मतलब है, न किसी खास इलाके से मतलब, न किसी तहसील से मतलब, न किसी कानूनगो सर्किल से मतलब, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं। बात सिर्फ यह है कि यह कर जो वसूल होता है वह ५१ जिलों में से २५ जिलों में किसान जो फैक्टरियों को गन्ना सप्लाई करते हैं उनसे वसूल होता है। मैंने उसके लिये यह सुझाव रखा है कि यह कृषि की उन्नति के कार्यों के लिये रखा जाय और कृषि की उन्नति के कार्यों में खर्च करने में मैं उस इलाके का जरूर समावेश करना चाहता हूं और उस पर मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरा मतलब यह नहीं है कि वह रुपया अगर खर्च कर दिया जायगा तो उसका सुपरिणाम वहां के लोगों को ही मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो मैंने कहा था कि अगर यह पैसा उस इलाके में सड़क बनाने पर, पानी देने पर, गन्ने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर और गन्ने की उपज बढ़ाने में अगर पैसा खर्च हो तो इसका परिणाम होगा कि गन्ने की उपज बढ़ेगी और अगर उपज बढ़ेगी तो मिलें जो हैं वह देर तक चलेंगी और देर तक मिलें चरलेंगी तो उसमें लाभ होगा। यह कानून सेस गन्ना के लिये बनाया जा रहा है और अगर २५ करोड़ मन के बजाय २७ करोड़ मन फैक्टरियों के लिये गन्ना जो उनको चाहिये वह उनको दे दिया गया तो दो करोड़ मन अधिक देने से दो करोड़ तीन आने पैसे सरकार को अधिक मिलने चाहिये सेस की शक्ल में। मैं तो यह चाहता हूं कि जितना गन्ना फैक्टरियों को मिले उससे अधिक गन्ना फैक्टरियों पा सकेंगी उतनी ही जमीन पर जितनी जमीन में गन्ना पैदा किया जाता है, तो उससे लाभ ही होगा। अध्यक्ष महोदय ने उसको टोक दिया था इसलिये अब उसको न दुहरा कर अहमदनगर के लोनी परिवार नगर एक जगह है वहां फैक्टरी लगी थी और वह कोआपरेटिव फैक्टरी थी और कुछ थोड़े से लोगों ने, पांच छः सौ लोगों ने, मिल कर काम करना शुरू किया और आज तीन साल में उसने २८ लाख रुपया अपने डेप्रिशियेशन फंड में रख लिया।

अभी जब मैं दिल्ली गया था तब वहां पंचाब राव देशमुख ने वहां गन्ना उत्पादकों का सम्मेलन था, उसमें कहा कि लोनी नगर परिवार की जो फैक्टरी है उसने पिछले वर्ष गन्ने का दाम दो रूपये मन देने के बाद २० लाख रुपया उसने मुनाफा कमाया है। मैंने उसकी रिपोर्ट को पढ़ा और मैं चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को माननीय सदस्य भी पढ़ लें। उससे यह मालूम होगा कि जितना ही ज्यादा उत्पादन होगा उतना कास्ट आफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा और चीनी भी उतनी सस्ती कीमत पर मिल सकेगी और उसी के साथ-साथ एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट आफ इंडिया को ज्यादा मिली और एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया को जाती है उसमें भी सरकार को हिस्सा मिलता है और केन सेस की पूरी रकम हमारे पास रह जाती है। मैं तो यह चाहता था और यही चाहता हूं जिसमें किसान का भी भला हो जाय और सरकार को भी अधिक पैसा केन सेस के रूप में आ जाय और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी एक्साइज ड्यूटी के रूप में पहले से ज्यादा पैसे मिल जायं।

मेहरोत्रा जी ने कहा कि यह भावना बड़ी खराब है कि किसानों के ही कामों में इस पैसे को खर्च करने को कह रहे हैं, मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई बूरा न माने, क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर किसान का भला हो जाय तो सब का भला हो जाता है। किसान के घर में अगर पैसा आ जाता है कि वह इतना फैय्याज है कि न तो उसे बैंक में रखता है और न गाड़ कर रखता है। पहले जमाने में जब उसे पैसा मिलता था तो उसे जमीन में गाड़ देता था लेकिन अब तो कागज के नोट मलते हैं इसलिये उन्हें गाड़ नहीं सकता। वह पैसे को खर्च करता है चाहे वह बनिया के यहां चला जाय, चाहे वकील के घर चला जाय, चाहे डाक्टर के यहां चला जाय, चाहे चोर के घर चला जाय, चाहे सरकार के घर चला जाय, लेकिन किसान के घर में नहीं रहेगा। तो सर्कुलेशन में वही मनी आयेंगी। परिपूर्णानन्द जी जरा इसमें मेरी मदद करेंगे कि जितना ही सर्कुलेशन में मानी जायेगी उतना ही देश का उद्योग धन्धा बढ़ेगा। इसीलिये हम किसान के घर में पैसा भेजना चाहते हैं और वह भी सीधे नहीं बल्कि नहर के रूप में, खाद के रूप में, बीज के रूप में अगर वह किसान के घर में पहुंच जाय तो वह फिर सरकार के घर में आ जायगा जिससे देश की तरक्की होगी। और २५ जिलों में जो क्षेत्र हैं अगर उसको हम बना सकें तो जो एक दो फैक्टरियों को उठाने की चर्चा होती है कि यहां तो गन्ना नहीं मिलता है, तो इस केन सेस की रकम को पूरे तौर से उसकी उन्नति पर खर्च कर देने के बाद फैक्टरी उठाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

[श्री गेंदा सिंह]

सरकार का कायदा है कि कोई फैक्टरी अगर उठ जायगी तो सरकार उसको ६ लाख रुपये सबसिडी के तौर पर देगी। तो १२ लाख रुपये जो खर्च होते हैं एक फैक्टरी को उठाने पर वह १२ लाख रुपया अगर वहां के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाय तो बहुत लाभ हो। ठाकुर साहब को अभी बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं आशा करता हूं कि ठाकुर साहब इस संशोधन को जरूर स्वीकार करेंगे। तीन आने मन केन सेस सरकार लेती है और इस वक्त भी तीन आने मन है और शायद आगे भी सरकार तीन आने मन ही लेने का इरादा रखती है। इसलिये मैंने तीन आने मन रख दिया था। लेकिन अगर सरकार इस बात को स्वीकार करे कि वह रकम इसी कार्य में खर्च की जायगी तो मुझे माननीय द्वारका-प्रसाद मौर्य जी का संशोधन मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी और चार मन की देने में जनता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री फूलसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल इस आदरणीय सदन के सामने है वह इस लिये पेश है कि केन सेस वसूलयाबी का जो कानून है उसको कंसालिडेट किया जाय और उसको अमेंड किया जाय। इस बिल में कोई चर्चा केन सेस की खर्च करने की नहीं है। इसलिये ऐसा कोई प्रस्ताव अगर है तो वह इस बिल के स्कोप से बाहर। मुझे खेद है कि मेरे मित्र ने पडरौना मिल डोईवाला मिल और दुनिया भर के मिलों की तथा अन्य बातों की चर्चा कर डाली एक ऐसे संशोधन पर जो आउट आफ आर्डर है। मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि यह कहना सही है कि इस आदरणीय सदन को यह अधिकार है कि जो रुपया दिया गया है वह कैसे खर्च हुआ है। लेकिन यह बतलाना कि यह रुपया कहां खर्च हुआ तो यह ऐसा कठिन ही है कि बनारस से नहर निकाल कर यह पूछना कि गंगा का पानी कहां खर्च हुआ और जमुना का पानी कहां खर्च हुआ। सारे टैक्सों का जो रुपया आता है वह एक पूल में जाता है। मैं जानता नहीं हूं कि क्यों वह इसको संकुचित करना चाहते हैं कि सेस का रुपया कैसे खर्च हुआ है। सदन के माननीय सदस्यों को तो यह पूछना चाहिये कि सारे टैक्सेज का रूपया कैसे खर्च हुआ? फिर सारी चीज को छोड़ कर केवल ५ करोड़ के खर्चे पर जोर लगाना मेरे खयाल में असंगत है।

यह बड़े खेद की बात है कि जो यह संशोधन शुरू हुआ और जो इसका अन्त हुआ तो वह कहां से कहां तक हो गया। माननीय गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया कि अगर संशोधन तीन आने वाला गिर जाय तो क्या नतीजा होगा यह सोचने की बात है। अगर सारा बिल पास न हो तो क्या नतीजा होगा। यह सोचने की बात है और यह बात पहले कहीं जा चुकी है कि यह कर किसानों पर नहीं लगेगा बल्कि कंज्यूमर्स पर लगता है। कई प्रांतों में और कम से कम पड़ोसी प्रांत बिहार में सवा तीन आने मन है और हमारे यहां तीन आने मन है तो गन्ने के दाम भी उतने ही रहेंगे और शक्कर के दाम भी उतने ही रहेंगे तो आप इसको हटा कर मिल वालों की मदद करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, कोई इसमें तुक नहीं है।

धारा यह थी कि चार आने मन लगाया जाय लेकिन संशोधन यह था तीन आने मन लगाया जाय और वाकई सरकार तीन आने मन लगाती है। इस संशोधन पर इतना समय नष्ट करना व्यर्थ है। इसलिये ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि मिल मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने लगें और सरकार सेस बढ़ा दें तो किसानों का इसमें क्या नुकसान है। कई साल से तीन आने मन चला आता है और सरकार ने नहीं बढ़ाया तो यह इस बात की दलील है कि सरकार बढ़ाने वाली नहीं है। मेरे खयाल से यह चीज कि अगर वायदा नहीं करते हैं कि खेती पर खर्च नहीं करेंगे तो नहीं लगे, इसका भी उद्देश्य वही है, सिर्फ बहाना दूसरा है।' अगर यह नहीं लगता है तो इसके माने यह है कि तीन आने मन कटकुईया, पडरौना और डाईवाला मिलों को आप दे रहे हैं।

पिछली पांच साल वाली योजना में सब रुपया किसानों पर खर्च हुआ । पहले किसान दुखी थे लेकिन इसके बाद सारा रुपया देहात में खर्च हुआ तो शहर के आदमियों को शिकायत हुई। अगर आप चाहते हैं कि यह निश्चय कर दें कि यह ५ करोड़ रुपया किसानों पर खर्च होगा तो क्या आप उनके रास्ते में कांटे नहीं बो रहे हैं? जब कि सारा रुपया किसानों पर खर्च हो रहा है तो पांच करोड़ रुपये की मांग करेंगे तो यह किसानों के अहित की बात है कि जिस मद से रुपया आये उसी पर खर्च करें। कुछ साथियों ने आगे और कहा कि जहां से रुपया आवे वहीं पर खर्च होना चाहिये। मुझे एक बात याद आ गयी कि एक बार कोई आदमी बीमार पड़ गया और वहां से ५, ६ मील पर शफाखाना था। तो यह सवाल आया कि डाक्टर को बुलाने के लिये कौन जाय? तो फिर यह तय हुआ कि जो बीमार हो और जिसका इलाज होना हो उसको बुलाने के लिये जाना चाहिये और जो बीमार पड़ा वही डाक्टर को लेने जाय। तो इसी तरह से यहां पर करने जा रहे हैं। अगर यह निश्चय हो जाय कि जिस मद से रुपया आवे उसी मद पर वह रुपया खर्च हो तो ऐसे बहुत से मद हैं जहां से कुछ आमदनी नहीं है और खर्चा ही खर्चा है। तो अगर यह निश्चय हो जायगा कि जहां से रुपया आवे वहीं पर खर्च हो तो फिर पूर्व से रुपया कम आता है और खर्चा वहां पर ज्यादा होता है तो फिर इससे बहुत कठिनाई बहुत बढ़ जायगी । इसलिये मेरे खयाल से खर्च के ऊपर इस प्रकार से शर्त लगान ठीक नहीं है । अगर इस तरह से ही रुपया लगा दिया जायगा तो फिर प्रोडक्टिव काम सब रुक जायगे । इसलिये हमारा इतना समय व्यर्थ में ही गया जिसमें कि इस विषय पर बहस करते रहे। जो बात कही गयी वह अपनी जगह पर सही नहीं थी और गलत बात का बुरा ही असर पड़ता है। अगर इस प्रकार की गेंदा सिंह जी चर्चा करेंगे तो फिर यह उनकी भूल है और इससे कोई फायदा किसानों का भी होने वाला नहीं है। अगर ३ आने के बजाय ४ आने हो गये तो किसानों के लिये १ रुपया ७ आने के बजाय १ रुपया ६ आने हो जायेंगे। इसलिये मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इन संशोधनों को वापस लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—पहले मैं मूल संशोधन को लेता हूं जो इस प्रकार है कि, खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "चार आने प्रति मन से अनधिक उपकर (cess) लगा सकती है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"तीन आने प्रति मन तक उपकर लगा सकती है और यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी।"

इसमें श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का यह संशोधन है जो वह इसमें रखना चाहते हैं कि "यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी।" श्री द्वारका प्रसाद मौर्य "तीन आने प्रति मन तक उप कर लगा सकती है और" इस वाक्य को नहीं रखना चाहते हैं। तो मैं पहले मूल संशोधन को लेता हूं और वह स्वीकृत हो गया तब मैं इसको बाद में ले लूंगा और वह गिर गया तो यह संशोधन भी स्वंय गिर जायगा।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "४ आने प्रति मन से अनधिक उपकर (cess) लगा सकती है" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:—

"तीन आने प्रति मन तक उपकर लगा सकती है और यह रकम उस क्षेत्र के कृषि उन्नति के कार्यों में व्यय की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी का संशोधन भी इसके साथ ही गिर गया।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "सम्बन्ध में" के बाद तथा शब्द "उपकर" के पहले शब्द "उत्तर प्रदेशीय ईख उत्पादकों के सहयोगी समिति संघ लखनऊ अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर केन बोर्ड की सिफारिश पर" बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में इस बात की गुंजायश है और खंड ३ में यह कहा गया है—

"राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्ट्री में प्रयोग, उपयोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर ४ आने प्रति मन से अधिक उपकर लगा सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसी प्रकार राज्य सरकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी परिमित प्रयोजन के निमित्त फैक्ट्री में प्रयुक्त किये कये अथवा प्रयुक्त किये जाने वाले गन्ने के सम्बन्ध में उपकर की पूर्णतः अथवा अंशतः छूट भी दे सकती है।"

इसमें मेरा संशोधन यह है कि सरकार की यह जो छूट देने की बात है वह तभी हो जब कि उत्तर प्रदेश ईख उत्पादकों के सहयोगी समिति संघ लखनऊ अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर केन बोर्ड की सिफारिश हो। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सरकार यह समझती है कि उसको किसी सेस में छूट देनी है तो उसको शुगर केन बोर्ड की राय लेनी चाहिये। क्योंकि उस बोर्ड में बहुत जिम्मेदार लोग हैं। जब इस बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें हमारा ख्याल है कि दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री तथा कुछ और मंत्री महोदय भी शिरकत करते हैं। कुछ लोग उसमें प्रतिनिधि हैं जो मिलों के हैं, कुछ प्रतिनिधि किसानों के भी है, जिनको कि सरकार ने ही नामजद कर रक्खा है। उस शुगर केन बोर्ड में अगर सरकार कुछ उचित बात कराना चाहेगी तो उस बात से शुगर केन बोर्ड इंकार नहीं कर सकता। सरकार को इस बात की जानकारी होती है और उससे प्रार्थना की जाती है कि शुगर केन सेस माफ कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि यह माफी की दरख्वास्त किस की ओर से आयेगी? जिसकी ओर से भी आये वह शुगर केन बोर्ड को भेजी जाय या अगर न भेजी जाय तो सरकार उसको उस बोर्ड के सामने रख सकती है। यह जरूर है कि उसकी मीटिंग साल में एक बार होती है। अगर ऐसा मामला आ जाय तो मैं समझता हूं कि उसकी मीटिंग ज्यादा होनी चाहिये। इस वक्त भी शुगर केन बोर्ड की मीटिंग की बहुत आवश्यकता है। जब कि पश्चिमी जिलों में गन्ने की परेशानी को लेकर इतना कुहराम मचा हुआ है बोर्ड की मीटिंग जरूर बुलानी चाहिये और पश्चिमी जिलों का जो इतना बड़ा मामला है उस पर विचार करना चाहिये। इसलिये एक तो मैं यह कहता हूं कि शुगर केन बोर्ड की सिफारिशों पर केन सेस माफ किया जाय। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेशीय ईख उत्पादकों का सहयोगी समिति संघ लखनऊ है जिसमें केन कमिश्नर हैं, असिस्टेंट केन कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव केन आफीसर हैं, ये उनके ऐक्स आफीशियो मेम्बर हैं। यह केवल सरकारी लोगों की ही संस्था है। कुछ डेलीगेट होते हैं जो चुनकर आते हैं बाकी सरकारी लोग होते हैं। फिर उससे भी कोई गैर-जिम्मेदारी की बात होगी ऐसी आशा नहीं की जा सकती। सरकार जो कुछ भी केन पर सेस माफ करेगी तो बिला वजह माफ करना नहीं चाहेगी और अगर बिला वजह माफ करने का और किसी खास आदमी के साथ फेवरटिज्म करने का इरादा सरकार का नहीं है तो मैं समझता हूं कि केन कोआपरेटिव फेडरेशन का हक दिया जाना चाहिये और शुगर केन बोर्ड को भी इस पर विचार करने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिये। जब शुगर केन बार्ड को यह अख्तियार हासिल है कि वह गन्ने की कीमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय करे तो जिस मासले पर आपने विचार प्रकट किये गन्ने के उद्योग के ऊपर वह भी अपने विचार प्रकट करे और उस पर जब सरकार विचार प्रकट करती है तो मैं नहीं समझता कि केन सेस छूट देने के मामले में शुगर केन बोर्ड से क्यों न पूछा जाय? उसमें क्या होगा? एक फायदा हो सकता है कि सरकार के सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि उसको मजबूर किया जाय कि वह शुगर केन सेस में छूट दे, लेकिन सरकार को और यह मौका रहेगा कि शुगर केन बोर्ड से पूछना है और केन-कोआपरेटिव यूनियन फेडरेशन से भी पूछना होगा तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी थोड़ा अवसर मिलेगा इस मामले में छानबीन करने का। तो यह लाभ होने वाला है। इसमें अहित तो कतई होने वाला है ही नहीं। तो इस बात को रखते हुए मैं यह समझता हूं कि सरकार को इससे इंकार नहीं करना चाहिये। हां, यह बात जरूर मैंने कही कि सरकार का उद्देश्य अगर कुछ और हो और उसको सरकार बतलाने लायक समझती हो तो सदन को बतला दे। इसका यह मतलब है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो जो सदन को बतलाने लायक न हो उसके लिये जोर डालकर क्या करेंगे?

मैं तो जानता ही हूं कि अमेंडमेंट स्वीकार होने वाला नहीं है। इस अमेंडमेंट को अगर ठाकुर साहब स्वीकार करने से इन्कार कर देते जिसमें मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा दिलचस्पी और लोगों को थी, तो इस अमेंडमेंट को स्वीकार करना ही नहीं किसी पालिसी से इसका सम्बन्ध होगा कि शुगर केन सेस से लोगों को छुट्टी दे दी जाय। अगर ऐसी बात नहीं है तो इस पर विचार करना चाहिये और इन दोनों संस्थाओं को मान्यता जो स्वयं उन्होंने दे रखी है उसको कायम रखते हुए उस पर उनसे विचार-विमर्श अवश्य करना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की छूट के सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह जी अपने हृदय में ख्याल रखते हैं अथवा छूट देने में सरकार के प्रति किसी प्रकार का लांछन लगाते हैं तो उसमें मुझे कोई हर्ज मालूम नहीं होता। इस प्रकार के लांछन की बात पैदा न हो, किसी के हृदय में शक पैदा न हो, इस लिये माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। सरकार को छूट जहां भी सेस के मामले में देना है उसमें जिन कारणों पर छूट दी गई हो माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा इससे वह कारण अच्छा और बलवान हो जायगा। उत्तर प्रदेशीय ईख उत्पादकों के सहयोगी समिति संघ लखनऊ अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर केन बोर्ड की सिफारिश पर यह जो उन्होंने रक्खा है छूट देने के पहले, उनकी सिफारिश प्राप्त हो जाय तो मैं समझता हूं कि उस सिफारिश के मिलने पर ही छूट दी जाय तो ज्यादा अच्छा है। वैसे किसी को बदनाम करने के लिये, सरकार को बदनाम करने के लिये मौका नहीं रहेगा। नहीं तो तरह-तरह की लोग अपने मन में भावना पैदा करें। स्पष्टतया माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा नहीं उन्होंने घुमा फिरा कर मानो यही बात कही कि मानो सरकार जब छूट देगी तो उसका उन मिल मालिकों से कोई ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा या वह मिल वालों पर कोई अहस न करेगी या मिल वाले कोई नाजायज फायदा सरकार को पहुंचा देंगे। यह सारा सन्देह उनके दिल में है। लेकिन उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं कहा। मैं समझता हूं कि उनके दिल में या किसी के दिल में यह संदेह होना उचित नहीं है। और मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इसको मंजूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--माननीय उमाशंकर, आपका संशोधन मेरे पास आया है। वह शाब्दिक है, थोड़ा सा गेंदा सिंह जी के संशोधन में। उसकी मैं अब इजाजत दे रहा हूं क्योंकि वह बाद में आया था।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं गेंदासिंह जी के संशोधन में एक हरुफ़ जोड़ देना चाहता हूं और एक दूसरी जगह से एक हरुफ़ निकाल देना चाहता हूं। तब उसका भाव यह हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--आपने शायद नकल नहीं रखी है। मुझे दे दी है।

श्री उमाशंकर--आपको दे दिया। मगर हमको याद है।

"उत्तर प्रदेशीय ईख उत्पादकों के सहयोगी समिति संघ लखनऊ अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर केन बोर्ड की सिफारिश पर" इसके बाद मैंने "ही" लगा दिया है। मतलब यह हो जायगा--"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसी प्रकार राज्य सरकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी परिमित प्रयोजन के निमित्त फैक्टरी में प्रयुक्त किये गये अथवा प्रयुक्त किये जाने वाले गन्ने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय ईख उत्पादकों के सहयोगी समिति संघ, लखनऊ अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार शुगर केन बोर्ड की सिफारिश पर ही उपकर को पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दी जा सकती है। "भी" निकल गयी है।

अध्यक्ष महोदय, अगर जैसा प्रतिबन्ध है उसी तरह मान लिया जायगा तो यह निश्चित है, "सारे प्रान्त भर को यह ज्ञात है" जिस तरह से कंट्रोल के जमाने में हुआ था वही हालत इस प्रतिबन्ध के कारण भी हो जायगी। सरकार बिल्कुल निरंकुश हो जायगी। इसलिये मैं यह चाहता था। मैं यह भी चाहता था कि माननीय मंत्री जी का भाव श्री गेंदासिंह जी के सम्बन्ध में जो रहा है वह बना रहता, मैं ही बदनाम होता। लेकिन गेंदा सिंह जी ने भी वह भाव अपना प्रकट कर दिया और माननीय द्वारका प्रसाद जी ने भी उसको समझा। मैं जानता हूं और सारा प्रान्त इसको समझता हूं। मैं मिसाल के लिए आपसे निवेदन करूं कि क्या कारण है आज जगह-जगह सरकारी अधिकारी लोग जो इन कुर्सियों पर बैठे हैं रुपयों से तोले जा रहे हैं? आखिर इनकी उम्र २८ साल से ५० साल से ज्यादा हो गयी है। इन कुर्सियों के पहले जब तक वह कुर्सी पर नहीं आये थे तब तक कितनी बार वह तौले गये थे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आदमी का पैसे से तौलवाना बन्द हो जाना चाहिये। इसलिए यह संशोधन मैं रख रहा हूं। "ही" जोड़ने का मतलब जोर देना है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार की कुर्सी पर जो हमारे नेता बैठे हुए हैं उनकी भी इज्जत बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वह लोग समझते होंगे कि जनता में जो लोग रुपयों से हमको तौलते हैं वह बड़ी इज्जत करते हैं और हमारी बड़ी शोहरत होती है। ऐसी बात नहीं है। चर्चा होती है, गाड़ियों में, मोटरों में चलते वक्त चर्चा होती है। बदनामी होती है? इसलिये मैं चाहता हूं कि वह एकाधिकार जो अपने हाथों में ले करके एक सम्बन्ध पैदा करते हैं उसको छोड़ें। माननीय गेंदा सिंह जी ने बता दिया कि इन सोसाइटीज में वही लोग हैं, नाम बदल गया है, नाम बदलने से भी फायदा हो जायगा। वह बदनामी से बच जायेंगे। इसलिये हम, हमारे कई साथी और मैं खासतौर से आप लोगों में से, ट्रेजरी बेंच के लोगों से, प्रार्थना करूंगा कि वे लोग भी ये चाहें कि सरकार कम से कम अधिकार अपने हाथ में रक्खे। ज्यादा से ज्यादा अधिकार जनता के हाथों में है। मूल मंत्र यही है मगर हम देखते हैं उल्टा। माननीय ब्रजभूषण जी मिश्र बोलने खड़े हुए तो मुझे याद आ गया, उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कोई बात अच्छी भी कही जाय तो उसमें भी वह समझेंगे कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हमारे लिये आ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो संशोधन है उसका मतलब महज यह है कि आप बदनामी से बच जायं। सरकार के हाथों में अधिकार ज्यादा न जाय। यही गेंदासिंह जी के संशोधन करने का मतलब है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने ही लिये इस संशोधन को मान लें।

श्री फूल सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि यह संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने उपस्थित किया है और जिसका मतलब उनके हृदय में ही छिपा रहा और जिसको केवल श्री मौर्य जी ही जान सके। उस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता इसलिये भी कि विरोधी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह हमारे मान के लिये सब कोशिश कर रहे हैं और हालांकि उन कमेटियों में वही लोग हैं जो हमारे पास बैठे हैं। उनकी राय में एक बहाना मिल जाना चाहिये बेईमानी करने का मेरी राय में यह ठीक खयाल नहीं है। जो गलती करता है सीधे उसके सिर पर उसकी जिम्मेदारी रहनी चाहिये। दो और कठिनाइयां भी हैं। एक तो यह कि कोई शब्द कंट्रोल बोर्ड या सहयोगी सहकारी समिति भी इस विधेयक में कहीं डिफाइंड नहीं है। डेफीनीशन की क्लाज पास हो चुकी है।

दूसरी कठिनाई यह है कि दो संस्थाओं की मर्जी से आप चाहते हैं कि दिया जाय। अब यह कहीं नहीं करते कि दोनों में मतभेद हो तो क्या हो। तो अधूरी बात हो जाती है। एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यह कुल ५ करोड़ की रकम है। यह कोई करता नहीं कि ५ करोड़ ही माफ करना पड़ता हो। मुमकिन है दस पांच हजार माफ करना पड़ता हो लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी रकमें गवर्नमेंट के हाथ से खर्च होती हैं, उन रकमों के लिये कोई नहीं कहता कि कंट्रोल बोर्ड के मशविरे से या केन्द्रीय केन सोसाइटी के मशविरे से एसा किया जाय। तो चूंकि यह बिल्कुल अव्यावहारिक है, गवर्नमेंट की जो रिस्पांसिबिल्टीज हैं रेवेन्यू के सिलसिले में वे गवर्नमेंट के सिर रहनी चाहिये। सहकारी समितियों के सिर पर उन्हें नहीं डालना चाहिये। सारी बड़ी बड़ी रकमों का तो यह है ओला पड़ता है, पलड आता है, आबपाशी में छूट होती है, मालगुजारी में छूट होती है उनके सम्बन्ध में तो गवर्नमेंट को अधिकार है। लेकिन यह केन सेस के दस पांच हजार रुपयों के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को अधिकार नहीं मिलना चाहिये यह उचित नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनावश्यक संशोधन है और जो शंका लोगों ने प्रकट की है, वह माननीय सदस्य के दिमाग में नहीं आनी चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जो बात मैंने कही उसको ठाकुर साहब ने ठीक उसी शक्ल में देखने की कोशिश नहीं की। सन्देह मेरे मन में जो कुछ भी हो लेकिन मैंने तो उनसे यह चाहा था कि वह मेहरबानी करके यह बतलायें कि इस प्राविजन के रखने की जरूरत क्या है? तो नहीं कहा कुछ, क्यों रख रहे हैं? क्यों पहले नहीं था अब क्यों रहे इस पर कतई कोई बात उन्होंने नहीं कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचार करने की बात है कि कुछ संदेह होने की बात है या नहीं। संदेह वे स्वयं उत्पन्न करा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि शुगर केन बोर्ड तो उनका है, उन्होंने उसमें जिन गर सरकारी सदस्यों को नामजद कर रखा है वही हैं तो फिर उनसे सलाह करने में कोई नुकसान होने की बात तो थी नहीं।

एक बात उन्होंने दिक्कत की बताई कि दो संस्थाओं का नाम मैंने रख दिया, केन कोआपरेटिव यूनियन्स का और शुगर केन बोर्ड, तो मैं तैयार हूं कि उन दोनों में अगर दोनों की दो रायें हों तो सरकार का जो फैसला हो वही अन्तिम रहे और दूसरी बात यह कि अगर यह भी नामंजूर हो तो दोनों में से जिसको चाहें वे रख दें, क्योंकि इसमें तो सेस छोड़ने का सवाल नहीं है, बकाया की बात है जिनको जानबूझ कर रियायत करके उन्होंने छोड़ दिया और जिसका कुपरिणाम हमें भोगना पड़ रहा है कि आज करोड़ों रुपया सेस का बाकी है। उनके साथ रियायत हुई।

यह सही बात है कि हमें सदन में पूछने का दरियापत करने का अधिकार है, लेकिन हम उतने सजग नहीं रहे। कई माननीय सदस्यों ने पूछा भी और पूछने के बाद भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]
सरकार सजग नहीं हुई तो इसलिये मैं सोचता हूं कि अगर सरकार के लिये शर्त रहे तो सरकार के धन में कमी नहीं होगी और सरकार के काम में रुकावट नहीं पड़ेगी। शुगर केन बोर्ड स्वयं इतना जिम्मेदार है, जिसके चेयरमैन शुगर केन कमिश्नर, जिसके सेक्रेटरी असिस्टेंट शुगर केन कमिश्नर और जिसके आनरेरी असिस्टेंट सेक्रेटरी उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर, अब वह संस्था इतनी जिम्मेदार है कि इस संस्था से सरकार को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। तो फिर उसमें भी मैं कबूल करता हूं कि दोनों में से किसी एक को मानें, लेकिन सरकार का आफिसर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सरकार अगर माफी दे देगी तो यह निश्चित है कि जिसको भी माफी दी जायगी उस पर शुबहा पैदा हो सकता है। तो उस शुबहे को बचाने के लिये इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं था जो रास्ता मैंने बताया। ठाकुर साहब ने कहा कि मैं बहाना करने के लिये यह लाया हूं तो कोई बहाना करने के लिये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि वह सहीतौर पर सोचें और समझें और सहीतौर पर सोचने से सही फैसला हो सकता था।

श्री फूलसिंह---मुझे कुछ ज्यादा नहीं अर्ज करना है। जो इन दोनों संशोधनों का मतलब है तो वह पावर उन ऐक्ट्स में भी डिफाइन्ड नहीं है इसलिये वहां भी करना पड़ेगा। और जो रेवेन्यू आती है वह तो सदन के सामने आती ही है, इसलिये यह उचित नहीं है कि बोर्ड से सिफारिश करने का प्रस्ताव माना जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन उपस्थित करता हूं। अगर यह स्वीकार हो जाय तो उमाशंकर जी का संशोधन उपस्थित करूंगा और यदि स्वीकार नहीं हुआ तो दोनों गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "संबंध में" के बाद तथा शब्द "उपकर" के पहले शब्द "उत्तर प्रदेशीय ईख उत्पादकों के सहयोगी समिति संघ लखनऊ अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर केन बोर्ड की सिफारिश पर" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

अर्थ दंड

४---यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाया गया उपकर अदा न करे, अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करे तो धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन उसकी अदायगी की उत्तरवादिता (liability) पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुये वह ६ महीने तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों ही दंड का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर होता रहे तो उसे प्रत्येक उस दिन के लिये, जब तक उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अनधिक का अतिरिक्त अर्थ दंड दिया जा सकता है।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की पंक्ति १ और २ के प्रारम्भिक शब्द "अथवा" तक हटा दिये जायं और पंक्ति २ में शब्द "इस" के पूर्व शब्द "यदि कोई व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं।

जो खंड ४ है वह इस तरह से है कि "यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाया गया उपकर अदा न करे, अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करे तो धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन उसकी अदायगी की उत्तरवादिता

पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुये वह ६ महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों ही दंड का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर होता रहे तो उसे प्रत्येक उस दिन के लिये, जब तक उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अनधिक का अतिरिक्त अर्थ दंड दिया जा सकता है।

इसमें जो मैं हटाने को कह रहा हूं उसको हटाने के बाद यह इस तरह से हो जायगा। "कोई व्यक्ति" तो रहेगा ही। उसमें लिखा है—

"यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करे तो धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन उसकी अदायगी की उत्तरवादिता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुये . . . ."

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि धारा ३ का उपखंड (१) जो है वह इस प्रकार है:—

"राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्ट्री में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर ४ आने प्रति मन से अधिक—यह गलत है ४ आने प्रति मन तक होना चाहिये—उपकर लगा सकती है"।

अब इसी खंड के मुताबिक उसके ऊपर यह सेस लगेगा। अगर वह यह सेस अदा न करे तो दोनों सजायें वह पा सकता है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि किसी तरह से अगर वे इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो इस बात का लिहाज किये बिना कि अगर उसको सजा हो जाय तो जो लायबिलिटी सेस की हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सजा उसको हो जाय लेकिन केवल इस बात पर कि वह अदा नहीं करता है। तो इसके लिये तो फिर हमने इस सारे विधेयक में यह कर रखा है कि गवर्नमेंट का सरकारी मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका होता है उसी तरीके से हम वसूल करेंगे। तो सरकारी मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका है वह तरीका इतना डेफिशेंट है, इतना अपर्याप्त है जिसे मैं समझता हूं कि सरकारी माल-गुजारी उस तरीके से वसूल हो सकती है किन्तु सेस का रुपया ऐसी रकम है जो वसूल नहीं हो सकती। सरकारी मालगुजारी चाहे वह जमीन की मालगुजारी हो, चाहे सरकारी मालगुजारी की परिभाषा में कोई चीज आती हो उसके लिये मैं नहीं समझता हूं कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि उसको सजा दी जाय, जेलखाने में भेजा जाय। सरकारी मालगुजारी की तरह वह वसूल हो सकती है, लेकिन सरकारी मालगुजारी के तौर पर इस रकम में इतनी ताकत होनी चाहिये। सरकारी मालगुजारी के वसूल करने के तरीके में इतनी ताकत है कि यह हमारे ६६ मिल मालिकान जो हैं वे उन सारे तरीके को बेकार कर देंगे और फिर उनको जेलखाना भेजने की जरूरत आयेगी यह मैं नहीं समझ पाया।

मैं यह भी समझता हूं कि अगर जेलखाना भेजने की बात तय हो गई तो मैं समझता हूं इस जेलखाना भेजने के नाम पर जो हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वे इस बात को सोच सकते हैं कि जेलखाना भेजने का अख्तियार तो हमारे पास है ही। हम ख्वामख्वाह क्यों इस परेशानी में पड़ने जायं ? कुर्की के झंझट में, वारन्ट के झंझट में, नीलाम करने के झंझटों में हम नहीं पड़ेंगे और हम यह देखते रहेंगे कि किसी वक्त में अदा न करने के इलजाम में उसको सजा दे दे जब तक कि हमारी मालगुजारी वसूल न हो जाय ? मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकारी अधिकारी इस प्रकार के होंगे कि सजा दिलाने के लिये मालगुजारी में ढिलाई करें, लेकिन फिर भी सरकारी अधिकारी, जहां तक जिला मजिस्ट्रेट का ताल्लुक है, उनका मिलमालिकों से बहुत घनिष्ट संबंध है और चूंकि रोजाना इनका संबंध रहता है। रोजाना ऐसी जरूरत रहती है उन जरूरतों से यह मजबूरी रहती है और आपस में तनातनी रहती है। इसलिये ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिला मैजिस्ट्रेट जो है वह मालगुजारी के वसूल करने में थोड़ी ढिलाई कर देगा कि मालगुजारी वसूल न हो। और जब मालगुजारी वसूल नहीं हुई तो फिर वह मुकदमा दायर करने और सजा दिलाने की चेष्टा करेगा। मैं एक बात इस सिलसिले में कह दूं तो ज्यादा मुनासिब होगा।

[श्री गेंदा सिंह]

आखिर हम लोग जो यहां पर ४३१ बैठे हुये हैं वह सब जानते हैं कि विधायक निवास का किराया दे देना चाहिये, लेकिन हम लोगों ने भी बकाया रखा है और हम लोगों में से सब का नाम पूछा जाय तो हम लोगों में ऐसे निकल आयेंगे .....

श्री अध्यक्ष---(श्री गेंदा सिंह से) आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

आगामी दिन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---कल के कार्यक्रम के संबंध में मुझे यह कहना है कि यह जो विधेयक चालू है इसके समाप्त हो जाने के बाद कार्यक्रम में उसके बाद उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ रक्खा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे यह सूचना मिली है कि वह यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है और जो कार्यक्रम नम्बर १० पर दिया हुआ है यह पहले ले लिया जाय। उसके बाद वे गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद यह आयेगा। तो कल इसके समाप्त हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, लिया जायगा, फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक लिया जायगा, और फिर उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ आयेगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---श्रीमन्, चूंकि एजेंडा बदल दिया गया है इसलिये हमें संशोधन का अधिकार भी होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अगर एजेंडा बदल दिया जाता है तो यह तो हमेशा ही होता है। आप संशोधन कल दे ही सकेंगे लेकिन उसका भी नियम ऐसा होगा कि मेरे आने के पहले ही लिखकर रख लीजिये और मेरे पास भेज दीजिये।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१ मई, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान-मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर)

वर्ष			पडरौना तहसील	हाटा तहसील
१९५१	..		२	..
१९५२	..	..	३	२
१९५३	..	..	११	६
१९५४	..	..	११७	८०
१९५५	..	..	६११	३१४
१९५६	..	..	१८१	१०६
	..	.. योग	९२५	५०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर।)

नाम पंचायत		गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
तहसील सदर	आजमपुर	२०	५
	चरइनामी	२	१
	मुरारपूर	३	..
	आंकवारा	१	..
	रसूलपुर	१९	२
तहसील फूलपुर	मांझी पुर		
	समउल्लीपुर	१	०
	लाल नदना	२	०
	पकड़ी खुर्द	१३	०
तहसील घोसी	रसूलपुरइया रामपुर उर्फ रामपुर ..	१	०
	आजमगढ़	४	०
	योग ..	६६	८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर।)

सन् १९५२-५३ में निम्नलिखित माइनरें मोठ तहसील के निम्न ग्रामों से निकाली गईं

माइनर का नाम		ग्राम का नाम जहां से निकाली गईं
१—सेमरी माइनर	..	१—नन्दखास, पवई, गरुखा, तालुर, बिरगुवा, लिरौरा, शाहजहांपुर, सेमरी, सौरई।
२—शाहजहांपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	..	२—बिरगुवां, शांहजहांपुर।
३—अमगैंव माइनर	..	३—लौबई, बासौबा, पछाबाई।
४—कुमेहरिया माइनर	..	४—सेमरी, बाबई।
५—करगवां माइनर	..	५—सेमरी, करगवां।
६—लुधौरी माइनर	..	६—सेमरी।
७—पसैया माइनर	..	७—पसैया, बकवां, रेव।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४३ एल० ए०—१९५६—७९६।